



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू एवं कश्मीर सरकार
वर्ष 2020 की प्रतिवेदन सं. 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वर्ष 2020 की प्रतिवेदन सं. 2

विषय सूची			
क्र. सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सार		vii
अध्याय-I राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	वित्त लेखाओं 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2	9
5.	राजस्व प्राप्तियां	1.3	11
6.	पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	25
7.	लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	28
8.	संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	29
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	36
10.	सरकार के पूंजीगत व्यय तथा निवेश का वित्तीय मूल्यांकन	1.8	39
11.	परिसंपत्तियां तथा देयताएं	1.9	45
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	51
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	58
14.	निष्कर्ष	1.12	64
अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण			
15.	प्रस्तावना	2.1	67
16.	विनियोजन लेखाओं का सार	2.2	68
17.	वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	69
18.	वित्तीय आकड़ों का गैर-समेकन	2.4	79
19.	बजटीय विश्लेषण की समीक्षा के परिणाम	2.5	80
20.	कोषागारों की कार्यप्रणाली में पाई गई कमियां	2.6	84

21.	लेखा/रक्षा/रेलवे कार्यालयों द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न होना	2.7	85
22.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.8	86
23.	निष्कर्ष	2.9	88
अध्याय-III वित्तीय रिपोर्टिंग			
24.	लेखाकंन मानको का अनुपालन	3.1	91
25.	संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन	3.2	92
26.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	94
27.	वार्षिक लेखाओं की गैर-प्रस्तुति/विलम्ब से प्रस्तुति होना	3.4	96
28.	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	3.5	98
29.	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	3.6	99
30.	ठेकेदारों को बकाया देयता	3.7	100
31.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.8	100
32.	निष्कर्ष	3.9	101
परिशिष्ट			
33.	जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा	परिशिष्ट 1.1	103
34.	भाग क: संरचना तथा सरकारी लेखाओं के प्रपत्र	परिशिष्ट 1.2	105
	भाग ख: वित्त लेखाओं का प्रारूप		105
35.	राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति	परिशिष्ट 1.3	107
36.	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला डाटा	परिशिष्ट 1.4	109
37.	वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	परिशिष्ट 1.5	112
	31 मार्च 2019 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		115
38.	जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006	परिशिष्ट 1.6	117
39.	एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों का कार्यान्वयन	परिशिष्ट 1.7	120

40.	केंद्रीय योजना निधियों का राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण। (राज्य बजट के बाहर दी गई निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)	परिशिष्ट 1.8	124
41.	14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत सहायता अनुदान अनुमानों/ निर्गमों की स्थिति	परिशिष्ट 1.9	136
42.	नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2017-18 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण	परिशिष्ट 2.1	137
43.	विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय किया गया	परिशिष्ट 2.2	139
44.	विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से ₹एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी।	परिशिष्ट 2.3	140
45.	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन के मामले	परिशिष्ट 2.4	143
46.	विभिन्न अनुदानों/ विनियोजन का विवरण जहाँ ₹एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।	परिशिष्ट 2.5	144
47.	₹एक करोड़ तथा उससे अधिक अभ्यर्पित नहीं करने पर बचत का विवरण	परिशिष्ट 2.6	145
48.	₹एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त रहे प्रावधानों का विवरण	परिशिष्ट 2.7	148
49.	अनुदान संख्या 07 एवं 22 में अभ्यर्पित नहीं की गई महत्वपूर्ण बचतों के मामले दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.8	150
50.	अनुदान संख्या 07 एवं 22 में बिना बजटीय प्रावधान के किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.9	152
51.	अनुदान संख्या 07 एवं 22 में अप्रयुक्त रहे अनुदान को दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.10	153
52.	मार्च 2019 को समाप्त प्रमुख शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों को दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 3.1	154

53.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित प्रतीक्षित वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.2	157
54.	विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं तथा सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.3	160
55.	शब्दावली	परिशिष्ट 4	163

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहां कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां राज्य से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। इसलिए यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन होने पर यह प्रतिवेदन परवर्ती संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के क्रमशः वित्त और विनियोजन लेखाओं की जांच से उदभूत मामलों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय III में वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के साथ विहंगावलोकन और सरकार के अनुपालन की प्रास्थिति दी गई है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा के परिणामों और राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक प्रस्तुत किए गए हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल को समय पर वित्तीय डाटा के इनपुट आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित किए गए बजट अनुमानों तथा लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित किया गया है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रमुख रूझानों तथा संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार तथा जनगणना द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त डाटा के आधार पर, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय-I वित्त लेखा पर आधारित है तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह, ऑफ बजट के माध्यम से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित केंद्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखा के अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा रूपरेखा, प्रतिबद्ध व्यय, तथा उधार पद्धति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय-II विनियोजन लेखाओं पर आधारित है तथा विनियोजनों के अनुदान-वार विवरण तथा उस पद्धति का वर्णन करता है जिनके माध्यम से सेवा देने वाले विभागों को आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। कोषागार के निरीक्षण से सृजित टिप्पणियां भी इस अध्याय में की गई हैं।

अध्याय-III विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण सहित सरकार की अनुपालना का विवरण है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों, राज्य के स्वयं के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा कुल व्यय के संदर्भ में बजट अनुमान को प्राप्त नहीं कर सकी।

(पैरा 1.1.3)

आरआर उत्थान, जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कम था, क्योंकि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में आरआर तथा एसओटीआर की वृद्धि दर कम थी।

(पैरा-1.1.4)

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹2,719 करोड़ (5.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः ₹2,078 करोड़ (17.44 प्रतिशत) संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹364 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹290 करोड़ के कारण थी। संघ सरकार से हस्तांतरित संघीय करों तथा शुल्कों और सहायता अनुदान से राज्य के हिस्से में वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियां 72.33 प्रतिशत हुईं।

(पैरा- 1.3)

मार्च 2019 तक, ₹45.93 करोड़ तथा ₹376.72 करोड़ राशि के ऋण कृषि उद्योगों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रति बकाया थे, जिसकी अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार क्रमशः ₹42.10 करोड़ तथा ₹1,148.12 करोड़ की कुल संचित हानियां थीं। इस प्रकार, वसूली की खराब व्यवस्था के बाद भी राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति दी गई थी। वसूली लगभग नगण्य होने के कारण सरकार लेखाओं को सही दर्शाने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन राशियों को पूंजीगत व्यय की बजाय अनुदान/सहायिकी के रूप में राजस्व व्यय में बुक करने पर विचार कर सकती है।

(पैरा- 1.4.1)

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय ₹15,174 करोड़ तक बढ़ा। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 87 प्रतिशत था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य सहायिकियों के कारण प्रतिबद्ध व्यय 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था।

(पैरा- 1.6.2 व 1.6.3)

कुल व्यय में विकास हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी की वर्ष 2017-18 में 18.62 प्रतिशत से 2018-19 में 11.76 प्रतिशत तक घटी, जबकि उसी अवधि के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 46.84 से 51.48 प्रतिशत तक बढ़ी।

(पैरा- 1.7.2)

31 मार्च 2019 को राज्य सरकार के पास कंपनियों/ सांविधिक सहकारी संस्थानों/ स्थानीय निकायों में ₹689.42 करोड़ का संचयी निवेश था। वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश/ ब्याज की दर 23.99 प्रतिशत थी और यह आगामी वर्षों के दौरान निरन्तर घट गई तथा 2017-18 और 2018-19 में कोई भी रिटर्न नहीं था, जबकि कथित अवधि के दौरान निवेश ₹537.17 करोड़ से बढ़कर ₹689.42 करोड़ हो गया। रिटर्न निवल वर्तमान लागत पर आधारित न होकर, ऐतिहासिक लागत पर आधारित है।

(पैरा-1.8.3)

वर्ष 2018-19 के लिए नकदी शेष निर्धारित आरक्षित निधियों ₹2,486 करोड़ की राशि के बराबर नहीं था जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य के लिए किया गया।

(पैरा-1.8.5.)

31 मार्च 2019 को सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं ₹79,105 करोड़ थी। संचित देयताएं सरकार की राजस्व प्राप्तियों से 1.54 गुणा अधिक और सरकार के स्वयं के कर राजस्वों से 5.58 गुणा अधिक थी। 2018-19 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में इन देयताओं का आधिक्य अनुपात 1.39 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु वित्तीय देयताएं 1.39 गुणा बढ़ गईं।

(पैरा-1.9.2)

वर्ष 2017-18 का ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष, 2018-19 के दौरान ₹4,859 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया। जो मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹8,029 करोड़ की वेतन में वृद्धि होने के कारण भी राजस्व में घाटा हुआ। इस वेतन वृद्धि में वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए

₹3,900 करोड़ की बकाया राशि भी शामिल है, जिन्हें बुक समायोजन के माध्यम से जीपीएफ खातों में जमा किया गया था। यह राजस्व घाटे पर उस सीमा तक एक प्रभाव के रूप में रहा। राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष 2017-18 में ₹2,778 से बढ़कर 2018-19 में ₹13,337 करोड़ हो गया। 2017-18 के दौरान, ₹1,885 करोड़ प्राथमिक अधिशेष की तुलना में राज्य का 2018-19 में ₹8,128 करोड़ का प्राथमिक घाटा था।

(पैरा-1.11.1)

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

वर्ष 2018-19, के दौरान ₹1,09,479.22 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजन के प्रति ₹85,241.37 करोड़ का व्यय हुआ। विभिन्न अनुदानों तथा विनियोजनों में ₹28,869.38 करोड़ की बचत को पाँच अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹4,631.53 करोड़ आधिक्य को समायोजित करने पर ₹24,237.85 करोड़ की समग्र बचत हुई। 1980-2018 वर्षों के लिए ₹1,14,061.35 करोड़, के अतिरिक्त उक्त राशि ₹4,631.53 करोड़ को भी जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 82 के अनुसार नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा-2.2, 2.2.1 व 2.3.1)

2014-19 के दौरान, छह अनुदानों में निरंतर बचत थी। 16 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान की तुलना में अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि व्यय मूल प्रावधान से कम था। जबकि चार अनुदानों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त होने के परिणामस्वरूप व्यय अधिक हुआ।

(पैरा-2.3.3 व 2.3.4)

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹1,874.17 करोड़ का सहायता अनुदान, ₹99.18 करोड़ की सहायिकी, ₹0.19 करोड़ का वजीफ़ा एवं छात्रवृत्ति, ₹2.24 करोड़ का वेतन तथा ₹286.21 करोड़ अधिप्राप्ति की परिचालन लागत/पीडीएस द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को, राजस्व शीर्षों में उनका लेखांकन करने की आवश्यकता के बदले, व्यय के मुख्य पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत संवितरित किया गया।

(पैरा- 2.5.5)

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग:

31 मार्च 2019 तक ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में ₹8,219.90 करोड़ के 1,774 उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न विभागों के प्रति बकाया थे। राज्य सरकार इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यूसी के अधिक लम्बन के साथ विभागों को अधिक अनुदान देना जारी रखना चाहिए या नहीं। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब भी देखा गया।

(पैरा-3.3,3.4, व 3.5)

2018-19 के दौरान, ₹4,220.87 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.24 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत थे तथा ₹3,662.17 करोड़ का व्यय (कुल व्यय का 5.68 प्रतिशत) वित्त लेखाओं में स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करने की बजाय लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया था।

(पैरा-3.6)

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य राजकोषीय समुच्चयों तथा इसकी आधारित संरचना की रूपरेखा के पिछले रुझानों के प्रति, बेंचमार्किंग द्वारा वित्त को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। **परिशिष्ट 1.1** में जम्मू एवं कश्मीर सरकार की रूपरेखा तथा मुख्य संरचना से संबंधित विकास संकेतक दिए गए हैं तथा **परिशिष्ट 1.2** में राज्य सरकार के वित्त लेखाओं की संरचना तथा रूपरेखा दी गई है जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है, **परिशिष्ट 1.3** में राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति की रूपरेखा संक्षिप्त में दी गई है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) राज्य पाकिस्तान तथा चीन से अपनी सीमाओं से जुड़े होने के साथ-साथ भौगोलिक रूप से 2.22 लाख वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें चीन तथा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ 1.21 लाख वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.76 प्रतिशत क्षेत्र होने के साथ भारत का छठा बड़ा राज्य है। राज्य के तीन क्षेत्र अर्थात् कश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख, 22 जिलों में व्यवस्थित है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संघीय क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख (31 अक्टूबर 2019) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 1.28 करोड़ (2019) थी। वर्ष 2001-11 के दौरान जनसंख्या में दशकीय विकास दर, वर्ष 1991-2001 की तुलना में 29.43 प्रतिशत से घटकर 23.71 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में, राज्य की प्रतिवर्ग किमी. आबादी 100 प्रतिवर्ग किमी. से बढ़कर 124 प्रतिवर्ग किमी हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में भी 2001 में 892 से 889 तक गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान राज्य की साक्षरता दर, राष्ट्रीय स्तर के 64.84 प्रतिशत से 72.99 प्रतिशत के प्रति 55.52 प्रतिशत से 67.16 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

दी गई समय सीमा के भीतर आधिकारिक तौर पर स्वीकृत राज्य के उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं की एक बाजार लागत जीएसडीपी होती है। जीएसडीपी की विकास दर, राज्य की आबादी के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। चालू कीमतों तथा स्थिर कीमतों पर, भारत की जीडीपी तथा जम्मू एवं कश्मीर की जीएसडीपी की वार्षिक विकास दर की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.1: जीडीपी के साथ-साथ जीएसडीपी का तुलनात्मक विवरण


वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
चालू कीमतें					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441*
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर@					
पंजाब	6.91	9.85	9.46	12.21	8.92
हिमाचल प्रदेश	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
लगातार मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,798,57	1,40,77,586
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य की जीएसडीपी* (₹करोड़ में)	82,372	97,001	1,00,730	1,07,580	1,14,639
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	(-)3.22	17.76	3.84	6.80	6.56

(स्रोत: सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेबसाइट भारत सरकार, * आर्थिक निदेशालय तथा सांख्यिकी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर @संबंधित महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय संव्यवहारों का सार

चार्ट 1.1: सरकार के लेखाओं की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:



(स्रोत:- बजट नियम पुस्तिका पर आधारित)

चालू वर्ष (2018-19) के साथ-साथ पिछले वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहार का सार (परिशिष्ट 1.4 तथा 1.5) में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2018-19		2017-18	2018-19
भाग (क) राजस्व			भाग (क) राजस्व		
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	9,536	9,826	सामान्य सेवाएं	16,888	22,850
राज्य के स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,362	4,349	सामाजिक सेवाएं	13,117	17,931

संघीय करो/ शुल्कों का हिस्सा	11,912	13,990	आर्थिक सेवाएं	10,911	15,309
भारत सरकार से अनुदान	22,702	23,066	-	-	
राजस्व प्राप्तियां	48,512	51,231	राजस्व व्यय	40,916	56,090
भाग (ख) पूंजीगत			भाग (ख) पूंजीगत		
-	-	-	पूंजीगत परिव्यय	10,353	8,413
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	4	4	ऋण तथा अग्रिम वितरित	25	69
लोक ऋण प्राप्तियां ^{\$}	25,557	25,336	लोक ऋण का पुनर्भुगतान ^{\$}	22,490	20,647
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां [@]	15,122	18,261	लोक लेखा संवितरण [#]	15,286	9,656
आरंभिक शेष	429	554	अंत नकद शेष	554	511
कुल	89,624	95,386		89,624	95,386


(स्रोत: वित्त लेखें)

@# ये निवेश के नकद संव्यवहार को तथा विभागीय शेष को शामिल नहीं करता है। (@₹20,846 करोड़ की प्राप्तियां, #₹20,846 संवितरण) संव्यवहार के शुद्ध प्रभावों को आरंभिक व अंत शेष में समीकरण अगली पंक्ति के नीचे दिया गया है।

\$अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

परिशिष्ट 1.5 चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की रचना तथा निधियों का प्रयोग नीचे दिए गए चार्ट 1.2 व 1.3 में दिया गया है:-



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

जम्मू एवं कश्मीर में राजकोषीय सुधारों का मार्ग

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14 अगस्त 2006 को लागू हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2009-10 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करना था। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत सरकार पर आवश्यक दायित्व निर्धारित किए गए तथा उसमें संशोधन किया गया तथा इसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 1.6** तथा **परिशिष्ट 1.7** में क्रमशः दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि पर 11.78 प्रतिशत निर्धारित की थी। विकास, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, बजट में प्रमुख राजकोषीय परिवर्तों दिए गए हैं तथा राज्य द्वारा बजट में यथा अनुमानित नीचे दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्तियों के अनुमान किए गए लक्ष्य से परिवर्तन
(जीएसडीपी का प्रतिशत)


वित्तीय परिवर्ती	2018-19				
	14वे वि.आ के अनुसार अनुमान	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविक का परिवर्तन	
				14वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष(+)	(-) 8.66	8.31	(-) 3.15	(-) 5.51	(-) 11.46
राजकोषीय घाटा/ जीएसडीपी	3	6.15	8.64	5.64	2.49
जीएसडीपी के प्रति कुल बकाया ऋण (वित्तीय देयताएं) का अनुपात	47.30	-	51.22	3.92	-

जीएसडीपी के प्रति राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों तथा बजट में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार नहीं रखा जा सका था। बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष के प्रति राजस्व घाटा था। 51.22 प्रतिशत पर जीएसडीपी के प्रति बकाया देयताओं (राजकोषीय देयताओं) का अनुपात 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट के दस्तावेज, एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय का अनुमान उपलब्ध कराते हैं। जहां तक संभव हो, राजस्व तथा व्यय के अनुमान सही दिए जाए, ताकि कारणों का पता लगाने के लिए भिन्नताओं का विश्लेषण किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों हेतु बजट अनुमान व वास्तविक नीचे दिए गए हैं:

चार्ट 1.4: चयनित राजकोषीय मानक: 2018-19 के लिए वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान



(स्रोत:- बजट तथा वित्त लेखें)

राज्य सरकार वास्तविक के साथ-साथ बजट के उद्देश्य के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

₹64,269 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के रूप में राजस्व प्राप्तियों के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹51,231 करोड़ (79.71 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण सहायता अनुदान में कम राशि प्राप्त होना था।

₹5,761 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति गैर-कर प्राप्तियां ₹4,349 करोड़ (75.49 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण विद्युत के अंतर्गत कम प्राप्तियां होना था।

₹51,185 करोड़ के बजट प्रावधान से राजस्व व्यय ₹4,905 करोड़ अधिक था, क्योंकि ग्रामीण विकास एवं परिवहन क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं में व्यय अधिक हुआ।

सभी तीनों सेवाओं में यानि सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कम व्यय होने के कारण, ₹26,400 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति ऋणों तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय ₹8,482 करोड़ पर, ₹17,918 करोड़ तक कम था।

सातवें वेतन आयोग के लागू होने तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया भुगतान के कारण राज्य सरकार राजस्व अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी जिसके कारण ₹4859 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ तथा उच्च राजस्व व्यय के प्रति कम राजस्व प्राप्तियों ने भी राजकोषीय घाटों तथा प्राथमिक घाटों को पूरा करने के उद्देश्य को प्रभावित किया।

1.1.4 उत्थान अनुपात

उत्थान अनुपात मूल परिवर्ती आधार में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती में लचीलेपन या प्रतिक्रियाशीलता के स्तर को दर्शाता है। जीएसडीपी के प्रति राजस्व प्राप्तियां, राज्य के स्वयं के कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्थान अनुपात नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों राज्य के स्वयं के कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी की तुलना में उत्थान अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीएसडीपी (₹करोड़ में)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)					
वर्ष के दौरान आरआर (₹करोड़ में)	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.68	23.64	17.31	15.56	5.60
जीएसडीपी के साथ आरआर का उत्थान	2.32	1.24	2.47	1.49	0.49
राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर)					
वर्ष के दौरान एसओटीआर (₹करोड़ में)	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826
एसओटीआर की विकास दर (प्रतिशत में)	0.97	15.66	6.73	21.96	3.04
जीएसडीपी के साथ एसओटीआर का उत्थान	0.34	0.82	0.96	2.10	0.26
कुल व्यय (टीई)					
वर्ष के दौरान टीई (₹करोड़ में)	34,550	43,845	48,174	51,294	64,572
टीई की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.04	26.9	9.87	6.48	25.89
जीएसडीपी के साथ टीई का उत्थान	3.14	1.41	1.41	0.62	2.25
राजकोषीय देयताएं (एफएल)					
वर्ष के अंत में एफएल (₹करोड़ में)	48,314	55,358	62,219	68,217	79,105
एफएल की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.15	14.57	12.39	9.64	15.96
एफएल के उत्थान साथ वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.83	0.76	1.77	0.91	1.39


(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के जीएसडीपी के संबंध में एसओटीआर, आरआर में उत्थान कम था, क्योंकि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान एसओटीआर तथा आरआर की वृद्धि दर कम थी। वर्ष 2017-18 को छोड़कर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर की अपेक्षा टीई की वृद्धि दर अधिक रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसओटीआर तथा आरआर की अपेक्षा देयताओं एवं टीई का उत्थान अधिक था।

1.2 वित्त लेखाओं 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं, जो राज्य सरकार के संसाधनों को सृजित करती है। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्वों, गैर-कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से मिलकर बनी होती है। पूंजीगत प्राप्तियां विविध पूंजीगत प्राप्तियों जो विनिवेश, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने) तथा भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की प्राप्ति के साथ-साथ लोक लेखा से प्राप्त उपार्जित से मिलकर बनी होती है। तालिका 1.2 पूर्व वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखाओं में दर्ज है, राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है (परिशिष्ट 1.4) जबकि चार्ट 1.6 वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य प्रप्तियों के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करता है; चार्ट 1.5 में चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना दर्शाता है जो नीचे दी गई है:

चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप घटक




* (लोक लेखा निवल प्राप्तियां (₹8,605 करोड़) = लोक लेखें प्राप्तियां (₹39,107 करोड़) कम/- लोक लेखा संवितरण (₹30,502 करोड़)।

** जीएसटी लगने के कारण, प्राप्त हुए ₹1,462 करोड़ के मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है। (सहायता अनुदान में शामिल है)

अर्थोपाय अग्रिम सहित।

चाट 1.6: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां

(₹करोड़ में)




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 में, राजस्व प्राप्तियां तथा कुल प्राप्तियां, बढोत्तरी की प्रवृत्ति को दिखाती हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में ₹2,719 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में लोक लेखा निवल प्राप्तियों की भी बढी हुई प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। हालांकि, यह वर्ष 2015-16 में ₹4,312 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹2,396 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रेषण के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण ₹164 करोड़ के भुगतान का अधिशेष था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रेषणों की प्राप्ति की तुलना में प्रेषणों के कम वितरण के कारण तथा पूर्व वर्ष की तुलना में लघु बचतों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण निवल लोक लेखा प्राप्तियां बढ़कर ₹8605 करोड़ हो गई।

पूंजीगत प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 में ₹10,262 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹25,561 करोड़ तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹25,561 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹25,340 करोड़ हुई। वर्ष 2014-15 में 67.13 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 60.15 प्रतिशत तक घटना, कुल प्राप्तियों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का अनुपात गिरावट के रुझान को दिखाता था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चाट 1.7: वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)




पिछले वर्ष के संबंध में, वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति में ₹2,719 करोड़ की वृद्धि से ₹48,512 करोड़ से ₹51,231 करोड़ तक (पांच प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष 2018-19 के दौरान, पूंजीगत प्राप्ति में ₹221 करोड़ की कमी के कारण ₹25,561 करोड़ से ₹25,340 करोड़ तक घटी तथा निवल लोक लेखा प्राप्ति में वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान ₹8,769 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल राज्य संसाधनों (₹85,176 करोड़) में राजस्व प्राप्ति 60 प्रतिशत, पूंजीगत प्राप्ति 30 प्रतिशत तथा निवल लोक लेखा प्राप्ति 10 प्रतिशत हैं।

1.3 राजस्व प्राप्ति

2014-15 से 2018-19 की अवधि में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति तथा रचना को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा नीचे भी दिखाया गया है:

चाट 1.8: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्ति की रचना


(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

चार्ट 1.9: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की रचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 77.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई (₹28,939 करोड़ से ₹51,231 करोड़)। संघ सरकार से हस्तांतरित संघीय करों तथा शुल्कों तथा सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 71.28 प्रतिशत बनता था तथा 2018-19 में यह बढ़कर, 72.33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का 21.89 प्रतिशत बनता था, जो 2018-19 में कम होकर 19.18 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014-15 में गैर-कर राजस्व का हिस्सा 6.84 प्रतिशत बनता था, जो 2018-19 में बढ़कर 8.49 प्रतिशत हो गया।

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹2,719 करोड़ (5.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः ₹2,078 करोड़ (17.44 प्रतिशत) की संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹364 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹290 करोड़ वृद्धि के कारण थी। एसओटीआर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझानों को नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.5: एसओटीआर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझान

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹करोड़ में)	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.68	23.64	17.31	15.56	5.60
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) (₹करोड़ में)	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (एसओटीआर) (प्रतिशत)	0.97	15.66	6.73	21.96	3.04

2014-15 से 2018-19 के दौरान दोनों राजस्व प्राप्तियों तथा राज्य के स्वयं के कर में वृद्धि दर घटती-बढ़ती रही। चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर 5.60 प्रतिशत थी, जो विशेष श्रेणी वाले राज्य (एससीएस) में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि संघीय करो/ शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि के कारण थी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करो तथा सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है, संसाधनों को जुटाने के संदर्भ में राज्य के निष्पादन का, जिसमें उसके स्वयं के कर तथा गैर-कर स्रोत शामिल है, के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.6: 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशतता अंतर	
				14वें के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमानों पर
स्वयं के कर राजस्व	13,221	11,194	9,826	(-)26	(-)12
स्वयं के गैर-कर राजस्व	1,092	5,761	4,349	298	(-)25
कुल	14,313	16,955	14,175		

राज्य के स्वयं के कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 26 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के 12 प्रतिशत तक कम रहा। स्वयं के गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 298 प्रतिशत अधिक थी, परंतु बजट अनुमान से 25 प्रतिशत कम थी।

इस प्रकार राज्य सरकार बजट अनुमान में स्वयं द्वारा निर्धारित अनुमानों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹14,175 करोड़ के राज्य के स्वयं के संसाधन (स्वयं के कर राजस्व तथा स्वयं के गैर-कर राजस्व) इसके ₹38,186 करोड़ की प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सहायिकी) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। (पैरा 1.6.3)

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिए गए हैं जो वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझान को दर्शाते हैं।

तालिका 1.7: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री कर	4,602	5,277	6,012	4,493	1,757
जीएसटी	0	0	0	2611	5,134
राज्य आबकारी	466	533	569	833	1,291
स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क	248	264	228	307	265
वाहनों पर कर	132	145	150	228	239
विद्युत पर कर तथा शुल्क	313	429	90	179	189
भू-राजस्व	15	12	17	29	41
अन्य	558	666	753	856	910
कुल	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

बिक्री कर तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹2,289 करोड़ बढ़ने के कारण, ₹4,602 करोड़ से ₹6,891 करोड़ हो गया जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में 2018-19 में ₹213 करोड़ की कमी हुई।

राज्य उत्पाद-शुल्क के संग्रहण में उपरोक्त अवधि में ₹466 करोड़ से ₹1,291 करोड़ तक 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांक 01-09-2017 से शराब की बिक्री पर 31.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त निर्धारण फीस लगाने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में उत्पाद शुल्क में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण में ₹248 करोड़ से ₹307 करोड़ तक वृद्धि हुई जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यतः स्टाम्प की बिक्री में कमी के कारण संग्रहण में ₹42 करोड़ की कमी आई।

वाहनों पर एकत्रित कर में, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹132 करोड़ से ₹239 करोड़ तक 81.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाहन पर कर का संग्रह वर्ष 2017-18 में ₹228 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹239 करोड़ हो गया।


विद्युत पर कर तथा शुल्क 2014-15 में ₹313 करोड़ से वर्ष 2016-17 में घटकर ₹90 करोड़ हो गया, जो विद्युत शुल्क की दरों में 22 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी आने के कारण है तथा वर्ष 2016-17 में ₹90 करोड़ से वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹189 करोड़ हो गया।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) में ₹3,492 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹290 करोड़ की वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान ₹9,536 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹9,826 करोड़ हो गया।

2014-15 से 2018-19 तक पड़ोसी राज्यों के साथ जीएसडीपी के लिए स्वयं के कर राजस्व की तुलना नीचे दी गई है:

चार्ट 1.10: जीएसडीपी के स्वयं के कर राजस्व की पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित महालेखाकर (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

जीएसडीपी के प्रति स्वयं के कर राजस्व अनुपात में, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान पंजाब से कम था, लेकिन वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश से उच्चतर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर के जीएसडीपी के प्रति स्वयं के कर राजस्व (प्रतिशत) की स्थिति पड़ोसी राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से उच्चतर थी।

माल एवं सेवा कर

राज्य सरकार द्वारा, लागू माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम दिनांक 08 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्य को मुआवजा) अधिनियम-2017 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्यों को जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व के होने वाले

नुकसान हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा देगी। राज्य को देय, मुआवजे हेतु, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अंतिम रूप से प्राप्त राजस्व आंकड़ों की, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गणना की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015-16) में राजस्व आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान ₹4,766.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। किसी भी वर्ष में, किसी राज्य के लिए अनुमानित राजस्व की वृद्धि दर की गणना (14 प्रतिशत वार्षिक) उस राज्य के आधार वर्ष के अनुसार की जाएगी।

आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए, अनुमानित राजस्व ₹7,061.48 करोड़¹ था। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व ₹7,061.48 करोड़ के प्रति, वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जीएसटी में जमा किए गए एकत्रित करों सहित, जैसा कि तालिका 1.8 में दिया गया है, ₹5,391.86 करोड़ थी। जीएसटी के लागू होने के कारण ₹1,669.62 करोड़ के वास्तविक घाटे के प्रति राज्य सरकार ने ₹1,462 करोड़ तक मुआवजा प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹207.62 करोड़ की सीमा तक कम मुआवजा दिया गया। जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 1.8: जीएसटी से पूर्व तथा एसजीएसटी द्वारा एकत्रित, आईजीएसटी का अनंतिम प्रभाजन तथा संरक्षित राजस्व के प्रति भारत सरकार से प्राप्त मुआवजा (₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जीएसटी से पूर्व एकत्रित	एकत्रित एसजीएसटी*	आईजीएसटी का अनंतिम प्रभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कुल	आधिशेष / घाटा
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5+6)	8=1-(5+6)
अप्रैल-18	588.45	10.31	178.45	209.54	398.30	0	398.30	(-)190.15
मई-18	588.45	17.06	119.88	196.88	333.82	23.00	356.82	(-)231.63
जून-18	588.45	6.66	119.40	218.19	344.25	0	344.25	(-)244.20
जुलाई-18	588.45	7.29	134.41	515.79	657.49	147.00	804.49	216.04
अगस्त-18	588.45	12.71	129.70	225.78	368.19	0	368.19	(-)220.26
सितंबर-18	588.45	3.17	128.92	292.94	425.03	415.00	840.03	251.58

¹ वर्ष 2018-19 के लिए $4766.30 \times (1 + 14/100) \div 3 = 7061.48$ तथा एक महीने के लिए $7061.48 / 12 = 588.45$ होगा।

अक्टूबर-18	588.45	4.15	132.80	226.04	362.99	0	362.99	(-)225.46
नवंबर-18	588.45	2.42	127.03	444.38	573.83	292.00	865.83	277.38
दिसंबर-18	588.45	13.67	133.82	340.43	487.92	0	487.92	(-)100.53
जनवरी-19	588.45	157.98	159.36	226.75	544.09	282.00	826.09	237.64
फरवरी-19	588.45	2.72	137.61	167.37	307.70	0	307.70	(-)280.75
मार्च-19	588.53	19.49	180.44	388.32	588.25	303.00	891.25	302.72
कुल	7,061.48	257.63	1,681.82	3,452.41	5,391.86	1,462.00	6,853.86	(-)207.62

(* बिक्री कर विभाग, जे एंड के)

आईजीएसटी से अग्रिम प्रभाजन

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹5,134.23 करोड़ की राशि जीएसटी के रूप में एकत्रित की, जिसमें एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के अग्रिम प्रभाजन के कारण ₹298 करोड़ की प्राप्त राशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ₹1,462 करोड़ की राशि भी भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई है।

जीएसटी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा


माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्वचालित एकीकरण के आने के बाद यह लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए नमूना जांचो से आगे बढ़कर सभी संव्यवहारो की लेखापरीक्षा की जाए। डाटा तक आवश्यक पहुंच प्रदान किया जाना अभी बाकी है/ सभी जीएसटी संव्यवहारो से संबंधित डाटा, जो अभी पहुंच में नहीं है, जीएसटी प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा के मार्ग पर एक रुकावट है। इसलिए, वर्ष 2018-19 के लेखें एक अपवाद के रूप में नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर सत्यापित किए गए हैं, जैसा कि अभिलेखों के मानवीय रखरखाव होने पर किया जाता था।

1.3.1.2 गैर-कर राजस्व

पांच वर्षों के दौरान 2014-15 से 2018-19 गैर कर राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.11 में दी गई है तथा तालिका 1.19 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करती है।

चार्ट 1.11: गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)



(स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

तालिका 1.9: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज प्राप्तियां	14(8)	96(585)	19(-80)	19(0)	21(11)
लाभांश तथा लाभ	129(0)	54(-58)	45(-17)	0(-100)	0(0)
अन्य तथा कर प्राप्तियां	1,835(-33)	3,763(105)	4,008(7)	4,343(8)	4,328(-0)
वानिकी तथा वन्य जीवन	71	68	14	18	20
विद्युत	1,428	1,477	2,770	3,151	3,246
विविध*	166	204	221	266	273
अन्य**	170	2,014	1,003	908	789
कुल	1,978	3,913	4,072	4,362	4,349

*लोक निर्माण, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सवच्छता, पुलिस, गैर-लौह खनन तथा धातु उद्योग, फसल पैदावार, पशु पालन, विविध विभाग हैं।

**'अन्य' पेंशन तथा विविध, सामान्य सेवाएं, श्रमिक तथा रोजगार, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लघु सिंचाई, ओ.एस.ए.पी. मत्सय पालन, शिक्षा आदि ग्राम तथा लघु उद्योग, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा अन्य "अन्य" में शामिल हैं।

(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि को कोष्ठक में दर्शाया गया है।)

(स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में ₹2,371 करोड़ (120 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त वर्ष 2015-16 में ₹2,014 करोड़ से 2018-19 में ₹789 करोड़ तक अबियाना (सिंचाई कर) का उन्मूलन होने के कारण, कम हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, गैर-कर राजस्व (₹4,349 करोड़) राजस्व प्राप्ति (₹51,231 करोड़) का 8.49 प्रतिशत बनता था, जो मुख्यतः मध्यम सिंचाई, लोक निर्माण तथा पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाओं के

अंतर्गत प्राप्ति में कमी होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ₹13 करोड़ की कमी दर्ज करता है।

विद्युत बिक्री से प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का एक मुख्य घटक होने के कारण, वर्ष 2014-15 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व का 72.19 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 74.63 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष 2018-19 के दौरान 3.01 प्रतिशत तक बढ़ गया।

“अन्य” श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियों में ‘जल उपयोग प्रभार’ शामिल किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010, यथा संशोधित 25 अक्टूबर 2012 तथा 27 अक्टूबर 2014, के प्रावधान के अंतर्गत हाइड्रोपावर जनरेटिंग कंपनियों पर जल के प्रति क्यूसेक पर 25 पैसे की दर से जल उपयोग प्रभार लगाया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहण से प्राप्त आय को, सचिव, वित्त विभाग द्वारा रखरखाव किए जाने वाले एक अलग से बचत बैंक खाते में क्रेडिट किया जाना होता है तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक तथा बहु-उद्देश्यीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को स्थापित करने तथा राज्य में पहले से स्थापित हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की पुनः खरीद के लिए तथा विद्युत क्रय हेतु उसको प्रयोग में लाया जाना होता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने जल उपयोग प्रभार पर ₹674.97 करोड़ की राशि एकत्रित की जिसको विद्युत क्रय के लिए समायोजित किया गया तथा मार्च 2019 के अंत में बैंक खाते में शेष ₹4.34 करोड़ की राशि थी तथा उस पर अर्जित ब्याज को राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया।

उपभोक्ताओं से विद्युत की न वसूल की गई लागत का भार तथा विद्युत की खरीद पर कम भुगतान के कारण देयताओं का सृजन।

राज्य में, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है क्योंकि डी-बंडलिंग तथा विद्युत सुधारों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है (मार्च 2019)। इसलिए, विद्युत की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति पर प्राप्तियां एवं व्यय राज्य सरकार के लेखाओं का हिस्सा बनते हैं। विद्युत विकास विभाग के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच लगातार बढ़ता अंतर सरकार के बजट में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन है तथा जिसके कारण संसाधनों की निकासी होती है, जिन्हें अन्यथा विकासात्मक परिव्यय के लिए परिनियोजित किया जा सकता था। विद्युत की खरीद के प्रति प्रदत्त राशि तथा विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्तियों के बीच गैप के रुझानों को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.10: विद्युत विकास विभाग के कार्य निष्पादन में कमी

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विद्युत खरीदी की लागत #	लक्षित राजस्व	वास्तविक प्राप्त राजस्व	विद्युत खरीदी पर भुगतान की गई राशि
2014-15	5,207	2,630	1,428	4,404
2015-16	5,294	2,980	1,477	6,127
2016-17	5,619	4,741	2,770	6,132
2017-18	5,709	4,841	3,151	3,036
2018-19	7,167	5,042	3,246	5,265

(स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट तथा वित्त लेखें) # विभागीय आंकड़े

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान टैरिफ एकत्रित करने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत की बिक्री के कारण ₹5,042 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के प्रति ₹3,246 करोड़ की प्राप्ति हुई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व, सभी वर्षों में खरीद की लागत से कम था। राज्य द्वारा, इसके राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्यों को खरीद की लागत से कम रखा गया। संबंधित वर्ष के दौरान विद्युत खरीद की लागत के प्रति राजस्व की कम उगाही राज्य सरकार पर भार के रूप में थी। विद्युत खरीद के मूल्य तथा विद्युत बिक्री से प्राप्त वास्तविक उगाही के बीच अंतर, परिचालन अक्षमताओं तथा विद्युत सुधारों को धीमी गति से लागू करने के कारण था। राज्य की एटी एंड सी संबंधी हानियां (50 प्रतिशत) बहुत अधिक हैं।

विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹7,167 करोड़ मूल्य की विद्युत खरीदी जिसके प्रति केवल ₹5,265 करोड़ का भुगतान किया। मार्च 2019 को विद्युत खरीद के बिलों का भुगतान न करने के कारण, विभाग पर ₹8,970 करोड़ की संचयी देयता थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने होने वाले राजस्व घाटे में ₹4,859 करोड़ तथा राजकोषीय घाटे में ₹13,337 करोड़ को दर्शाया, लेकिन बकाया विद्युत बिलों ₹8,970 करोड़ के कारण आस्थगित देनदारियों को ध्यान में रखने के बाद राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम बताया गया।

उदय के निहितार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम), ने वित्तीय बदलाव के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य डीआईएससीओएम की वित्तीय क्षमताओं तथा परिचालन को बेहतर बनाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की (नवंबर 2015)। राज्यों को डीआईएससीओएम ऋण का 75 प्रतिशत सितंबर 2015 को दो वर्षों में मिलना था अर्थात् डीआईएससीओएम ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में।

मार्च 2016 में, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बीच योजना उदय “उज्ज्वल डिस्कोम एश्योरेंस योजना” के अंतर्गत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, तथा आरबीआई द्वारा गैर वैधानिक मौद्रिक अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड्स 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत की रेंज की दरों पर, मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 की पूर्णता तिथि के साथ जारी बॉण्ड्स से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में तथा ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की सीमा तक निधियां उधार ली। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए इस धन राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देयताओं का निपटान करने के लिए किया गया था। राज्य सरकार को बॉण्ड्स पर ब्याज का भुगतान करना होता है तथा ₹353.755 करोड़ की राशि वाले बॉण्ड्स भी वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष परिपक्व होंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत जारी किए गए बॉण्ड्स पर ब्याज के प्रति राज्य सरकार ने ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए भारत सरकार ने मुख्य शीर्ष 1601 सहायता अनुदान के अंतर्गत एक उप मुख्य शीर्ष संचालित किया तथा योजनागत तथा गैर-योजनागत के वर्गीकरण को बंद कर दिया।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजना अनुदान	3343	11,135	12,776	--	--
केंद्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों/ केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	12,720	4,365	7,766	9,096	7,608
केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	87	1,228	56	--	--
वित्त आयोग अनुदान (उत्तर विचलन राजस्व घाटा अनुदान)	--	--	--	11,849	12,952
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	--	--	--	--	204
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	--	--	--	--	126
एसडीआरएफ हेतु सहायता अनुदान	--	--	--	--	253
राज्यों को अन्य स्थानांतरण/ अनुदान	--	--	--	620	461

जीएसटी के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए मुआवजा	--	--	--	1,137	1,462
कुल	16,150	16,728	20,598	22,702	23,066
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	56	47	49	47	45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

संघीय सरकार से पूर्ण रूप से प्राप्त सहायता अनुदान में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹16,150 करोड़ से वर्ष 2018-19 के दौरान ₹23,006 करोड़ तक की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 56 प्रतिशत से 45 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक ₹22,702 करोड़ से ₹23,066 करोड़ तक वृद्धि के कारण सहायता अनुदान में ₹364 करोड़ की वृद्धि हुई। रुझान इंगित करते हैं कि राज्य सरकार वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की 45 प्रतिशत की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान पर निर्भर है।

1.3.3 राज्य के बजट के बाहर, राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार से अनुदानों के रूप में ₹23,066 करोड़ की राशि का राज्य बजट के माध्यम से भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, (राज्य में चल रही केंद्र सरकार की अन्य संस्थाओं/ स्वायत्त निकायों को जारी ₹105.42 करोड़ को छोड़कर) ₹895 करोड़ की कुल राशि वाली 55 से अधिक योजनाएं थी, जिन्हें वर्ष 2018-19 के दौरान, संघीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निधियन मोड़ के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर की क्रियान्वयन एजेंसियों (संस्थाओं, निगमों, समितियों आदि) के लिए जारी रखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में, संघ सरकार से क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण में ₹210 करोड़ अर्थात् 19 प्रतिशत की कमी हुई (परिशिष्ट 1.8)। ये निधियां, राज्य सरकार की बजटीय तथा लेखांकन प्रणाली से बाहर हैं। वर्ष के दौरान जहां धनराशि ₹100 करोड़ या इससे अधिक है, की योजनाओं को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित मुख्य निधियां (अलेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/ योजना का नाम	राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	निम्न के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्गत कुल निधियां
		2018-19
चेनाब घाटी विद्युत के लिए जम्मू एवं कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पाकुल दुल एचईपी (हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना) के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	100.00
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	एनआईटी श्रीनगर।	191.59
कुल		291.59

(स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

1.3.4 केंद्रीय कर हस्तांतरण

केंद्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटक तालिका 1.13 में दिए गए हैं:

तालिका 1.13: केंद्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी के घटक

(₹ करोड़ में)

संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के घटक	13वें वि.आ. एवं 14वें वि.आ. के अधिनिर्णय की अवधि				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निगम कर	1,833.83	2,976.52	3,623.44	3,824.16	4,910.14
सीमा शुल्क	849.30	1,507.13	1,558.67	1,260.30	1,000.82
आय कर	1,309.53	2,075.73	2,518.30	3,229.22	3,616.11
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.00	5.78	0.03	0.00	7.28
परिसंपातियों पर कर	4.95	0.60	8.29	-0.11	1.80
आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.04	0.06	0.00	0.00	25.57
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	479.58	1,247.66	1,779.87	2,020.60	665.11
सीजीएसटी	एनए	एनए	एनए	316.80	3,484.87
आईजीएसटी	एनए	एनए	एनए	1,260.68	278.10
कुल योग	4,477.23	7,813.48	9,488.60	11,911.65	13,989.80
राज्य की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण	15.47	21.84	22.60	24.55	27.31

एनए: 8 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन होने के कारण लागू नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाया जाए। तदनुसार केंद्रीय कर (सेवा कर शामिल नहीं) की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 1.854 प्रतिशत निर्धारित था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹13,989.80 करोड़ में संघीय करों का हिस्सा, वर्ष 2017-18 की तुलना में ₹2,078.15 करोड़ अधिक था। 13वें वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग के दौरान केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण 15.47 प्रतिशत से बढ़कर 27.31 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में 17.45 प्रतिशत थी।

1.3.5 उपकर लगाकर सृजित निधियां

बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण कर अधिनियम 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा निर्माण की लागत पर, राज्य सरकार उपकर एकत्रित करती है। एकत्रित उपकर निर्माण करने वाले कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं पर व्यय किया जाना होता है। इस उद्देश्य के लिए, जम्मू एवं कश्मीर बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया। मार्च 2018 को ₹450.56 करोड़ का शेष था तथा वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उपकर, मासिक अंशदान, ब्याज आदि के रूप में ₹155.12 करोड़ प्राप्त किए। इसमें से, दिनांक 31 मार्च 2019 को बोर्ड ने ₹532.94 करोड़ का अंतशेष छोड़ते हुए, श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यय पर ₹72.74 करोड़ व्यय किए। श्रम उपकर के मद में कटौती की गई राशि सचिव, जम्मू एवं कश्मीर बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के नाम से आधिकारिक बैंक खाते में रखी जा रही है तथा सरकारी लेखा से बाहर रखी गई है।

1.3.6 केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्यों को सहायता अनुदान

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए अनुदानों के रूप में ₹6,178.37 करोड़ का अनुमान लगाया गया (2015-20)। इसके प्रति, ₹753.26 करोड़, ₹1,078.44 करोड़ ₹1,214.56 करोड़ तथा ₹1,373.11 करोड़ वर्ष 2015-19 के दौरान निर्गम/ आबंटित किए जाने थे। जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 1.14: निर्गम की तुलना में वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुमान

(₹ करोड़ में)

घटक					कुल अनुमान					कुल निर्गम	शेष
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)	125.30	224.71	258.41	297.71	906.13	शून्य	शून्य	शून्य	125.30	125.30	780.83
ग्रामीण स्थानीय निकाय (आएलबी)	373.96	585.73	675.15	779.40	2,414.24	367.72	शून्य	शून्य	203.81	571.53	1,842.71
एसडीआरएफ (राज्य के हिस्से सहित)	254.00	268.00	281.00	296.00	1,099.00	254.00	254.70	13.50	280.90	803.10	295.90
कुल	753.26	1,078.44	1,214.56	1,373.11	4,419.37	621.72	254.70	13.50	610.01	1,499.93	2,919.44

(स्रोत: 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

वर्ष 2015-19 के दौरान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से ₹1,499.93 करोड़ की राशि (राज्य के हिस्से सहित) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई। 2018-19 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा ₹610.01 करोड़ जारी किए गए जिसमें 2015-16 में यूएलबी के ₹125.30 करोड़, 2016-17 में आएलबी की प्रथम किश्त के ₹203.81 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 में एसडीआरएफ के ₹252.90 करोड़ (भारत सरकार), ₹28 करोड़ (राज्य के हिस्से) का अनुदान शामिल हैं। (परिशिष्ट 1.9)

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली, ऋण से प्राप्तियां अर्थात्- भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण, कर्ज तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.15: प्राप्तियों की रचना तथा वृद्धि में रुझानों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सीआर)	10,262	14,649	20,768	25,561	25,340
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	3	4	19	4	4
लोक ऋण प्राप्तियाँ	10,259	14,645	20,749	25,557	25,336
बाजार ऋण	1,400	2,250	2,790	6,200	6,684
बॉण्ड्स	202	2,342	1,440	41	4
वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,197	1,045	646	668	402
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम	7,448	8,991	15,848	18,617	18,242
भारत सरकार से ऋण	12	17	25	31	4
लोक ऋण प्राप्ति के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	14	15	13	24	26
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि विकास दर (प्रतिशत)					
लोक ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से	71	43	42	23	(-01)
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से	(-25)	33	375	(-79)	0
चालू कीमतों पर जीएसडीपी से	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
पूँजीगत प्राप्तियों से	71	43	42	23	(-01)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

पूँजीगत प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 में ₹10,262 करोड़ से 2018-19 में ₹25,340 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार ऋणों में (वर्ष 2014-15 में ₹1,400 करोड़ से 2018-19 में ₹6,684 करोड़ तक) तथा ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम में (वर्ष 2014-15 में ₹7,448 करोड़ से 2018-19 में ₹18,242 करोड़ तक की) वृद्धि होना था। 2018-19 में पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹221 करोड़ घटी जिसका मुख्य कारण वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम में कमी होना था।

लोक ऋण प्राप्तियों में 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹10,259 करोड़ से वृद्धि होकर ₹25,557 करोड़ हो गई तथा यह वर्ष 2018-19 में ₹25,336 करोड़ तक घट गई।

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों के हिस्से में वर्ष 2017-18 में 24 प्रतिशत से 2018-19 में 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संवितरित तथा वसूल किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.16: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, संवितरित तथा वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित ऋणों की मात्रा तथा वसूली	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आरंभिक शेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	86.80	93.79	76.24	24.75	69.15
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	2.69	4.09	19.36	4.41	4.24
अंत शेष*	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86	1,725.77
कुल जमा	84.11	89.70	56.88	20.34	64.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

*भिन्नता पूर्णांक करने के कारण है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, कुल बकाया ऋणों में ₹1,493.94 करोड़ से ₹1,725.77 करोड़ की वृद्धि में बढ़ते रुझान दर्ज किए गए। ₹1,725.77 करोड़ में से ऋणों के मुख्य हिस्से के रूप में ₹910.16 करोड़ की राशि सात संस्थाओं के प्रति बकाया थी। (मार्च 2019)। ₹910.16 करोड़² की बकाया राशि के प्रति, वर्ष 2018-19 में केवल ₹1.25 करोड़ ही वसूल किए गए। ऋणों की वसूली की स्थिति खराब होने के कारण वर्ष 2014-15 में ₹1,493.94 करोड़ से 2018-19 में ₹1,725.77 करोड़ तक बकाया शेष में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली बकाया ऋणों की 0.25 प्रतिशत थी।

कृषि उद्योगों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम को दिए हुए ऋणों तथा अग्रिमों की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि मार्च 2018 को क्रमशः ₹7.94 करोड़ तथा ₹346.72 करोड़ के ऋण बकाया थे। वसूली की खराब प्रक्रिया के बावजूद, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹37.98 करोड़ तथा ₹30.00 करोड़ के नए ऋण जारी किए तथा वर्ष 2018-19 के दौरान इन संस्थाओं से कोई वसूली नहीं की गई। मार्च 2019 तक, ₹45.93 तथा ₹376.72 करोड़ राशि के ऋण कृषि उद्योगों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रति बकाया थे, जो क्रमशः ₹42.10 करोड़ तथा ₹1,148.12 करोड़ की उनके अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार कुल संचित हानिया थी। इस प्रकार, ऋणों की वसूली को

² (1) नगरपालिकाएं ₹5.17 करोड़ (शून्य वसूली), (2) विकास प्राधिकरण, श्रीनगर- ₹1.91 करोड़ (शून्य वसूली), (3) सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम (जम्मू-कश्मीर, एचपीएमसी लिमिटेड- ₹12.66 करोड़ (शून्य वसूली), (4) विद्युत बोर्ड, जेकेपीडीसी - ₹85.04 करोड़ (शून्य वसूली), (5) कृषि उद्योग- ₹45.93 करोड़ (शून्य वसूली), (6) जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड - ₹382.73 करोड़ (₹1.25 करोड़), (7) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड - ₹3,76.72 करोड़ (शून्य वसूली)

सुनिश्चित किए बिना ही राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति दी गई थी। वसूली लगभग नगण्य होने के कारण सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए कि लेखें सही स्थिति दर्शाते हैं, इन लेखाओं को पूंजीगत व्यय की जगह राजस्व व्यय में अनुदानों/सहायिकियों के रूप में बुकिंग करने विचार कर सकती है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आंतरिक ऋण के रूप में ₹25,332 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान ₹6,684 करोड़ का बाजार ऋण तथा वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से प्राप्त ₹402 करोड़ का ऋण शामिल था जो पिछले वर्ष के ₹25,526 करोड़ की आंतरिक ऋण प्राप्तियों से ₹194 करोड़ कम था। बाजार उधारी की प्रवृत्तियां पैराग्राफ 1.10 में विस्तृत रूप से दी गई है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों में 2017-18 में ₹31.60 करोड़ की राशि में से वर्ष 2018-19 में ₹3.94 करोड़ तक घटने के कारण ₹27.66 करोड़ तक की कमी हुई तथा वर्ष के दौरान ₹117 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

राज्य के लोक लेखाओं में जमा की गई राशियों के संबंध में सरकार एक संरक्षक या बैंकर के रूप में कार्य करती है तथा प्रत्येकी देयताओं को वहन करती है। लोक लेखाओं के प्रमुख घटक राज्य भविष्य निधि, बीमा/ पेंशन बीमा निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम हैं। इसके अलावा, सरकारी लेखाओं के लोक लेखें खंड का उपयोग ट्रांज़िटररी को रिकॉर्ड करने तथा उन्हें उपयुक्त प्राप्ति या लेखें के भुगतान शीर्ष में नकद शेष सव्यंवाहार के रूप में उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उचंत तथा विविध तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सव्यंवाहारों के माध्यम से पारित किया जाता है। निम्न तालिका 1.17 लोक लेखाओं के विभिन्न भागों के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों में प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं।

तालिका 1.17: लोक लेखा रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लोक लेखें के घटक	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से ऊपर प्राप्तियों की अधिकता	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
लघु बचते (राज्य भविष्य निधि पेंशन/ बीमा निधि)	5,032	8,858	3,476	3,534	1,556	5,324
आरक्षित निधियां	419	695	129	373	290	322
जमा	4,894	4,914	3,810	4,360	1,084	554
प्रेषण	934	2,741	3,889	740	(-)2,955*	2,001

नकद शेष निवेश लेखा में प्राप्तियां	15,576	20,846	15,576	20,846	0	0
अन्य उचंत तथा विविध	3,842	1,053	3,981	649	(-139)	404
कुल	30,697	39,107	30,861	30,502	(-164)	8,605

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

*प्रेषणों के अंतर्गत पिछले वर्ष के लेखें में समायोजन/ गैर-समायोजन के कारण प्राप्तियों की अधिकता से ज्यादा संवितरण किया गया था।

लोक लेखाओं की प्राप्तियां 2017-18 में ₹30,697 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹39,107 करोड़ हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः प्रेषणों के अंतर्गत कम संवितरण के कारण वर्ष 2017-18 में ₹30,861 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹30,502 करोड़ राशि के संवितरणों में भी कमी हुई। 2017-18 में प्राप्तियों पर संवितरण की अधिकता ₹164 करोड़ थी जो लघु बचतों (सातवें वेतन आयोग से संबंधित बकाया का जीपीएफ में हस्तांतरण के कारण) के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि होने के कारण यह 2018-19 के दौरान ₹8,605 करोड़ तक संवितरण पर प्राप्तियों की अधिकता में परिवर्तित हो गई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग


राज्य अपने शासकीय कार्यों का निष्पादन करने, तथा आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के वितरण के स्तर को अनुरक्षित रखने, पूंजीगत व्यय, तथा निवेश द्वारा इन सेवाओं के प्रसार में विस्तार करने तथा ऋण सेवा दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संसाधनों को जुटाता है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया निर्देशित लोक व्यय गुणवत्ता की सरचना का अनुरक्षण, नई सरचना का सृजन तथा विकास तथा सामाजिक न्याय की अन्य जरूरतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित तो नहीं करती है।

1.6.1 व्यय का संयोजन तथा वृद्धि

चार्ट 1.12 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.12: कुल व्यय प्रवृत्तियां तथा संयोजन


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)


उक्त चार्ट 1.12 से, यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय में 2014-15 में ₹34,550 करोड़ से 2018-19 में ₹64,572 करोड़ तक ₹30,022 करोड़ (86.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी समय में पूंजीगत व्यय में (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) ₹5,221 करोड़ (₹5,134 करोड़+₹87 करोड़) से ₹8,482 करोड़ (₹8,413 करोड़+₹69 करोड़) तक ₹3,261 करोड़ (62.46 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 2014-15 में ₹29,329 करोड़ 2018-19 में ₹56,090 करोड़ तक ₹26,761 करोड़ (91.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कुल व्यय में राजस्व का प्रमुख हिस्सा था क्योंकि 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व व्यय पर 80 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक व्यय किया गया था।

चार्ट 1.13: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



2018-19 के दौरान, राजस्व व्यय का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 में पूंजीगत व्यय में (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) ₹3,279 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके कुल व्यय में हिस्सा पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण 2014-15 में 14.86 प्रतिशत से 2017-18 में 20.18 प्रतिशत बढ़ा। यह 2017-18 में 20.18 प्रतिशत से 2018-19 में 13.03 प्रतिशत तक घटा जिसमें वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में ₹2,261.99 करोड़ के राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण भी शामिल है संवितरित ऋणों तथा अग्रिमों की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.25 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.11 प्रतिशत हो गई थी।

चार्ट 1.14: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)



सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का एक संयुक्त हिस्सा जो विकास व्यय को दर्शाता है, जो 2014-15 में 63 प्रतिशत से 2018-19 में 67 प्रतिशत के बीच रेंज में विकास व्यय को दर्शाता है। व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्ष हिस्सेदारी की गतिविधि ने संकेत दिया कि 2018-19 में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 37 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष में यह 35 प्रतिशत था, जबकि सामाजिक सेवाएं 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक सेवाएं 2018-19 में 34 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में विकास राजस्व व्यय में कमी होने के कारण 65 प्रतिशत से घटकर 63 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.18 पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19 तक) से अधिक राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	29,329	36,420	39,812	40,916	56,090
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.39	24.18	9.31	2.77	37.09
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	30	31	32	30	36

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय में ₹26,761 करोड़ (91.24 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई लेकिन, उसी अवधि के दौरान जीएसडीपी से इसका प्रतिशत 30 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹40,916 करोड़ से ₹56,090 करोड़ तक ₹15,174 करोड़ (37.08 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं के अंतर्गत

₹16,888 करोड़ से ₹22,850 करोड़ तक ₹5,962 करोड़ की वृद्धि हुई, सामाजिक सेवाओं में ₹4,814 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो ₹13,117 करोड़ से बढ़कर ₹17,931 करोड़ तक हुई जो मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति स्वच्छता, पेंशन तथा विविध सेवाओं के अंतर्गत थी तथा मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं में ₹4,398 करोड़ की वृद्धि हुई।

2018-19 में ₹56,090 करोड़ का राजस्व व्यय 14वें वित्त आयोग के द्वारा किए गए प्रक्षेपण (₹40,506 करोड़) से भी अधिक था जो मुख्य रूप से वेतन तथा पेंशन भुगतान के कारण हुआ था।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन पर व्यय तथा सहायिकिया निहित हैं। तालिका 1.19 तथा चार्ट 1.15 2014-15 से 2018-19 तक के दौरान इन घटकों पर व्यय में हुई प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	11,802	15,060	15,154	16,143	24,010	24,154
ब्याज भुगतान	3,533	3,719	4,567	4,663	4,725	5,209
पेंशन पर व्यय	3,686	3,781	4,216	5,408	5,100	7,519
सहायिकी	55	68	1,337	1,306	0	1,304
कुल	19,076	22,628	25,274	27,520	33,835	38,186
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	66	63	60	57		74
राजस्व व्यय का प्रतिशत	65	62	63	67		68

(स्रोत संबंधित वर्ष के वित्त लेखें)

चार्ट 1.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)



पेंशन भुगतान ने 2014-15 में ₹3,686 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹7,519 करोड़ तक वृद्धि की तथा पिछले वर्ष की तुलना में 39.03 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तथा ब्याज भुगतान 2014-15 में ₹3,533 करोड़ से 2018-19 में ₹5,209 करोड़ तक ₹1,676 करोड़ (47.43 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2017-18 में ₹16,143 करोड़ से 2018-19 में ₹24,154 करोड़ तक 2018-19 के दौरान ₹8,011 करोड़ (49.61 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई जो मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण हुई।

वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य सहायिकियों के लेखाओं के कारण प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष के 67 प्रतिशत के प्रति 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत निहित था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य सहायिकियों के कारण प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष 57 प्रतिशत के प्रति 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 74 प्रतिशत निहित था।

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान वेतनों पर व्यय में ₹12,352 करोड़ (104.64) प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का सीएजीआर 49.54 प्रतिशत था, जो एससीएस से (14.70 प्रतिशत) अधिक था (परिशिष्ट 1.1)।

ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों से ब्याज के भुगतान का प्रतिशत 2014-15 में 12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 10 प्रतिशत तक हो गया। ब्याज भुगतानों में पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) की अवधि में ₹3,553 करोड़ से ₹5,209 करोड़ तक ₹1,676 करोड़ (47.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई इसमें पिछले वर्ष से ₹546 करोड़ (11.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹5,209 करोड़ के ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से अधिक थे (₹4,319 करोड़)।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹3,833 करोड़ (103.99 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय (₹56,090) का 6.83 प्रतिशत थी। 2018-19 में पेंशन भुगतानों पर व्यय 14वें वित्त आयोग (₹5,897 करोड़) द्वारा किए गए आंकलनों से अधिक था जो मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के कारण हुआ। पेंशन देयताओं की वृद्धि को पूरा करने के लिए, राज्य द्वारा एक नई परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) की शुरुआत की गई जो 01 जनवरी 2010 से लागू हुई।

सहायिकी

सहायिकी पर व्यय में 2014-15 में ₹55 करोड़ से 2018-19 में ₹1,304 करोड़ तक ₹1,249 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान सहायिकी पर व्यय राजस्व व्यय (₹56,090) का दो प्रतिशत था। वे प्रमुख शीर्ष जिन पर उस वर्ष के दौरान सहायिकी प्रदान की गई थी, विद्युत विकास विभाग (₹1,200 करोड़) तथा कृषि उत्पादन विभाग (₹12.63 करोड़) थे।

नई पेंशन योजना

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नई पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत 01 जनवरी 2010 से की गई थी। एन.पी.एस जो उन सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने 01 जनवरी 2010 से सरकारी सेवाओं में पद का कार्यभार ग्रहण किया था, एक “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” है जिसमें नियोक्ता तथा कर्मचारी प्रत्येक माह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने ₹423.88 करोड़ व्यय किए जो कर्मचारियों के अंशदान के बराबर थे। कर्मचारियों के ₹421.61 करोड़ के अंशदान सहित ₹845.49 करोड़ की कुल राशि प्रमुख शीर्ष 8342-“अन्य जमा” के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों हेतु 117 “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” में हस्तांतरित की गई। ₹904.90 करोड़ (₹59.41 करोड़ की पिछली देयताओं सहित) में से ₹783.22 करोड़ को नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधन को जमा लेखाओं के इस शीर्ष से हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2019 तक एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक में हस्तांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित सरकारी कर्मचारियों की (जो वास्तव में ब्याज सहित जमा करवाई जा रही है) ₹121.68 करोड़ की राशि प्रमुख शीर्ष 8342- “अन्य जमा” 117- “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” के अंतर्गत थी।

उपार्जित ब्याज सहित संग्रहित, बेमेल तथा हस्तांतरित राशि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की उन बकाया देयताओं को प्रस्तुत करती है जिसकी संगणना नहीं की गई है। वर्ष 2018-19 की शुरुआत से नई पेंशन योजना से संबंधित ₹59.41 करोड़ का शेष था जिस पर ₹4.64 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था (वर्ष 01-04-2018 से 30-09-2018 तक के लिए 8.00 प्रतिशत ब्याज दर तथा 01-10-2018 से 31-03-2019 के लिए 7.60 प्रतिशत ब्याज दर पर जीपीएफ लेकर) जो ब्याज सहित जमा के अंतर्गत ₹59.41 करोड़ के शेष पर था परंतु राज्य सरकार ने जमा एनपीएस पर ब्याज नहीं दिया था। इस प्रकार, राज्य सरकार ने उस राशि पर देयता ब्याज का सृजन किया जो एनएसडीएल में हस्तांतरित नहीं हुआ; कर्मचारियों से संबंधित निधियो

को गलत तरीके से प्रयोग किया गया तथा प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में अनिश्चितता उत्पन्न हुई जिससे योजना स्वयं असफलता की ओर अग्रसर हुई। सरकार ब्याज सहित उस बकाया राशि को बिना विलंब के जमा कर सकती है जो जीपीएफ पर दिए गए ब्याज भुगतान की दर से कम न हो।

1.6.4 स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली सहायता को निम्नलिखित रूप से सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों/ स्वायत्त निकायों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	303.68	506.89	519.02	1,489.30	1,886.69
आवास तथा शहरी विकास	447.55	512.50	518.33	627.45	619.08
कृषि	158.93	186.79	265.59	243.66	329.60
सामान्य प्रशासन	12.55	13.11	17.35	38.37	28.56
उद्योग तथा वाणिज्य	20.32	21.47	20.29	39.98	35.00
पर्यटन	20.50	33.23	18.71	31.85	54.53
न्याय प्रशासन	4.77	6.01	5.97	6.94	12.48
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	134.82	51.81	337.06	245.41	240.66
अन्य	432.23	190.87	26.83	31.15	118.90
कुल	1,535.35	1,522.68	1,729.15	2,754.11	3,325.50
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	5.23	4.18	4.34	6.73	5.93

(स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वित्तीय सहायता में वर्ष 2014-15 में ₹1,535.35 करोड़ से वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹3,325.50 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल सहायता (3,325.50 करोड़) का 75.35 प्रतिशत शिक्षा व खेल, कला तथा संस्कृति तथा आवास तथा शहरी विकास को दिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1,144.19 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास (जिसमें से लेह को ₹546.24 करोड़ तथा कारगिल को ₹597.95 करोड़ दिए गए थे) को प्रदान की गई थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक तथा प्रत्यक्ष आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रायः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलतः तीन पहलू शामिल हैं: व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता (उपयोग) तथा प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानव विकास को बढ़ाने के लिए, राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय निर्धारित करने की आवश्यकता है। तालिका 1.21 वर्ष 2018-19 के दौरान विकास हेतु व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधी सरकार की राजकोषीय क्षमता तथा राजकोषीय प्राथमिकता का विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के संबंध में विश्लेषण करता है।

तालिका 1.21: 2014-15 तथा 2018-19 में विशेष श्रेणी के राज्य (एससीएस) की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	एई/जीए सडीपी	एसएस ई/एई	ईएसई/एई	डीई/एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य/एई
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2014-15	26.00	36.27	30.49	66.76	14.46	18.52	5.60
जम्मू एवं कश्मीर (अनुपात) 2014-15	35.12	29.26	33.88	63.39	14.86	13.06	5.83
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2018-19	26.73	35.75	29.08	64.82	15.69	18.21	6.48
जम्मू एवं कश्मीर (अनुपात) 2018-19	41.81	32.25	30.99	63.35	13.03	16.83	6.85


एई:-समुच्चय व्यय, डीई-विकास हेतु व्यय, एसएसई सामाजिक क्षेत्र हेतु व्यय

सीई:-पूंजीगत व्यय ईएसई- आर्थिक क्षेत्र

जीएसडीपी के लिए स्रोत आर्थिक निदेशालय तथा सांख्यिकीय विभाग जम्मू एवं कश्मीर

चार्ट 1.16: वर्ष 2018-19 के लिए सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता

(प्रतिशत में)



राजकोषीय प्राथमिकता:

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सकल व्यय 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान एससीएस अधिक था।
- वर्ष 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षा को दी गई प्राथमिकता एससीएस से कम थी।
- वर्ष 2014-15 के दौरान एई से सीई का अनुपात अधिक था परंतु जम्मू एवं कश्मीर में 2018-19 के दौरान एससीएस की तुलना में कम था।
- 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में एई से एसएसई का अनुपात कम था, हालांकि 2014-15 तथा 2018-19 में आर्थिक क्षेत्र में यह अधिक था, जब एससीएस से तुलना की गई।

1.7.2 उपयोग किए गए व्यय की दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उचित व्यय युक्तिकरण उपायों को अपनाए तथा मुख्य सार्वजनिक तथा लाभदायक सेवाओं के प्रावधान पर जोर दे। विकास हेतु व्यय के आवंटन में सुधार के अलावा, विशेष रूप से मौजूदा वर्षों में ऋण सेवा में गिरावट के कारण राजकोषीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) से पूंजीगत व्यय के अनुपात के द्वारा तथा मौजूदा सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय किए गए राजस्व के अनुपात द्वारा भी व्यय के उपयोग की दक्षता को दर्शाया जाता है। कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतनी ही

व्यय की गुणवत्ता अधिक होगी, इससे व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। तालिका 1.22 पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के समुच्चय व्यय से संबंधी विकास व्यय में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

2014-15 से 2018-19 के दौरान विकास हेतु व्यय में ₹19,002 करोड़ (86.76 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया तथा 2016-17 तक यह 63.40 प्रतिशत से 67.03 प्रतिशत तक बढ़ी, उसके बाद कुल व्यय की तुलना में 63.35 प्रतिशत तक घटी।

तालिका 1.22: विकास हेतु व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल व्यय	34,550	43,845	48,174	51,294	64,572
कुल विकास व्यय	21,903	29,058	32,295	33,603	40,905
विकास राजस्व व्यय (₹करोड़ में)	17,290	22,745	24,702	24,028	33,240
कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	50.04	51.87	51.28	46.84	51.48
विकास पूंजीगत व्यय (₹करोड़ में)	4,526	6,219	7,517	9,550	7,596
कुल व्यय में विकास पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	13.10	14.18	15.60	18.62	11.76
विकास के लिए ऋण तथा अग्रिम (₹करोड़ में)	87	94	76	25	69
कुल व्यय से कुल विकास व्यय (प्रतिशत में)	63.40	66.27	67.03	65.51	63.35

(स्रोत संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखों)

कुल व्यय में विकास हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 13.10 प्रतिशत से 2017-18 में 18.62 प्रतिशत तक बढ़ी तथा 2018-19 में 11.76 प्रतिशत घटी, जबकि 2014-15 से 2015-16 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 50.04 प्रतिशत से 51.87 प्रतिशत हो गई, तत्पश्चात् दो वर्ष की गिरावट के साथ 2017-18 के दौरान यह 46.84 प्रतिशत तक घटी तथा 2018-19 के दौरान यह बढ़कर 51.48 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के ₹2,262 करोड़ के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में उस सीमा तक बढ़ोतरी हुई जिसे पैरा-1.11.1 (तालिका-1.33 में दिखाया गया है।) 2018-19 में विकास हेतु पूंजीगत व्यय में कमी यह दर्शाती है कि सरकार ने विकास निर्माण कार्यों तथा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कम खर्च किया गया है।

तालिका 1.23 चयनित आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के रखरखाव पर हुए राजस्व घटकों तथा पूंजीगत व्यय का विवरण प्रदान करती है

तालिका 1.23: चयनित आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/ आर्थिक संरचना	2016-17			2017-18			2018-19		
	सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा	
		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम
सामाजिक क्षेत्र (एसएस)									
सामान्य शिक्षा	8.93	69.46	0.02	11.26	63.00	0.03	7.30	69.19	0.00
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	15.47	70.30	0.82	16.59	72.65	0.88	19.76	72.97	0.76
जलापूर्ति, स्वच्छता व आवास तथा शहरी विकास	31.23	49.19	4.43	32.79	42.39	4.93	29.70	55.82	3.61
अन्य	22.54	14.33	0.03	19.91	15.54	0.01	10.48	16.37	0.01
कुल (एसएस)	16.62	59.07	0.91	17.52	56.26	0.98	13.90	62.45	0.63
आर्थिक क्षेत्र (ईएस)									
कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ	27.26	80.02	0.24	31.09	80.29	0.25	17.35	82.15	0.13
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	47.94	61.62	9.32	41.71	62.54	8.73	28.54	83.35	5.52
बिजली तथा ऊर्जा	7.98	7.60	0.74	11.54	12.74	1.58	2.66	12.03	0.75
यातायात	51.68	0.03	12.09	54.08	0.01	7.10	32.08	0.01	5.41
अन्य	57.42	41.56	0.75	62.30	44.79	0.92	17.92	43.88	0.54
कुल (ईएस)	28.40	24.76	1.67	38.26	31.91	2.23	23.48	32.09	1.35
कुल (एसएस)+(ईएस)	23.33	40.82	1.31	28.44	45.20	3.41	18.60	48.47	0.96

(टीई: संबंधित सेवाओं पर कुल व्यय; सीई पूंजीगत व्यय; आरई राजस्व व्यय; एस एवं डब्ल्यू वेतन तथा मजदूरी; ओ एवं एम: परिचालन तथा रखरखाव)

सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में कुल व्यय के लिए पूंजीगत व्यय का अनुपात 2016-17 में 23.33 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 28.44 प्रतिशत हो गया तथा 2018-19 में घटकर 18.60 प्रतिशत हो गया, यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 2018-19 में आर्थिक क्षेत्र में 38.26 प्रतिशत से 23.48 प्रतिशत व्यय में हुई कमी के कारण हुई थी। विद्युत तथा ऊर्जा, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ तथा यातायात शीर्षों के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र के व्यय में कमी हुई।

1.8 सरकार के पूंजीगत व्यय तथा निवेश का वित्तीय मूल्यांकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने वित्तीय घाटे को निम्न स्तर पर रखे बल्कि अपने पूंजीगत व्यय/ निवेश (ऋण तथा अग्रिम सहित) की आवश्यकताओं को राजस्व से पूरा करें। इसके अलावा, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के लिए संव्यवहार में, राज्य सरकार को अपने

निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए उपाय करने तथा अंतर्निहित सहायिकी के रूप में अपने बजट पर उसका वहन करने की बजाय उधार ली गई निधियों की लागत की वसूली करने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह भाग पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर 31 मार्च 2019 तक ₹एक करोड़ या उससे अधिक की लागत की अपूर्ण परियोजनाओं के ब्यौरे वित्तीय लेखाओं के परिशिष्ट IX में दिए गए हैं। 291 अपूर्ण परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.24: 31 मार्च 2019 तक अपूर्ण परियोजनाओं के विभागानुसार प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजना लागत	संशोधित लागत	वास्तविक व्यय सहित	लागत से अधिक
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई), श्रीनगर*	240	800.66	800.92	402.04	0.26
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई), जम्मू।	44	83.88	99.57	81.60	15.69
ईएम एवं आरई जम्मू।*	02	5.51	5.51	4.22	0.00
लोक निर्माण विभाग (आर एवं बी), जम्मू*	04	47.07	47.07	5.42	0.00
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, जम्मू*	01	2.55	2.55	2.55	0.00
कुल	291	939.67	955.62	495.83	15.95

(स्रोत वित्त लेखें)

*234 अपूर्ण परियोजनाओं में संशोधित लागत वित्त लेखा-खण्ड-II के परिशिष्ट IX में नहीं दर्शायी गई है।

मार्च 2019 तक, ₹एक करोड़ या उससे अधिक लागत की 291 अपूर्ण परियोजनाएं, 2012-13 से 2018-19 के दौरान लक्ष्य तिथि में पूरी की जानी थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संस्वीकृत लागत ₹939.67 करोड़ थी जो ₹955.62 करोड़ तक संशोधित की गई थी। इन विभागों से संशोधित लागत के कारण (नवंबर 2019) अपेक्षित थे। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹495.83 करोड़ की राशि मार्च 2019 तक खर्च की जा चुकी थी। 291 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 166 परियोजनाएं एक वर्ष से भी अधिक की अवधि के लिए विलंबित की गई थी, सात परियोजनाएं पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए विलंबित की गईं तथा शेष 118 परियोजनाएं जो 2018-19 में

पूरी की जानी थी वे भी अपूर्ण थी। इस प्रकार, अपूर्ण परियोजनाएं/ निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को लंबी अवधि हेतु मिलने वाले इच्छित लाभों से वंचित करता है।

सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने में हुई विलंब के कारणों का विश्लेषण कर सकती है तथा इसकी पूर्णता के लिए कदम उठा सकती है ताकि अपेक्षित लाभों को प्राप्त किया जा सके।

1.8.2 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

₹499.40 करोड़ राशि के पूंजीगत व्यय सहित सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं³ के वित्तीय परिणाम मार्च 2019 के अंत तक यह दर्शाते हैं कि 2018-19 के दौरान इन योजनाओं से सिर्फ ₹0.20 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। योजनाओं की राजस्व प्राप्तियां प्रत्यक्ष निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। निर्माण कार्य व्यय तथा ब्याज प्रभारों का पूरा होने के पश्चात् इन निर्माण कार्यों को कुल ₹2.07 करोड़ (पूंजीगत परिव्यय का 0.41 प्रतिशत) का घाटा हुआ था। 2018-19 के दौरान प्रमुख हानि वहन करने वाली परियोजनाएं रनबीर कैनाल, प्रताप कैनाल तथा कठुआ फीडर थी।

1.8.3 निवेश तथा रिटर्न

वित्तीय लेखाओं की विवरणी 8 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक, राज्य का 25 कंपनियों में (₹282.76 करोड़), तीन सांविधिक निगमों में (₹355.64 करोड़), आठ सहकारी संस्थान/ स्थानीय निकायों में (₹37.83 करोड़) दो ग्रामीण बैंकों में (₹12.85 करोड़) तथा दो संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹689.42 करोड़ का संचयी निवेश था। तालिका 1.25 सरकारी उधार की औसत लागत की तुलना में निवेश पर रिटर्न का समग्र विवरण प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.25: निवेश पर रिटर्न

निवेश/ रिटर्न/ उधारी की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के दौरान निवेश (₹करोड़ में)	3.90	10.67	255.90	96.08	35.90
वर्ष के अंत में निवेश (₹करोड़ में)	537.17	547.83	803.74	653.52	689.42
रिटर्न (₹करोड़ में)	128.88	54.13	45.11	शून्य	शून्य
रिटर्न (प्रतिशत में)	23.99	9.88	5.61	शून्य	शून्य

³ 1. कठुआ फीडर कैनाल, 2. प्रताप कैनाल, 3. रनबीर कैनाल, 4. मार्तण्ड कैनाल, 5. जैनगीर कैनाल, 6. अहिजी कैनाल, 7. डडी कैनाल

सभी सरकारी देयताओं पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.60	7.17	7.77	7.15	7.07
रिटर्न तथा ब्याज दर में अंतर (प्रतिशत)	16.39	2.71	(-) 2.16	(-)7.15	(-)7.07

(स्रोत संबंधित वर्ष के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 के दौरान रिटर्न लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति ₹128.88 करोड़ जो घटकर 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमशः ₹54.13 करोड़, ₹45.11 करोड़ तक हो गई तथा 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। केवल जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से ही निवेश पर रिटर्न आया जिसमें सरकार की 59.23 प्रतिशत इक्विटी है। सरकारी निवेश पर रिटर्न ऐतिहासिक लागत पर है परन्तु निवल वर्तमान मूल्य आधार पर नहीं। वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश/ ब्याज की दर 23.99 प्रतिशत थी तथा यह आगामी वर्षों के दौरान निरन्तर घट गई तथा 2017-18 तथा 2018-19 में कोई भी रिटर्न नहीं था, जबकि कथित अवधि के दौरान निवेश ₹537.17 करोड़ से बढ़कर ₹689.42 करोड़ हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने ₹402.45 करोड़ (कंपनी - चार, वैधानिक निगम - दो तथा ग्रामीण/ सहकारी बैंक - दो) तक का निवेश किया जिसमें से सिर्फ दो⁴ ने ही लाभ प्राप्त किया तथा शेष पांच⁵ को निरन्तर हानि हुई तथा उनके लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के समय ₹3,150.23 करोड़ राशि की संयुक्त संचित हानि थी।

2018-19 के दौरान, राज्य द्वारा मुख्यतः हानि करने वाले वैधानिक निगमों/ सरकारी कंपनियों नामतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम (₹15.00 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹17.90 करोड़) तथा जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹0.45 करोड़) में निवेश किया गया था। हालांकि, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार इन वैधानिक निगमों/ सरकारी कंपनियों के पास - जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम (₹176.15 करोड़ 2017-18 तक), जम्मू एवं कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹1,148.11 करोड़ 2013-14 तक), जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹5 करोड़ 2001-02 तक) संचित हानियाँ थी। 31 मार्च 2019 तक राज्य का उपरोक्त तीन पीएसयू/ सरकारी कंपनियों में कुल निवेश ₹364.63 करोड़ है जिनकी संचित हानियाँ उनके लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक ₹1,329.27 करोड़ की थी। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य ने ₹2.55 करोड़ निवेश सहित एक नई कंपनी (जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन) को शामिल किया है।

⁴ जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट निगम तथा जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड

⁵ जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम, जे एण्ड के बैंक लिमिटेड, जे एण्ड के एससी/एसटी/ पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, ईलाकि देहाती बैंक

राज्य सरकार उन राज्य पीएसयू के कार्यों की समीक्षा कर सकती है जिन्हे हानि हुई तथा उनके समापन/पुनःप्रवर्तन के लिए एक सामरिक योजना बना सकती है, जैसा भी मामला हो।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में, निवेश के अतिरिक्त सरकार ऐसे बहुत से संस्थानों तथा संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर रही है। तालिका 1.26 पिछले पांच वर्षों में ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों की 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋण तथा अग्रिम स्थिति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26: राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिमों पर औसतन ब्याज प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

उधारी की लागत/ ब्याज प्राप्तियां/ ऋण की मात्रा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आरंभिक शेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	86.80	93.79	76.24	24.75	69.15
वर्ष के दौरान वसूल की गई रकम	2.69	4.09	19.36	4.41	4.24
अंत शेष	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86	1,725.77
उनका बकाया शेष जिनके लिए नियम तथा शर्तें निर्धारित की गई					
कुल जोड़	84.10	89.70	56.89	20.34	64.91
ब्याज प्राप्तियां	1.88	0.97	1.88	2.17	शून्य
बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत अनुसार ब्याज प्राप्तियां	0.13	0.06	0.11	0.13	शून्य
बकाया राजकोषीय देयताओं तथा ब्याज प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	7.31	6.72	7.34	6.84	6.58
ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (प्रतिशत में)	7.18	6.66	7.23	6.71	6.58

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

हानि वहन कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ऋण तथा अग्रिमों की वसूली की संभावना नहीं है। विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए एफआरबीएम विवरणियों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे कोई भी आंकलन नहीं किया गया है।

1.8.5 नकदी शेष तथा उनका निवेश

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए नकदी शेष तथा नकदी शेष निवेश के तुलनात्मक आकड़े निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.27: नकदी शेषों तथा नकदी शेषों के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	आरंभिक शेष 01 अप्रैल 2018	अंत शेष 31 मार्च 2019
(क) सामान्य नकद शेष		
राज्यकोष में शेष	6.77	6.77
रिजर्व बैंक के पास जमा	126.72	83.38
जम्मू एवं कश्मीर बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ जमा	21.02	21.02
स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	154.51	111.17
नकदी शेष निवेश खाता में धारित निवेश	383.92	383.92
कुल (क)	538.43	495.09
(ख) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यानि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों के पास शेष	4.97	4.97
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय स्थायी अग्रिम	0.12	0.12
निर्धारित निधियों में से निवेश	10.86	10.86
कुल (ख)	15.95	15.95
कुल योग (क)+(ख)	554.38	511.04

(स्रोत संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)

01 अप्रैल 2011 से राज्य सरकार अपने नकदी/ आवधिक प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है। 2018-19 के दौरान नकदी-शेष में ₹43 करोड़ की कमी हुई जो 31 मार्च 2018 तक ₹554 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2019 तक ₹511 करोड़ हो गई।

वर्ष 2018-19 के लिए नकदी शेष निर्धारित आरक्षित निधियों ₹2,486 की राशि के बराबर नहीं था जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य के लिए किया गया। 31 मार्च 2019 तक, ₹383.92 करोड़ की राशि नकद शेष निवेश खाता में रखी गई तथा चिन्हित निधियों से ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। राज्य सरकार ने इस पर ₹9.04 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम या अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) या ओवरड्राफ्ट्स को लिए बिना 187 दिनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹1.14 करोड़ अनिवार्य न्यूनतम दैनिक नकदी शेष को बनाए रखा, तथा 171 दिनों तक न्यूनतम शेष का अनुरक्षण साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के साथ तथा 7 दिनों पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया था। 01 अप्रैल 2018 तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ₹300.71 करोड़ का शेष था तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य शेष था। वर्ष 2018-19 के अंत तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ₹532.38 करोड़ शेष था तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत यह शून्य था तथा वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य अर्थोपाय

अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट्स पर भारतीय रिजर्व बैंक को क्रमशः ₹12.16 करोड़ तथा ₹0.15 करोड़ की राशि का ब्याज भुगतान किया गया था। सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भरता को कम करने के लिए इसके नगद प्रबंधन की सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

1.9 परिसंपत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

वर्तमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व की भूमि तथा भवनों जैसी अचल परिसंपत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया गया। हालांकि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं को ऐतिहासिक लागत अर्थात् न्यूनतम रूप में बिना समायोजित करते हुए मूल्य वृद्धि/ मूल्यहास नकद अंतर्वाह तथा बहिर्वाह के रूप में किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को लिखा जाता है। वर्ष 2018-19 के वित्तीय लेखाओं के विवरण 12, निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग का अवलोकन प्रदान करता है। 2018-19 के वित्तीय लेखाओं के विवरण 1, 6 तथा विवरण 17 सरकार की वित्त प्रणाली की वित्त देयताओं जैसे खुला बाजार वित्त संस्थानों से उधारी, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिमों, तथा जहाँ पर सरकार एक ट्रस्टी तथा बैंकर के रूप में कार्य करती है, के संबंध में लोक लेखाओं के अंतर्गत हुई कुल प्राप्तियों की सार स्थिति प्रदान करती है।

राज्य सरकार के वित्त लेखाओं में राज्य सरकार से संबंधित सभी परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि परिसंपत्तियों के सहायक अभिलेख तथा उनके मूल्यांकन का रखरखाव महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा नहीं किया जाता है। वित्त लेखाओं में केवल, संचयी पूंजीगत व्यय, परिसंपत्तियों के सापेक्ष/ मूल्यहास के समायोजन के बिना नामांकित प्रवृत्तियों में प्रत्येक वर्ष में जमा किए जा रहे पूंजीगत व्यय को दर्शाया जाता है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

देयताओं के दो सेट हैं अर्थात्, लोक ऋण तथा “लोक लेखाओं के अंतर्गत अन्य देयताएं”। लोक ऋण में बाजार ऋण, आरबीआई द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां तथा केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताएं, जो लोक लेखाओं के भाग हैं, इसमें लघु बचत योजना के अंतर्गत जमा, भविष्य निधि तथा अन्य जमा शामिल हैं। पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना **तालिका 1.28** (2014-15 से सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां) में प्रस्तुत की गई है (**परिशिष्ट 1.4** तथा **1.5**)।

तालिका 1.28: 2014-15 से 2018-19 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयताओं के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खुला बाजार व वित्त संस्थानों से आंतरिक ऋण-उधारियां	26,525 (55)	30,452 (55)	34,267 (55)	37,419 (55)	42,221 (53)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	1,675 (3)	1,579 (3)	1,489 (2)	1,405 (2)	1,292 (2)
लोक लेखा देयताएं	20,114 (42)	23,327 (42)	26,463 (43)	29,393 (43)	35,592 (45)
जीएसडीपी	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
कुल राजकोषीय देयताएं	48,314	55,358	62,219	68,217	79,105
राजकोषीय देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.15	14.57	12.39	9.64	15.96
राजस्व प्राप्तियां	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय देयता	166.95	154.71	148.22	140.62	154.41
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.68	23.64	17.31	15.56	5.60
उत्थान अनुपात					
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयता	1.22	0.61	0.71	0.62	2.85
जीएसडीपी की तुलना में राजकोषीय देयता	2.83	0.76	1.77	0.92	1.39

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राजकोषीय देयता के प्रतिशत में हैं)

चार्ट 1.17: बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें) लोक लेखा देयताएं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2014-15 में ₹48,314 करोड़ से वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹79,105 करोड़ हो गई। इसमें 31 मार्च 2018 के अंत में ₹68,217 करोड़ से 31 मार्च 2019 की समाप्ति तक ₹79,105 करोड़ तक ₹10,888 करोड़ की वृद्धि हुई। जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में, संचित राजकोषीय देयताओं में 2017-18 के अंत तक 49.26 प्रतिशत से 2018-19 के अंत तक 51.22 प्रतिशत तक बढ़ गई। 31 मार्च 2019 को संचित देयताएं सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹51,231 करोड़) से 1.54 गुणा अधिक तथा सरकार के अपने कर तथा गैर-कर राजस्वों से 5.58 गुणा अधिक थी। 2018-19 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में इन देयताओं का उत्थान अनुपात 1.39 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु वित्तीय देयताएं 1.39 गुणा बढ़ जाती हैं।

1.9.3 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां वे निधियां होती हैं जो राज्य के लोक लेखाओं का हिस्सा होती हैं इसकी संरचना समेकित निधि से विनियोजित राशियों से एक चिन्हित उद्देश्य के लिए रखी हुई होती हैं। तालिका 1.29 में 31 मार्च 2019 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में अंत शेषों की गतिविधि दर्शाई गई है। 31 मार्च 2019 के अंत में इन निधियों में संचित समुच्च्य शेष ₹2,497 करोड़ था जिसमें से ₹11 करोड़ सरकारी लेखाओं से बाहर निवेश किए गए हैं। निधियों में संव्यवहारों की प्राप्ति/ संवितरण की समीक्षा से यह भी देखा गया है कि, अधिकतर निधियां निष्क्रिय थीं जिनमें शून्य संव्यवहार हुए थे।

तालिका 1.29: आरक्षित निधि के अंतर्गत वर्ष के अंत में अंत शेष की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियां	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियां					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	202	336	600	740	903
ब्याज वहन करने वाली कुल-आरक्षित निधि	202	336	600	740	903
आरक्षित निधियां जो ब्याज वहन नहीं करती					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	28	--	--	--	-
ऋण शोधन निधि	97	135	169	220	317
अकाल राहत निधि	9	8	9	9	9
सरकार के वाणिज्य विभाग/ उपक्रम की मूल्यहास तथा नवीकरण आरक्षित निधि	574	573	573	573	573

सरकार के गैर वाणिज्य विभाग की मूल्यहास तथा नवीकरण तथा आरक्षित निधियां	73	73	73	73	73
कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि	41	41	41	41	41
निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियां	72	104	116	160	234
अन्य विकास तथा कल्याण निधियां	85	115	136	183	168
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	66	65	63	67	43
गारंटी शोधन निधि	7	8	12	15	19
अन्य निधियां	77	86	93	94	117
कुल-आरक्षित निधियां ब्याज वहन नहीं करने वाली	1,129	1,208	1,285	1,435	1,594
कुल आरक्षित निधियां	1,331	1,544	1,885	2,175	2,497
जिसका शेष निवेश किया गया					
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निवेश	11	11	11	11	11

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)

1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

(क) 01 अप्रैल 2018 तक, ₹740.39 करोड़ (₹10.86 करोड़ सहित निधि से निवेश किए गए) निधि में पड़े थे। 2018-19 के दौरान, भारत सरकार द्वारा ₹252.90 करोड़ की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार द्वारा ₹330.89 करोड़ की राशि (₹252.90 करोड़ केंद्र सरकार का हिस्सा, ₹28.00 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा, तथा ₹49.99 करोड़ ब्याज) निधि में हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्व वर्षों की ₹0.71 करोड़ की बकाया राशि को भी निधि में क्रेडिट किया गया था।

वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2019 को ₹903.11 करोड़ की राशि का शेष छोड़ते हुए ₹168.88 करोड़ की निधि प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय की गई। निधि का प्रबंधन करने वाली राज्य की कार्यकारी समिति (एसईसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा या नीलाम राजकोषीय बिलों और/ या सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वहन करने वाली जमा तथा जमा प्रमाणपत्र में निवेश हेतु अपेक्षित ₹892.25 करोड़ के निवल शेष (₹903.11 करोड़ में से ₹10.86 करोड़, की निवेश राशि घटाकर) को निवेश नहीं किया गया था (मार्च 2019)।

(ख) वर्ष 2018-19 के आरंभ में ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹729.53 करोड़ का बकाया शेष था तथा ₹46.21 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम पर औसतन ब्याज दर 01 अप्रैल 2018 से 05 जून 2018 तक 6.00 प्रतिशत तथा 06 जून 2018 से 31 जूलाई 2018 तक 6.25 प्रतिशत, 01 अगस्त 2018 से 06 फरवरी 2019 तक 6.50 प्रतिशत तथा 7 फरवरी से 31 मार्च

2019 तक 6.25 प्रतिशत लेकर) ब्याज वहन करने वाली निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹729.53 करोड़ पड़े हुए थे। राज्य सरकार को भी वर्ष 2018-19 के लिए एसडीआरएफ को अनुदानों की दो किश्तों के संबंध में विलंब के कारण ₹3.96 करोड़ के उपार्जित ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, राज्य सरकार ने ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों (एस.डी.आर.एफ) पर ₹49.99 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.18 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

1.9.3.2 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाली बकाया देयताओं को कम करने के उद्देश्य से एक समेकित ऋण शोधन निधि का गठन किया। राज्य सरकार को इस निधि को वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर कुल बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के बराबर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर कुल देयताओं का कम से कम 10 प्रतिशत का 0.5 प्रतिशत अंशदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष वृद्धि संबंधी देयताओं का 0.5 प्रतिशत निधि में हस्तांतरण होना चाहिए।

31 मार्च 2019 को ₹364.2 करोड़ के अंशदान की आवश्यकता के प्रति इस निधि के बनने के बाद राज्य सरकार ने ₹316.60 करोड़ का निधि में अंशदान दिया। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार को पिछले वर्ष के अंत से बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत की दर से निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित है, क्योंकि वृद्धि संबंधी देयताओं का 0.5 प्रतिशत निधि में किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक, इस निधि में शेष राशि वास्तव में हस्तांतरित ₹316.60 करोड़ के प्रति ₹364.21 करोड़ होने चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ₹47.61 करोड़ की धनराशि का अंशदान कम हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान इस निधि में ₹70.08 करोड़ (वर्ष 2011 की समाप्ति पर कुल ₹31,261.01 करोड़ की देयताओं का 10 प्रतिशत का 0.5 प्रतिशत तथा ₹10,889.09 करोड़ की कुल वृद्धि संबंधी देयताओं का 0.5 प्रतिशत) के प्रति ₹97.05 करोड़ का अंशदान किया गया था। मार्च 2019 तक निधि के अंतर्गत शेष धनराशि का निवेश नहीं किया गया था।

1.9.3.3 गारंटी शोधन निधि


राज्य सरकार ने विभिन्न राज्य सरकार के संस्थानों को दी गई गारंटियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं को पूरा करने के लिए 2005-06 में गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार को पिछले वर्ष के अंत तक बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत की दर पर निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने ₹12.07 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता

के प्रति अर्थात् {31 मार्च 2018 को ₹2,414.10 करोड़ की बकाया गारंटी (₹1.97 करोड़ का ब्याज छोड़कर) प्रति 2018-19 में निधि में ₹1.00 करोड़ का अंशदान किया। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹तीन करोड़ की धनराशि गारंटी कमीशन/ शुल्क के रूप में प्राप्त की तथा इसे निधि में जमा किया गया। 31 मार्च 2019 तक निधि का अंत शेष ₹19.42 करोड़ था।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित निधि में अंशदान निर्धारणानुसार किया गया है।

1.9.4 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

गारंटी उस उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर दी जाने वाली आकस्मिक देयताएं हैं जिसके लिए गारंटी दी गई है। वित्त लेखाओं के विवरण 9 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के लिए अधिकतम राशि, जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटी दी जा सकती थी तथा ब्याज सहित, बकाया गारंटियों को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

एफआरबीएम अधिनियम, 2006 में वार्षिक वृद्धि संबंधी जोखिम वाली गारंटियों की राशि को पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत या पिछले वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बकाया गारंटी ₹2,070.20 करोड़ (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के साथ समायोजन के अंतर्गत) थी जो ₹1.95 करोड़ के ब्याज सहित 2017-18 के ₹48,511.88 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के 4.27 प्रतिशत तथा 2017-18 के ₹1,38,488 करोड़ (वर्तमान मूल्य) के जीएसडीपी का 1.49 प्रतिशत है जैसा कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम

कार्यान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है (01 अगस्त 2019)। राज्य सरकार ने अभी तक विभिन्न गारंटियों के जोखिमों का मूल्यांकन नहीं किया है। राज्य सरकार के विभागों/ राज्य के अपने निगमों तथा पीएसयू तथा अन्य स्वायत्त तथा सांविधिक निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना (2005-06) की है। कथित आदेश में गारंटी कमीशन/ शुल्क के उदग्रहण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो गारंटी का दो प्रतिशत होता है, जैसा कि राज्य वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया था। 2018-19 के दौरान ₹तीन करोड़ की राशि गारंटी शुल्क/कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी।

चार्ट 1.20: 31 मार्च 2019 के अंत में गारंटियों का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: राज्य वित्त लेखें

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत बोर्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम से संबंधित ऋण का 93.00 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया गया।

31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया गारंटियां ₹2,070.20 करोड़ पर संचित थी (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के मिलान सहित) जो 2017-18 के ₹48,511 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.27 प्रतिशत है तथा जो एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में हैं।

1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.30 पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार के आंतरिक ऋण रूपरेखा की समय श्रृंखला का मूल्यांकन प्रदान करती है।

तालिका 1.30: राज्य सरकार के आंतरिक ऋण रूपरेखा

(₹ करोड़ में)


वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंत शेष	वृद्धि/ गिरावट	पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशत
2014-15	24,714.88	10,246.80	8,436.28	26,525.40	1,810.52	07
2015-16	26,525.40	14,627.78	10,701.55	30,451.63	3,926.23	15

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2016-17	30,451.63	20,723.83	16,908.71	34,266.75	3,815.12	13
2017-18	34,266.75	25,525.97	22,374.19	37,418.53	3,151.78	09
2018-19	37,418.53	25,332.27	20,529.39	42,221.41	4,802.88	13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)

आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, एलआईसी, जीआईसी तथा अन्य संस्थानों से ऋण शामिल है, जैसा कि वित्तीय लेखा के कथन 17 में विवरण दिया गया है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा बाजार ऋण के रूप में है, जिसमें ब्याज दर 6.97 प्रतिशत से लेकर 14.00 प्रतिशत तक है। 2018-19 में, राज्य सरकार ने बॉण्ड्स के प्रति, वित्तीय संस्थानों से ₹18,648 करोड़ (₹25,332 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से) ऋण लिया। बॉण्ड्स, वित्तीय संसाधनों से ऋण, विशेष प्रत्याभूति का ₹18,772 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2019 तक बकाया बाजार ऋण ₹30,947 तक था जो कि ₹42,221 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋण का 73 प्रतिशत है। आंतरिक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 में ₹25,526 करोड़ से 2018-19 में ₹25,332 करोड़ तक 194 करोड़ की कमी थी।




चार्ट 1.21 दर्शाता है कि राज्य के आंतरिक ऋण में 2014-15 में ₹10,247 करोड़ से 2018-19 में ₹25,332 करोड़ तक ₹15,085 (147 प्रतिशत) की वृद्धि हो गई।

चार्ट 1.22 दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की अदायगी में ₹8,436 करोड़ से ₹18,772 करोड़ तक ₹12,093 करोड़ (143 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹3,200 करोड़ का ब्याज दिया गया था।

ऋण परिपक्वता की रूपरेखा

ऋण परिपक्वता की रूपरेखा ऋण का पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो निम्नलिखित रूप से दिया गया:


चार्ट 1.23: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



मार्च 2019 तक बकाया लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा ने दर्शाया कि ₹42,981 करोड़ के कुल बकाया ऋण का ₹22,971 करोड़ (53 प्रतिशत) सात वर्षों तक तथा शेष ₹20,010 करोड़ (47 प्रतिशत) की शेष धनराशि सातवें वर्ष के बाद तक मैच्योरिटी (परिपक्वता) बकट में थी।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची नीचे दी गई है:

चार्ट 1.24: बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान सारणी (उदय बॉण्ड्स सहित)



(स्रोत: वित्त लेखें)

राज्य को अगले पांच वर्षों के दौरान 2023-24 तक ₹11,653 करोड़ के ब्याज सहित ₹12,543 करोड़ के बाजार ऋण तथा उदय बॉण्ड्स (31 मार्च 2019 तक ₹34,484 करोड़ के बकाया ब्याज ऋणों तथा उदय बॉण्ड्स के 36 प्रतिशत हिस्से) का

पुनर्भुगतान करना होगा। ₹5,493 करोड़ के ब्याज सहित ₹21,941 करोड़ की राशि के शेष बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान आगामी वर्षों में 2031-32 तक किया जाना होगा। अर्थात्, राज्य को अगले पांच वर्षों के दौरान ₹4,839 करोड़ की धनराशि का सालाना पुनर्भुगतान करना होगा। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹4,306 करोड़ बाजार ऋण तथा उस पर ब्याज ऋणों (उदय बॉण्ड्स पर ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान किया गया था।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय पिछले दस वर्षों में क्रमशः 13.91 प्रतिशत और 17.07 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गया है। इन विकास दरों को लागू करते हुए तथा यह मानते हुए कि राज्य राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय की पिछले दस वर्षों की औसत विकास दर को बनाए रखेगा, 2021-22 के दौरान राजस्व घाटे की गणना ₹13,925 करोड़ की गई। राज्य वर्ष 2021-22 से उदय बॉण्ड्स की मूल राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस वर्ष के दौरान उधार राशियाँ पिछले दस वर्षों की वार्षिक विकास दर से प्रक्षेपित की गई (19.17 प्रतिशत) जो ₹42,878 करोड़ हो जाएगी। ₹40,695 करोड़ की देयताओं को पूरा करने के पश्चात् (₹214 करोड़ का मूल उदय बॉण्ड्स राशि के पुनर्भुगतान सहित) 2021-22 में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि (में कमी हो जाएगी) घट जाएगी, उधार निधियां ₹11,741 करोड़ तक कम रह जाएंगी। इस प्रकार, राज्य सरकार को 2021-22 से अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता लेनी पड़ेगी।

उधारीकृत निधियों का उपयोग

उधार धन का उपयोग स्व-सतत विकास गतिविधियों तथा सृजन या पूंजीगत संपत्तियों की वृद्धि पर किया जाना है तथा इसका उपयोग चालू व्यय के वित्तपोषण में नहीं किया जाता है। उधार तथा पुनर्भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के लिए इसके उपयोग की वर्ष-वार स्थिति निम्नलिखित रूप से दी गई है:

तालिका 1.31: पुनर्भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के लिए उधारीकृत निधि के उपयोग का विवरण


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार राशि	पहले की उधार ली गई धन राशि का पुनर्भुगतान* (मूल) (प्रतिशत)	उधार से निवल पूंजीगत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
2014-15	10,259	6,161 (60.05)	4,098 (39.95)
2015-16	14,645	8,352 (57.03)	6,293 (42.97)
2016-17	20,749	14,187 (68.37)	6,562 (31.63)
2017-18	25,557	19,452 (76.11)	6,105 (23.89)
2018-19	25,336	17,366 (68.54)	7,970 (31.46)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उधार ली गई धनराशि का प्रतिशत हैं)


*लोक ऋण का पुनर्भुगतान - वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान

वर्ष 2014-15 से 2018-19 में, राज्य सरकार ने कुल उधार ली गई धनराशि का 57 से 76 प्रतिशत पहले उधार ली गई मूल धन राशि के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया तथा बची हुई धनराशि का उपयोग आंशिक रूप से निवल पूंजीगत व्यय के लिए किया था।



चार्ट 1.25 दिखाता है कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान जीएसडीपी से ऋण का अनुपात लगभग स्थिर रहा था जो 27.34 प्रतिशत से 28.67 प्रतिशत के बीच था।

चार्ट 1.26 दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान उसी अवधि के दौरान घट गया था।



चार्ट 1.27 दर्शाता है कि स्वयं के राजस्व कर का प्रतिशत ऋण के पुनः भुगतान के लिए उपयोग किया गया था (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) जो 2014-15 से 2017-18 तक 20.92 प्रतिशत से 34.44 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा 2018-19 के दौरान 26.84 प्रतिशत तक घट गया था।

चार्ट 1.28 दर्शाता है कि ऋण प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ऋण पुनर्भुगतान ने भी 2015-16 से 2017-18 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया जो 73.85 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक बढ़ गया था तथा 2018-19 के दौरान यह 81.49 प्रतिशत तक घट गया, जो दिखाता है कि ऋण प्राप्तियों का अधिकतम भाग पूर्व ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया है।

ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता का तात्पर्य भविष्य में अपने ऋण की सेवा के लिए राज्य की क्षमता से हैं। राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। यह विश्लेषण बकाया ऋण की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियां; ऋण भुगतान तथा ऋण प्राप्ति का अनुपात; राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के रूप में राज्य सरकार के ऋण की स्थिरता का निर्धारण करता है। तालिका 1.32 में 2014-15 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.32: ऋण स्थिरता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण बकाया	28,201	32,031	35,756	38,823	43,513
लोक ऋण बकाया की वृद्धि दर	6.46	13.58	11.63	8.58	12.08
जीएसडीपी	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
जीएसडीपी की वृद्धि दर	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
राजस्व प्राप्ति	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
ऋणों पर ब्याज भुगतान	2,388	2,463	2,836	3,038*	3,281*
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/ लोक ऋण का ओ.बी + लोक ऋण का सीबी)/2	9	8	8	8	8
राजस्व प्राप्ति के ब्याज की प्रतिशतता	8.25	6.88	6.76	6.26	6.40
ऋण प्राप्ति	10,259	14,645	20,749	25,557	25,336
ऋण भुगतान	8,549	10,815	17,023	22,490	20,647

ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	83.33	73.84	82.04	88	81.49
राज्य के निवल ऋण उपलब्धता	(-) 678	1367	890	29	1,408

(स्रोत: राज्य के वित्त लेखें)

*2015-16 तथा 2016-17 के दौरान जारी किए गए यूडीएवाई (उदय) बॉण्ड्स पर ₹284.12 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित।

ई.डी. डोमर⁶ के एक अध्ययन के आधार पर ऋण निरंतरता पर विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि लोक ऋण संवहनियता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दरें जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोक ऋण की ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा प्राथमिक बजट संतुलन के आधार पर निम्नानुसार हैं:

जी-आर (जी-वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर-वास्तविक ब्याज दर)	एस <0 (प्राथमिक घाटा)	एस >0 प्राथमिक अधिशेष
जी-आर >0 (सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि दर)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण का जीरो से अधिक एक स्थिर स्तर पर मिलान होना चाहिए	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण का जीरो से कम एक स्थिर स्तर पर मिलान होना चाहिए, जिससे सार्वजनिक बचतें हो।
जी-आर <0 (धीमी आर्थिक वृद्धि दर)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण अनिश्चितकाल तक बिना एक स्थिर स्तर पर मिलान किए बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति

जम्मू एवं कश्मीर पर इस विश्लेषण को अपनाते हुए ये देखा गया कि केवल 2014-15 को छोड़कर, डोमर गैप (जी-आर) 2015-16 से 2018-19 तक सभी वर्षों में धनात्मक रहा। 2017-18 को छोड़कर सभी वर्षों में प्राथमिक घाटा था, जबकि राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष उपलब्ध था। बीते चार वर्षों के धनात्मक डोमर गैप के रुझानों से ये कहा जा सकता है कि लोक ऋण एक स्थिर स्तर पर मिल जाएगा। राज्य के जीएसडीपी के ऋण का अनुपात पिछले पांच वर्षों में 49 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच रहा। 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) के अनुरूप ऋण सीमा का राजकोषीय लक्ष्य 45.57 प्रतिशत था तथा राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी की तीन प्रतिशत थी।

⁶ ईडी डोमर 1914-1997 मॉडल ऋण स्टॉक परिपक्वता की रूपरेखा, संचरना, लागत तथा जोखिम विशेषताओं को लेखा में शामिल नहीं करता है।

वर्ष	वास्तविक (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिषेध (एस) (₹ करोड़ में)
2014-15	(-) 3.22	2.69	(-) 5.91	(-)2,075
2015-16	17.76	2.19	15.57	(-)4,341
2016-17	3.84	3.05	0.79	(-)1,610
2017-18	6.80	1.35	5.45	(+)1,885
2018-19	6.56	2.65	3.91	(-)8,128

वास्तविक जीडीपी के लिए परिकल्पित वास्तविक वृद्धि दर।
समायोजित मुद्रास्फीति के लिए वास्तविक ब्याज दर नाममात्र ब्याज दर है।

राज्य का पूंजीगत व्यय 2014-19 के दौरान 13 से 20 प्रतिशत के बीच रहा। 2017-18 में ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिषेध सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण 2018-19 में ₹4,859 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया। 2017-18 में 2.01 से बढ़कर 2018-19 में वित्तीय घाटा भी बढ़कर जीएसडीपी का 8.64 प्रतिशत मुख्यतः इसी के कारण बढ़ गया। इससे भविष्य में राजस्व प्रवाह प्रभावित होगा जो प्राथमिक संतुलन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, लोक खाते की देयताओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं को अन्य कारक, तथा राजस्व के किसी अन्य अप्रत्याशित नुकसान को भी राज्य की ऋण स्थिरता/ स्थिरता का आकलन करने में प्रतिध्वनित किया जाना चाहिए क्योंकि ये सांख्यिकीय या स्थिर रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं; जैसा कि विश्लेषण में इन कारको पर विचार नहीं किया गया है।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन राजकोषीय मापदंड-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजस्व असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। घाटों का स्वरूप सरकार की राजकोषीय प्रबंधन की विवेकशीलता का सूचक है।


1.11.1 घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.29 2014-15 से 2018-19 के दौरान तीन घाटों पर समय श्रृंखला डाटा प्रदान करता है।

⁷ मौजूदा कोरोना वाइरस जैसा संकट तथा उसका जीएसडीपी पर प्रभाव।


चार्ट 1.29: घाटों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)



चार्ट 1.30: जीएसडीपी से संबंधित घाटे के संकेतक

(प्रतिशत में)



राजस्व घाटा: राज्य वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 को छोड़कर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे (आरडी) में रहा। वर्ष 2017-18 में ₹7,595 करोड़ के राजस्व अधिशेष (आरएस) की तुलना में वर्ष 2018-19 में ₹4,859 करोड़ का राजस्व घाटा (आरडी) था, जो मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹8,029 करोड़ की वेतन में वृद्धि होने के कारण भी राजस्व में घाटा हुआ। इस वेतन वृद्धि में वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए ₹3,900 करोड़ की बकाया राशि भी शामिल है, जिन्हें बुक समायोजन के माध्यम से जीपीएफ खातों में जमा किया गया था। परिणामस्वरूप राजस्व घाटे पर उस सीमा तक प्रभाव एक बार पड़ा है। 2018-19 में राजस्व घाटा ₹4,859 करोड़ था जो गलत वर्गीकरण तथा आरक्षित निधियों/ ब्याज के कम हस्तांतरण के कारण ₹2,277.88 करोड़ तक कम दर्शाया गया था।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष 2014-15 में ₹5,608 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹13,337 करोड़ हो गया। जीएसडीपी से एफडी का प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 5.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 8.64 प्रतिशत हो गया था। ₹10,559 करोड़ की वृद्धि होने के कारण राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में ₹2,778 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹13,337 करोड़ हो गया था। 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटे का 64 प्रतिशत लोक खाते से वित्तपोषित किया गया तथा शेष 36 प्रतिशत को बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।

प्राथमिक घाटा/अधिशेष: वर्ष 2017-18 को छोड़कर जिसमें ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष था। प्राथमिक घाटा (पीडी) वर्ष 2014-15 में ₹2,075 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹8,128 करोड़ हो गया था। चार्ट 1.30 2014-15 से 2018-19 की अवधि में जीएसडीपी से संबंधित मुख्य घाटे के संकेतक की प्रवर्तियों को प्रस्तुत करता है।

प्राथमिक राजस्व शेष: राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियों तथा उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच के अंतर को बताता है। उस सीमा को दर्शाता जिससे सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियां पूंजीगत लेखा पर हुए व्यय को पूरा करने में सक्षम थी। 2018-19 में राज्य ने ₹350 करोड़ की राशि का प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। (तालिका 1.36)।

राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे का प्रभाव

राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा अधिक तथा कम दर्शाया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है।

तालिका 1.33: प्रभावी राजस्व तथा राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (कम कर के)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम कर के)	(₹ करोड़ में)			
			निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी	आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी
पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	1,874.17	--				
पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत पीडीएस के रखरखाव प्रभार/ यातायात तथा परिचालन लागत	286.21	--	3.15	8.64	4.62	8.63
वजीफा तथा छात्रवृत्ति पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किए गए।	0.19	--				

(सहायिकी) पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किए गए।	99.18	--				
पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किया गया वेतन ।	2.24	--				
गारंटी शोधन निधि में कम अंशदान किया गया।	11.07	11.07				
एसडीआरएफ को हस्तांतरित नहीं की गई राशि हस्तांतरण में) (विलंब के कारण ब्याज	0.18	0.18				
एनपीएस को हस्तांतरित नहीं की गई राशि हस्तांतरण में विलंब) (के कारण ब्याज	4.64	4.64				
कुल निवल प्रभाव	2,277.88	15.89				

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण तथा आरक्षित निधियों में ब्याज/ निधियों के कम हस्तांतरण के कारण ₹4,859 करोड़ का राजस्व घाटा ₹2,277.88 करोड़ तक दर्शाया गया तथा आरक्षित निधियों में ब्याज/ निधियों के कम हस्तांतरण के कारण राजस्व घाटे को भी ₹15.89 करोड़ तक कम दर्शाया।

1.11.2 राजकोषीय घाटा तथा इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय स्वरूप में हुए संरचनात्मक बदलाव निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं:

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसका वित्तीय स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटे के घटक					
1. राजस्व अधिशेष/घाटा (-)	(-)390	(-)640	(+)2,166	(+)7,595	(-)4,859
2. पूंजीगत व्यय	(-)5,134	(-)7,331	(-)8,286	(-)10,353	(-)8,413
3. निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)84	(-)90	(-)57	(-)21	(-)65
4. राजकोषीय घाटा	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778	(-) 13,337
राजकोषीय घाटे का वित्तीय स्वरूप					
1. बाजार उधार	1,811	3,926	3,815	3,152	4,803
2. भारत सरकार से ऋण	(-)100	(-) 96	(-)90	(-)84	(-)113
3. लघु बचते, पीएफ इत्यादि	2,232	2,886	1,846	1,556	5,323
4. जमा तथा अग्रिम	376	112.39	949	1,084	554
5. उंचत तथा विविध	(-)237	(-)131	(-)93	(-)140	404

6.	प्रेषण	2,545	(-) 208	(-)690	(-)2,955	2,001
7.	आरक्षित निधियां	(-)677	214	334	290	322
8.	नकद शेष की गिरावट (+)/नकद शेष से अभिवृद्धि (-)	(-)338	(+)874	(+)98	(-)125	(+)43

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1. बाजार उधार	25,332	20,529	4,803
2. जीओआई से ऋण	4	117	(-)113
3. लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	8,857	3,534	5,323
4. जमा तथा अग्रिम	4,914	4,360	554
5. आरक्षित निधियां	695	373	322
6. उचंत तथा विविध	1,053	649	404
7. प्रेषण	2,741	740	2,001
8. कुल मिलाकर अधिशेष (-) घाटा (+)	43,596	30,302	13,294
9. वृद्धि (-) कमी (+) नकद शेष में	554	511	(+)43
10. सकल राजकोषीय घाटा	44,150	30,813	13,337

(स्रोत: राज्य वित्त के लेखें)

घाटे/ अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे (एफडी) से राजस्व घाटे (आरडी) का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे तथा पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) में प्राथमिक घाटे का द्विभाजन राज्य के वित्तीय साधनों में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाएगा। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि किस हद तक उधार ली गई निधि का उपयोग वर्तमान खपत के लिए किया गया था। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था तथा उधारी (राजकोषीय घाटा) के पास कोई भी पूर्तिकर परिसंपत्ति नहीं थी।

तालिका 1.36: प्रारंभिक घाटा/ अधिशेष - घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (3-4)	9 (2-7)
2014-15	28,942	28,939	25,796	5,134	87	31,017	3,143	(-) 2,075
2015-16	35,785	35,781	32,701	7,331	94	40,126	3,080	(-) 4,341
2016-17	41,997	41,978	35,245	8,286	76	43,607	6,733	(-) 1,610
2017-18	48,516	48,512	36,253	10,353	25	46,631	12,259	(+) 1,885
2018-19	51,235	51,231	50,881	8,413	69	59,363	350	(-) 8,128

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्ति तथा ऋण तथा अग्रिमों की वृद्धि शामिल थी जो प्राथमिक राजस्व व्यय से अधिक थी।
- 2014-15 में कुल प्राथमिक व्यय ₹31,017 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹59,363 करोड़ हो गया था। यह प्राथमिक राजस्व व्यय में ₹25,085 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था, जबकि पूंजीगत व्यय में ₹3,279 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- 2014-15 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष जो ₹3,143 करोड़ था, 2017-18 में यह बढ़कर ₹12,259 करोड़ हो गया था तथा 2018-19 के दौरान यह घटकर ₹350 करोड़ हो गया।
- 2014-15 में प्राथमिक घाटा जो ₹2,075 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया तथा 2018-19 में पुनः प्राथमिक घाटा ₹8,128 करोड़ है।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्वघाटा (-) /अधिशेष (+)	(-)390	(-)640	(+)2,166	(+)7,595	(-)4,859
निवल पूंजीगत व्यय	(-)5,134	(-)7,331	(-)8,286	(-)10,353	(-)8,413
निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)84	(-)90	(-)57	(-)21	(-)65
राजकोषीय घाटा	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778	(-)13,337

राजकोषीय घाटा 2014-15 में ₹5,608 करोड़ से 2018-19 में ₹13,337 करोड़ तक बढ़ा। 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटे का 63 प्रतिशत शुद्ध पूंजीगत व्यय के कारण था तथा 36 प्रतिशत राजस्व घाटे के कारण था।

1.12 निष्कर्ष

एक विशेष दर्जे का राज्य होने के नाते राज्य का केंद्र सरकार से केंद्रीय करों तथा अनुदानों में अधिक हिस्सा था। केंद्रीय संसाधनों पर राज्य की निर्भरता 2014-15 में 71 प्रतिशत से 2018-19 में 72 प्रतिशत तक बढ़ी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल पूंजीगत व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) में ₹5,221 करोड़ से ₹8,482 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) 2014-15 में ₹6,334 करोड़ से 2018-19 में ₹9,826 करोड़ तक बढ़ा।

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में अधिक वृद्धि केंद्रीय करों/शुल्कों तथा अनुदान सहायता के राज्य के हिस्से में वृद्धि के कारण से हुई थी।

सहायता अनुदान में 2017-18 में ₹22,702 करोड़ से 2018-19 में ₹23,066 करोड़ तक ₹364 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 2018-19 के दौरान राज्य सरकार भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राजस्व प्राप्तियों के 45 प्रतिशत की सीमा तक निर्भर है।

2018-19 के दौरान राज्य के स्वयं के ₹14,175 करोड़ के संसाधन ₹38,186 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सहायिकी) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा सहायिकी के कारण प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत बनता है।

2018-19 की समाप्ति पर ₹511 करोड़ का नकद शेष ₹2,486 करोड़ की चिन्हित आरक्षित निधियों से कम था जिसका तात्पर्य यह है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अभीष्ट प्रयोजन के अलावा अन्य हेतु किया गया था।

2018-19 के दौरान विकास पूंजीगत व्यय में कमी यह दर्शाती है कि सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में विकास कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति कम व्यय किया है।

31 मार्च 2019 तक बकाया बाजार ऋण ₹30,947 करोड़ था जोकि ₹42,221 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण का 73 प्रतिशत था। बाजार उधारियों में 2017-18 में ₹25,526 करोड़ से 2018-19 में ₹25,332 करोड़ तक ₹194 करोड़ की कमी हुई।

निवल ऋण उपलब्धता 2017-18 में ₹29 करोड़ से 2018-19 में ₹1,408 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

राज्य का 2017-18 में ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष 2018-19 के दौरान ₹8,128 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। राज्य का 2017-18 में ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2018-19 में ₹4,859 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुसार राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। राजकोषीय घाटा (एफडी) 2017-18 में ₹2,778 करोड़ से 2018-19 में ₹13,337 करोड़ तक बढ़ गया।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय- II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखें विनियोजन अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखें हैं। ये लेखें वास्तविक बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यार्पणों तथा पुनःविनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा यह विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की तुलना में बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों के संबंध में जो विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हैं, को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखें वित्तों के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसीलिए ये वित्त लेखाओं के संपूरक हैं।

विनियोजन लेखें बजट निर्माण तथा कार्यान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ डाटा प्राप्त करते हैं (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: बजट नियमावली तथा विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है तथा यह संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय प्रभारित है। ये यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा निर्देश अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में पाई गई बजट तथा व्यय के प्रबंधन में कमियों तथा बजट नियमावली के उल्लंघन पर चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का सार

2018-19 में व्यय हेतु कुल प्रावधान ₹1,09,479.22 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹85,241.37 करोड़ (77.86 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप 2018-19 में ₹24,237.85 करोड़ की बचत हुई थी। 36 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति 2018-19 के दौरान वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय की तुलना में मूल/अनुपूरक प्रावधानों की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)


	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय ¹	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित की गई राशि
दत्तमत	I-राजस्व	46,463.29	10,648.84	57,112.13	50,812.18	(-)6,299.95	शून्य
	II-पूंजीगत	25,877.06	2,203.59	28,080.65	8,435.63	(-)19,645.02	शून्य
	III-ऋण तथा अग्रिम	568.50	0.00	568.50	69.15	(-)499.35	शून्य
कुल दत्तमत		72,908.85	12,852.43	85,761.28	59,316.96	26,444.32	शून्य
प्रभारित	IV-राजस्व	4,781.44	959.81	5,741.25	5,277.80	(-)463.45	शून्य
	V-पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य
	VI-लोक ऋण पुनःभुगतान	17,976.69	0.00	17,976.69	20,646.61	(+)2,669.92	शून्य
कुल प्रभारित		22,758.13	959.81	23,717.94	25,924.41	(+)2,206.47	शून्य
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य
कुल योग		95,666.98	13,812.24	1,09,479.22	85,241.37	(-)24,237.85	शून्य

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

¹ ये पूंजीगत (₹22.04 करोड़) के तहत व्यय की कटौती के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों को संगणित किए बिना सकल आंकड़े हैं।

2.2.1 2018 -19 के विनियोजन लेखाओं का विश्लेषण

चार्ट 2.2: बजट को कैसे लागू किया गया



₹24,237.85 करोड़ की कुल बचत, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत 33 अनुदानों तथा राजस्व खंड के अंतर्गत 5 विनियोजन तथा पूंजीगत खंड के अंतर्गत 33 अनुदानों में ₹28,869.38 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई थी जिसमें राजस्व खंड के अंतर्गत तीन अनुदानों तथा पूंजीगत खंड के अंतर्गत दो अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹4,631.53 करोड़ के आधिक्य द्वारा समायोजित किए गए। ₹4,631.53 करोड़ के आधिक्य को नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल आधिक्य अथवा बचतें

विवरण	अनुदानों/ विनियोजन की संख्या					राशि (₹ करोड़ में)
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (प्रभारित)	सार्वजनिक लोक ऋण पुनः भुगतान	
निम्न में हुई बचत	33	05	33	-	-	28,869.38
निम्न में आधिक्य व्यय	03	-	03	-	01	4,631.53

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधानों से आधिक्य को नियमित किए जाने की आवश्यकता है

जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 82 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोजन से आधिक्य को नियमित करवाना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। यद्यपि व्यय को नियमित करने के लिए धारा के अंतर्गत कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि, लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा पूरी करने के पश्चात् आधिक्य व्यय नियमित किया जाता है। चूँकि 1980-81 के बाद से विनियोजन लेखाओं पर/ की चर्चा पीएसी में नहीं की गई थी अतः वर्ष 1980-2018 के लिए कुल ₹1,14,061.35 करोड़ के आधिक्य व्यय को

राज्य विधानमंडल द्वारा अभी नियमित किया जाना है जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में विवरण दिया गया है। जैसा कि पिछली उप-धारा के अनुसार 2018-19 के दौरान ₹4,631.53 करोड़ (**परिशिष्ट 2.2**) के अन्य आधिक्य व्यय को सम्मिलित करने के पश्चात्, विधानमंडल/संसद द्वारा 31 मार्च 2019 तक ₹1,18,692.88 करोड़ के कुल आधिक्य व्यय का नियमित होना अपेक्षित है। जैसा कि यह संघ शासित क्षेत्र राष्ट्रपति शासन के अधीन है। नियमों के अनुसार मामले पर संसद मामले पर चर्चा की जा सकती है। यह अनियमितता जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 81 और 82 का उलंघन है। ऐसी विस्तारित अवधि के लिए शेष अनियमित आधिक्य व्यय की गहन समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह राजकोष पर विधानमंडल के नियंत्रण को कम करता है तथा इसलिए आधिक्य व्यय के सभी मौजूदा मामलों को शीघ्रतम नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

सात अनुदानों, जहां व्यय प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ से अधिक था, की सूची नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 2.3: 2018 -19 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य को नियमित करने की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	अतिरिक्त (प्रतिशतता)
I- राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	77.32	448.29	370.97 (480)
2	15	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	228.62	242.04	13.42 (06)
3	16	लोक निर्माण कार्य	953.65	2,488.64	1,534.99 (161)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			1,259.59	3,178.97	1,919.38
II- पूंजीगत (दत्तमत)					
4	5	लद्दाख मामले विभाग	316.16	317.69	1.53 (0.48)
5	17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	853.59	874.36	20.77 (02)
6	30	जनजाति मामले विभाग	8.90	28.83	19.93 (224)
कुल (II-पूंजी दत्तमत)			1,178.65	1,220.88	42.23

III- पूंजीगत (प्रभारित)					
7	08	वित्त विभाग	17,976.69	20,646.61	2,669.92 (15)
कुल (III-पूंजीगत प्रभारित)			17,976.69	20,646.61	2,669.92
कुल योग (I+II+III)			20,414.93	25,046.46	4631.53

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

अनुदान संख्या- 08 में, 2014 -15 से 2018-19 के दौरान निरंतर आधिक्य व्यय था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: अनुदान जहां 2014-15 से 2018-19 के दौरान निरंतर आधिक्य व्यय हुआ

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नाम	वर्ष				
	2014-15	2015 -16	2016 -17	2017 -18	2018 -19
राजस्व/ पूंजीगत					
08- वित्त विभाग	186.32 (2%)	2,225.82 (26%)	225.89 (627%)	4,652.19 (26%)	2,669.92 (15%)

(कोष्टक में आंकड़ें प्रावधानों से आधिक्य व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वयं वित्त विभाग सहित किसी विभागीय नियंत्रण अधिकारी ने राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटनों से अधिक व्यय न किया हो।

2.3.2 बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम यह दर्शाते हैं कि 70 मामलों में, बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.3)। ₹28,869.38 करोड़ की कुल बचतों के प्रति, 26 अनुदानों से संबंधित 38 मामलों में ₹28,509.55 करोड़² की बचत हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

² प्रत्येक मामले में ₹50 करोड़ से अधिक

तालिका 2.5: ₹50 करोड़ तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/ विनियोजन का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत/ प्रतिशतता
I- राजस्व दत्तमत						
1	01- सामान्य प्रशासन विभाग	331.33	92.09	423.42	353.17	70.25 (17)
2	02- गृह विभाग	5,082.53	2,471.22	7,553.75	6,776.14	777.61 (10)
3	06- विद्युत विकास विभाग	8,341.05	816.96	9,158.01	7,542.75	1,615.26 (18)
4	07- शिक्षा विभाग	6,586.94	3,317.91	9,904.85	8,551.21	1,353.64 (14)
5	08- वित्त विभाग	10,775.45	0.09	10,775.54	8,149.70	2,625.84 (24)
6	10- विधि विभाग	296.53	291.15	587.68	501.69	85.99 (15)
7	12- कृषि विभाग	948.55	624.39	1,572.94	1,131.11	441.83 (28)
8	14- राजस्व विभाग	528.38	75.41	603.79	485.30	118.49 (20)
9	17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,795.13	930.50	3,725.63	3,549.39	176.24 (05)
10	18- समाज कल्याण विभाग	1,497.31	291.28	1,788.59	1,384.62	403.97 (23)
11	22- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	633.52	152.34	785.86	655.34	130.52 (17)
12	33- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनः संरचना विभाग	756.60	0.00	756.60	686.34	70.26 (09)
13	34- युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	463.25	92.20	555.45	481.24	74.21 (13)
कुल- राजस्व (दत्तमत)		39,036.57	9,155.54	48,192.11	40,248.00	7,944.11
राजस्व (प्रभारित)						
14	08- वित्त विभाग	4,724.78	940.68	5,665.46	5,208.68	456.78 (08)
कुल- राजस्व (प्रभारित)		4,724.78	940.68	5,665.46	5,208.68	456.78 (08)
कुल-I		43,761.35	10,096.22	53,857.57	45,456.68	8,400.89
II- पूंजीगत (दत्तमत)						

15	02- गृह विभाग	871.49	50.02	921.51	335.90	585.61 (64)
16	03- योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	2,631.65	0.00	2,631.65	451.67	2,179.98 (83)
17	06- विद्युत विकास विभाग	4,712.02	878.40	5,590.42	2,06.16	5,384.26 (96)
18	07- शिक्षा विभाग	1,148.44	0.00	1,148.44	617.20	531.24 (46)
19	08- वित्त विभाग	2,595.06	0.00	2,595.06	25.23	2,569.83 (99)
20	10- विधि विभाग	91.27	0.00	91.27	38.24	53.03 (58)
21	11- उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	243.63	0.00	243.63	152.34	91.29 (37)
22	12- कृषि विभाग	891.57	0.00	891.57	152.71	738.86 (83)
23	13- पशु/ भेड़ पालन विभाग	102.22	0.00	102.22	38.62	63.60 (62)
24	15- खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	308.72	34.34	343.06	287.25	55.81 (16)
25	16- लोक निर्माण विभाग	2,098.39	263.11	2,361.50	1,103.13	1,258.37 (53)
26	18- समाज कल्याण विभाग	356.16	0.00	356.15	34.19	321.96 (90)
27	19- आवास एवं शहरी विकास	1,487.39	198.33	1,685.72	477.30	1,208.42 (72)
28	20- पर्यटन विभाग	429.39	0.00	429.39	93.49	335.90 (78)
29	21- वन विभाग	135.84	0.00	135.84	37.22	98.62 (73)
30	22- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,440.43	134.99	1,575.42	277.49	1,297.93 (82)
31	23- जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	660.34	0.00	660.34	523.24	137.10 (21)
32	25- श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग	105.03	0.00	105.03	45.55	59.48 (57)
33	27- उच्चतर शिक्षा विभाग	225.00	3.94	228.94	131.89	97.05 (42)
34	28- ग्रामीण विकास विभाग	2,686.18	376.70	3,062.88	1,805.21	1,257.67 (41)

35	32- बागवानी विभाग	386.15	0.00	386.15	124.66	261.49 (68)
36	33- आपदा प्रबंध, राहत, पुनर्वास तथा पुनः संरचना विभाग	710.69	0.00	710.69	80.86	629.83 (89)
37	34- युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	237.20	0.00	237.20	39.17	198.03 (83)
38	35- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	726.45	0.00	726.45	33.15	693.30 (95)
कुल-II- पूंजीगत (दत्तमत)		25,280.71	1,939.83	27,220.53	7,111.87	20,108.66
कुल योग- (I+II)		69,042.06	12,036.05	81,078.10	52,568.55	28,509.55

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

पूंजीगत खंड के अंतर्गत विभागों द्वारा अधिक बचतें यह दर्शाती हैं कि सरकार विभागीय कार्यकलापों/परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु चिन्हित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी। पूंजीगत खंड के अंतर्गत बचतें 16 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच की रेंज में रही। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनुदान के प्रति के पर्याप्त बचतों (उपयोग में कमी) के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किए गए (नवंबर 2019) ।

2.3.3 निरन्तर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व (दत्तमत) खंड के अंतर्गत एक अनुदान तथा पूंजीगत (दत्तमत) खंड में छः अनुदानों के दस मामलों में, प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के दस प्रतिशत तक अथवा इससे अधिक की निरंतर बचते पाई गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: 2014-15 से 2018-19 के दौरान निरंतर बचतों को दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	बचत की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व (दत्तमत)						
1	10- विधि विभाग	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)	154.33 (42)	85.99 (15)
पूंजीगत (दत्तमत)						
2	06- विद्युत विकास विभाग	250.25 (64)	707.60 (70)	2,177.61 (76)	5,591.27 (89)	5,384.26 (96)
3	12- कृषि विभाग	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)	333.92 (37)	738.86 (83)
4	19- आवास तथा शहरी विकास विभाग	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)	519.54 (53)	1,208.42 (72)

5	25- श्रम, लेखन सामाग्री तथा मुद्रण विभाग	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)	100.74 (84)	59.48 (57)
6	28- ग्रामीण विकास विभाग	1,104.58 (60)	496.69 (38)	798.19 (42)	541.36 (23)	1,257.67 (41)

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

कोष्ठक में आंकड़ें कुल अनुदानों का प्रतिशत हैं

पिछले वर्षों में पर्याप्त अनुदानों में निरंतर बचत पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखे बिना तथा व्यय की आवश्यकता और प्रवाह की पर्याप्त रूप से संवीक्षा किए बिना सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता की तुलना में अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक थी। उक्त विभागों द्वारा निरन्तर बचतें यह भी दर्शाती हैं कि या तो विभागों के अंतर्गत योजनाओं को सरकार की प्राथमिकता नहीं मिली या संबधित विभाग/ क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन में अक्षमता थी। इसे पूर्व राज्य वित्त प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है परन्तु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत हेतु कारण सूचित नहीं किए गए (नवंबर 2019)।

2018-19 के दौरान उक्त वर्णित अनुदानों के अंतर्गत छः योजनाओं में ₹100 करोड़ से अधिक बचतें थी जैसा कि नीचे दिया गया है।

तालिका 2.7: उन मामलों का विवरण जिनमें बचत ₹100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत की प्रतिशतता
1.	अनुदान संख्या 06 - विद्युत विकास विभाग				
(i)	4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01- हाइडल जनरेशन, 800-ओ ई, 011- सामान्य, 2021-जनरेशन	994.50	10.10	984.40	98.98
(ii)	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05- संचारण एवं वितरण, 800-ओ ई, 011- सामान्य, 0478- संचारण एवं वितरण	2,179.11	190.41	1,988.70	91.26
2.	19- आवास तथा शहरी विकास				
(i)	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 03-छोटे तथा मध्यम लघु तथा मीडियम शहरों का एकीकृत विकास, 051- निर्माण सामुदायिक 0011- सामान्य, 1297- शहरी विकास	1,054.83	202.34	852.49	80.82
3.	28- ग्रामीण विकास विभाग				
(i)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 101-पंचायती राज, 099 - सामान्य, 051 सामुदायिक विकास एवं पंचायत, कश्मीर	1,151.43	203.73	947.70	82.31

क्र. सं.	अनुदान का नाम तथा योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बजट पर बचत की प्रतिशतता
(ii)	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 101- पंचायती राज, 031- सी एस एस , 0230- ग्रामीण स्वच्छता	398.05	110.40	287.65	72.26
(iii)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य, 011-सामान्य, 2468- पीएमकेएसवाई	148.87	34.51	114.36	76.82

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

उक्त से यह देखा जा सकता है कि निरंतर बचत 72.26 प्रतिशत से 98.98 प्रतिशत की रेंज में थी।

2.3.4 अनावश्यक/ अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

चौदह अनुदानों के 16 मामलों में (परिशिष्ट-2.4), व्यय के पूर्वानुमान में मूल प्रावधान से ₹2,972.77 करोड़ का आधिक्य अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। तथापि, ₹14,270.25 करोड़ का अंतिम व्यय ₹23,292.05 करोड़ के मूल अनुदान से भी कम था। इस प्रकार, निधि प्रक्षेपण की अपर्याप्त प्रणाली को दर्शाते हुए तथा अतिरिक्त निधियों के अनावश्यक आबंटन के कारण सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान में ₹9,021.80 करोड़ की बचते बढ़ गई।

चार अनुदानों में (परिशिष्ट 2.5), ₹328.58 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे कुल ₹1,589.11 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जो कुल ₹4,631.53 करोड़ आधिक्य का 34.32 प्रतिशत है।

चार्ट 2.3: अनावश्यक/ अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



2.3.5 अभ्यर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें

राज्य बजट नियम पुस्तक के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग को जब भी बचत प्रत्याशित हो, तब वित्त विभाग को अनुदान/ विनियोजन या उसका एक भाग अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। वर्ष 2018 -19 की समाप्ति पर, राजस्व खंड के अंतर्गत 33 अनुदान तथा पाँच विनियोजन तथा पूंजीगत खंड के अंतर्गत 33 अनुदान थे जिनमें बचत हुई। तथापि, वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया था। इन मामलों में ₹28,869.38 करोड़ की बचत थी जिसमें ऐसे 70 मामलों में (36 अनुदानों तथा चार विनियोजन सहित) ₹28,869.20 करोड़ सम्मिलित है जहां बचत एक करोड़ तथा इससे अधिक की थी या 20 प्रतिशत से अधिक थी। संबंधित विवरणों को **परिशिष्ट-2.6** में दर्शाया गया है। अनुदानों में बचत अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक है जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई तथा निधियों (बचतों) को अभ्यर्पित न करना राज्य बजट नियम-पुस्तक के निर्देशों का उल्लंघन है।

2.3.6 व्यय की बहुलता

जम्मू एवं कश्मीर बजट नियम-पुस्तक के अनुसार, नियंत्रण अधिकारियों को वर्ष के दौरान जहां तक संभव हो सके, एक शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप से व्यय का उपयोग करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में तथा विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की बहुलता से बचना होगा। इसके विपरीत, सूचीबद्ध 28 अनुदानों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान वर्ष के लिए ₹10 करोड़ से अधिक व्यय किया गया था।

तालिका 2.8: वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर व्यय की बहुलता के मामलों

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	2018 -19 के दौरान कुल व्यय	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2019 में हुआ व्यय	निम्न के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी से मार्च 2019	मार्च 2019
1	2	गृह विभाग	7,112.05	2,791.62	1,349.89	39.25	18.98
2	3	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	899.96	558.25	445.13	62.03	49.46
3	4	सूचना विभाग	67.36	26.31	11.89	39.05	17.65

4	5	लद्दाख मामले विभाग	1,191.86	1,166.54	14.07	97.87	11.80
5	7	शिक्षा विभाग	9,168.41	4,454.98	3,011.12	48.59	32.84
6	8	वित्त विभाग	3,795.00	13,767.53	4,460.61	40.49	13.12
7	10	विधि विभाग	586.58	348.93	184.28	59.48	31.41
8	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	466.03	177.95	80.99	38.18	17.37
9	12	कृषि विभाग	1,261.99	537.54	260.74	42.59	20.66
10	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	603.82	260.66	123.77	43.16	20.49
11	14	राजस्व विभाग	489.43	180.36	101.45	36.85	20.72
12	15	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	529.10	252.03	156.96	46.75	29.66
13	16	लोक निर्माण विभाग	3,591.77	1,478.49	555.24	41.16	15.45
14	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	4,423.75	1,948.54	1,031.64	44.04	23.22
15	18	समाज कल्याण विभाग	1,418.81	674.44	368.71	47.53	25.98
16	20	पर्यटन विभाग	228.48	118.98	75.24	52.07	32.92
17	21	वन विभाग	859.14	342.44	175.76	39.85	20.45
18	22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	932.83	439.26	261.92	47.08	28.07
19	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	339.08	183.08	67.08	53.99	19.78
20	26	मत्स्य पालन विभाग	111.03	48.69	18.58	43.85	16.73
21	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	1,152.27	481.26	134.84	41.76	11.70
22	28	ग्रामीण विकास विभाग	2,263.28	867.96	534.34	38.34	23.60
23	29	परिवहन विभाग	117.88	50.15	21.37	42.54	18.13

24	30	जनजाति मामले विभाग	78.37	55.60	34.92	70.94	44.55
25	31	संस्कृति विभाग	64.57	30.53	12.94	42.27	20.03
26	32	वानिकी विभाग	258.94	138.13	73.78	53.34	28.49
27	34	युवा सेवाएँ एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	520.41	218.33	116.57	40.03	22.39
28	35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	45.39	31.86	1.87	70.20	4.12
		कुल	72,777.59	31,630.44	13,685.70		

अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता कुल व्यय के 37 तथा 98 प्रतिशत के बीच की रेंज में थी। 28 अनुदानों में अंतिम तिमाही में ₹72,777.59 करोड़ के कुल व्यय में से प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ से अधिक ₹31,630.44 करोड़ की राशि व्यय की गई थी जो कुल व्यय का 43.46 प्रतिशत है तथा अंतिम माह अर्थात् मार्च, 2019 के दौरान ₹72,777.59 करोड़ के कुल व्यय का 18.80 प्रतिशत अर्थात् ₹13,685.70 करोड़ की राशि उसी अनुदान से व्यय की गई थी। अंतिम तिमाही के दौरान विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय की बहुलता ने वित्तीय नियमों का गैर-अवलंबन का अननुपालन दर्शाया। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में तीव्र गति व्यय से बचने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाने पर विचार कर सकती है।

2.3.7 अनावश्यक बजट आबंटन - एक करोड़ से अधिक

23 अनुदानों के 33 मुख्य शीर्षों में ₹9,382.68 करोड़ (परिशिष्ट-2.7) की राशि को विभिन्न शीर्षों/ योजना के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया था, वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। प्रावधान को ऐसी अन्य योजनाओं के लिए पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए था जहां व्यय प्रावधान से अधिक था।

2.4 वित्तीय आंकड़ों का गैर-समेकन

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सक्षम बनाने, इसे बजट अनुदानों के भीतर ही रखने तथा उनके खातों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वित्तीय नियमावली यह अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनकी बहियों में दिए गए व्यय का महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर की बहियों में दिए व्यय से मिलान किया जाए। यद्यपि, विभागीय आंकड़ों के मिलान न होने को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित

रूप से बताया जा रहा है, इस संबंध में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक निरन्तर जारी थी। 2018-19 के दौरान, 371 नियंत्रण अधिकारियों में से 302 ने ₹44,611.42 करोड़ (₹51,230.71 करोड़ के कुल प्राप्तियों का (लोक ऋण को छोड़कर) 87.08 प्रतिशत) तथा ₹36,976.54 करोड़ (₹64,503.55 करोड़ (लोक ऋण को छोड़कर) की कुल व्यय का 57.32 प्रतिशत) का समेकन किया है।

लेखाओं का गैर-समेकन लेखाओं में दर्शाई गई प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों की पूर्णता तथा सत्यता के आश्वासन पर प्रभाव डालता है। विभाग द्वारा व्यय आंकड़ों का मिलान करने की विफलता के कारण धोखाधड़ियों, गबनों तथा अत्यधिक आहरणों आदि का पता न लगना के परिणाम के रूप में हो सकता है। सरकार धोखाधड़ी की सम्भाव्यता तथा निधियों के दुरुपयोग से बचने के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं का मिलान सुनिश्चित करें।

2.5 बजटीय विश्लेषण की समीक्षा के परिणाम

2.5.1 अयथार्थवादी बजट अनुमान

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए बनाए गए ₹95,563.61 करोड़ के मूल बजट को ₹1,04,718.27 करोड़ तक संशोधित किया गया। इसके प्रति, 2018-19 के दौरान ₹85,241.37 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था। 2014-15 से 2018-19 तक की समयावधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.9: 2014-19 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मूल बजट	43,542.83	53,590.46	72,669.54	92,921.77	95,563.61
संशोधित अनुमान	50,206.45	58,786.75	74,929.52	84,976.86	1,04,718.27
वास्तविक व्यय	43,099.00	54,660.00	65,197.00	73,784.27	85,241.37
बचत/आधिक्य	7,107.45	4,126.75	9,732.52	11,192.59	19,476.90

(स्रोत: बजट दस्तावेज विनियोजन लेखें तथा विनियोजन लेखें)

इसी प्रकार ₹95,562.80 करोड़ की अनुमानित प्राप्ति को ₹94,821.60 करोड़ तक संशोधित किया गया जिसके प्रति 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के लिए नीचे दिए गए विवरण अनुसार वास्तव में केवल ₹76,571.16 करोड़ की ही प्राप्ति हुई:

तालिका 2.10: 2014-19 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मूल बजट	42,063.79	47,776.69	66,943.85	87,360.04	95,562.80
संशोधित अनुमान	44,454.7	53,661.58	69,247.90	84,166.35	94,821.60
वास्तविक प्राप्तियां	39,200.00	50,430.00	62,746.00	74,073.00	76,571.16
कमी/ आधिक्य	5,254.70	3,231.58	6,501.90	10,093.35	18,250.45

(स्रोत: बजट दस्तावेज़ तथा विनियोजन लेखें तथा वित्त लेखें)

2.5.2 बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां

वर्ष 2018-19 में अनुदानों के लिए मांग की संवीक्षा ने निर्माण में निम्नलिखित अन्तर्निहित त्रुटियां दर्शाई गईं:

- ₹4,368.54 करोड़ का एक मुश्त बजटीय प्रावधान जो ₹95,563.61 करोड़ के कुल प्रावधान का 4.86 प्रतिशत बनता है, को राज्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में विस्तृत शीर्ष-वार/योजना वार प्रावधानों के बजाय अनुदानों हेतु एक अनुदान (अनुदान सं. 08) में नियंत्रण अधिकारियों के पास दर्शाया गया था। मामलों को अंतिम वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी दर्शाया गया था परन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- पूंजीगत लेखा शीर्षों को अनुदान हेतु मांग के उप-शीर्ष स्तर पर बन्द किया जा रहा है। अनुदानों हेतु अनुमोदित मांग में आब्जेक्ट शीर्ष स्तर तक विस्तृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है।

ये कमियां बजटीय प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बनाती हैं, इस प्रकार से महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा एकत्रित आंकड़ों से विभागीय आंकड़ों का समेकन करना कठिन है। राज्य सरकार को समय-समय पर उक्त मामलों की सूचना दी गई थी।

2.5.3 बजटीय अनुदानों के व्यपगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-1 [नियम 2.16 (5) तथा नियम 2.33] के प्रावधानों के अनुसार, राजकोष से तब तक कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तत्काल वितरण हेतु आवश्यक न हो। इसके अलावा, बजटीय अनुदान के व्यपगमन से बचने के लिए बैंकों अथवा सिविल जमा डिपॉजिट में रखने के लिए राजकोष से धन आहरित करना स्वीकार्य नहीं है। 13^{वें} वित्त आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि लोक लेखाओं को समेकित निधि के विकल्प के रूप में व्यवहारित नहीं किया जाना चाहिए तथा समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण

से बचते हुए सरकारी व्यय सीधे समेकित निधि से किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के अधीनस्थ लघु शीर्ष 800-अन्य जमा में यह पाया गया कि वर्ष की समाप्ति अर्थात् मार्च 2019 तक ₹671.76 करोड़ के संचित शेष को उस समेकित निधि के अंतर्गत लेखा से संबंधित मुख्य शीर्ष में दर्ज किया जाना / वापस लिखा जाना चाहिए था, जिससे इन्हें वास्तव में हस्तांतरित किया गया था क्योंकि आगामी वर्षों में लेखाओं के लघु शीर्ष से आहरण के लिए विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा इस प्रकार, यह विनियोजन लेखा तंत्र के माध्यम से विधानमंडल की समीक्षा से बच जाएगा।

2.5.4 संसाधनों का अयथार्थवादी पूर्वानुमान

जम्मू एवं कश्मीर राज्य बजट नियम पुस्तिका यह अनुबंधित करती है कि राज्य का बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभागीय अनुमानों पर आधारित होता है। विभागीय तथा जिला अनुमान दोनों को उन अधिकारियों का व्यक्तिगत ध्यान मिलना चाहिए जो उसे प्रस्तुत करते हैं तथा जितना हो सके उतना यथार्थ होना चाहिए। यह पाया गया कि स्वयं के कर राजस्व प्रक्षेपण हेतु 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान ₹11,538 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹9,826 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप मूल पूर्वानुमान से 15.29 प्रतिशत कम, ₹1,712 करोड़ गिरावट का अन्तर हुआ। इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए गैर-कर राजस्व का प्रक्षेपण ₹5,727 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹4,349 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप मूल प्रक्षेपण के प्रति 24.07 प्रतिशत तक कमी के तदनुरूप ₹1,378 करोड़ की कम उगाही/ प्राप्ति हुई। वर्षों के दौरान वास्तविक संग्रहण की तुलना में अंतिम पांच वर्षों के लिए कर तथा गैर-कर राजस्व का प्रक्षेपण निम्नानुसार है:

तालिका 2.11: वास्तविक की तुलना में राज्य के कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व का प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	राजस्व का संशोधित अनुमान	वास्तविक उगाही	भिन्नता	भिन्नता प्रतिशतता के रूप में
2014-15	स्वयं के कर राजस्व	6,438	6,334	104	1.62
	गैर-कर राजस्व	3,154	1,978	1,176	37.29
2015-16	स्वयं के कर राजस्व	7,988	7,326	662	8.29
	गैर-कर राजस्व	3,455	3,913	(-)458	(-)13.26
2016-17	स्वयं के कर राजस्व	8,442	7,819	623	7.38
	गैर-कर राजस्व	5,224	4,072	1,152	22.05

2017-18	स्वयं के कर राजस्व	10,136	9,536	600	5.92
	गैर-कर राजस्व	5,389	4,362	1,027	19.06
2018-19	स्वयं के कर राजस्व	11,538	9,826	1,712	15.29
	गैर-कर राजस्व	5,727	4,349	1,378	24.06

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखा)

राज्य के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति संग्रहण के अनुमानों से कम थी तथा वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 1.62 प्रतिशत से 15.29 प्रतिशत के बीच भिन्न थी जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के मामले में भिन्नता 37.29 प्रतिशत थी। 2015-16 में राज्य के गैर-कर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति अनुमान से 13.26 प्रतिशत अधिक थी तथा वर्ष 2016-17 और 2018-19 के दौरान राज्य का गैर-कर राजस्व 19.06 प्रतिशत से 24.06 प्रतिशत के बीच की रेंज से प्राप्ति अनुमानों से कम था। राज्य द्वारा मुख्य रूप से विद्युत प्राप्तियों के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण गैर-कर राजस्व हेतु अपने संशोधित अनुमानों से कम था।

2.5.5 सहायता अनुदान तथा सहायिकी आदि का गलत वर्गीकरण;

किसी संस्थान/ निकाय को सहायता अनुदान सरकार के राजस्व व्यय का भाग होना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹1,874.17 करोड़ का सहायता अनुदान, ₹99.18 करोड़ की सहायिकी, ₹0.19 करोड़ का वज़ीफ़ा एवं छात्रवृत्ति, ₹2.24 करोड़ का वेतन तथा ₹286.21 करोड़ अधिप्राप्ति की परिचालन लागत को भारत सरकार के लेखांकन मानक (आईजीएस-2) के पैरा 9 के उल्लंघन में व्यय के आगामी पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वितरित किया गया है जैसाकि तालिका 2.12 में तालिकाबद्ध किया गया है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को अधिक तथा राजस्व व्यय को कम बताया गया। इस प्रकार, लेखे व्यय का सही वर्गीकरण नहीं दर्शा रहे हैं।

तालिका 2.12: पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत अनुदान सहायता तथा सहायिकी का वितरण

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	अनुदान सहायता	सहायिकी	वज़ीफ़ा एवं छात्रवृत्ति	वेतन	अधिप्राप्ति की परिचालन लागत
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (सीओ)	61.48	--	--	--	--
4202- शिक्षा, खेल एवं संस्कृति पर सीओ	199.63	--	0.04	0.06	--
4210- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य पर सीओ	250.50	--	--	0.05	--

4217- शहरी विकास पर सीओ	100.25	--	--	--	--
4225- एससी, एसटी एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर सीओ	--	--	--	0.01	--
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सीओ	--	--	--	1.77	36.41
4236- पोषण पर सीओ	0.09	--	--	--	--
4250- सामाजिक सेवाओं पर सीओ	--	--	0.15	0.04	--
4401- फसल पैदावार पर सीओ	104.57	82.84	--	0.31	--
4403- पशुपालन पर सीओ	6.09	0.01	--	--	--
4405- मत्स्य पालन पर सीओ	1.74	--	--	--	--
4408- खाद्य संग्रहण तथा वेयरहाउसिंग पर सीओ	--	--	--	--	249.80
4425- सहयोग पर सीओ	--	0.02	--	--	--
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सीओ	1,031.91	--	--	--	--
4701- वृहत तथा मध्यम सिंचाई	0.28	--	--	--	--
4202- लघु सिंचाई पर सीओ	0.39	--	--	--	--
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर सीओ	--	16.31	--	--	--
5475- सामान्य आर्थिक सेवाओं पर सीओ	117.24	--	--	0.01	--
कुल	1,874.17	99.18	0.19	2.24	286.21

(स्रोत: वित्त लेखें)

2.6 कोषागारों की कार्य प्रणाली में ध्यान में लाई गई कमियां

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 2018-19 के लिए कोषागारों की कार्य प्रणाली में संकलन तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ नीचे दी गई हैं;

2.6.1 कोषागारों द्वारा मासिक लेखें प्रस्तुतीकरण करने में विलंब

वर्ष के दौरान, (लद्दाख डिवीजन) से भुगतान करने के लिए आठ³ कोषागारों के लेखें भुगतान की पहली सूची के रूप में आठ से 59 दिनों की रेंज में देरी से प्राप्त हुए तथा

³ जनस्कर, द्रास, खलत्सी, संकू, चित्कन, टाईसुरु, कारगिल, न्योमा

उन्ही कोषागारों के भुगतान के संबंध में दूसरी सूची के भी नौ से 59 दिनों की रेंज में देरी से प्राप्त हुए तथा शेष लेखें समय से प्राप्त हुए। आरंभिक लेखाओं का देरी से प्रस्तुतीकरण, कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हक.) द्वारा संकलित किए जाने वाले मासिक सिविल लेखाओं के लिए अनुवर्ती विलंब का कारण बना ।

2.6.2 पेंशन का आधिक्य भुगतान

31 मार्च 2019 को समाप्ति वर्ष के लिए कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हक.) द्वारा कोषागारों/ उप कोषागारों के निरीक्षण से पता चला कि समय पूर्व संराशीकरण का पुनर्स्थापन, पेंशनर की दोनों पत्नियों को पूरी पारिवारिक पेंशन का भुगतान, तथा कोषागार द्वारा वेतन का गलत निर्धारण जैसे कारणों से ₹61.90 लाख राशि (कश्मीर ₹39.27 लाख तथा जम्मू ₹22.63 लाख) का आधिक्य भुगतान किया। वर्ष 2017-18 के दौरान, चिन्हित ₹57.43 लाख के आधिक्य भुगतान में से ₹9.39 लाख (जम्मू डिवीजन) में से ₹7.84 लाख (जम्मू डिवीजन) से संबंधित कोषाधिकारी ने वसूल कर लिए है।

पेंशन संबंधी भुगतानों के संबंध में कोषाधिकारी के स्तर पर नियंत्रण को और सुदृढ़ करना चाहिए।

2.7 लेखा/रक्षा/रेलवे कार्यालयों द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न होना

ऐसे सव्यंवहार जो आरंभ में राज्य कोषागार में किए जाते हैं परन्तु पीएओ/ रक्षा कार्यालय द्वारा समायोजन योग्य है, को संभावित समायोजनों हेतु उचंत के अंतर्गत रखा जाता है। मार्च 2019 को समाप्त केंद्रीय पेंशन लेखांकन अधिकारी, नई दिल्ली, रक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद, रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एफएएंडसीएओ) उत्तर रेलवे की ओर से राज्य कोषागारों द्वारा भुगतान की गई क्रमशः ₹292.34 करोड़, ₹13.94 करोड़, ₹5.20 करोड़ और ₹3.57 करोड़ की राशि कोषागारों द्वारा संबंधित तिमाहियों को वाउचरों की प्रस्तुति न होने या केंद्रीय पेंशन लेखांकन अधिकारी, रक्षा तथा रेल विभाग से प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकार के लेखाओं में अभी भी (जुलाई 2019) समायोजन योग्य है । मामले पर संबंधित विभागों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा की जाने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य को अधिक राशि प्रतिपूर्ति योग्य है।

2.8 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

36 अनुदानों में से दो अनुदानों (अनुदान सं. 07 शिक्षा विभाग तथा अनुदान सं. 22 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग) की नमूना जांच में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा में आगामी लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाई गईं:

2.8.1 अनुदान सं. 07-शिक्षा विभाग

अनुदान सं. 07 शिक्षा विभाग की नमूना जांच में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा में निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाई गईं:

तालिका 2.13: 2018-19 के दौरान बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व (दत्तमत तथा प्रभारित)		पूंजीगत (दत्तमत तथा प्रभारित)		कुल विनियोजन (राजस्व+पूंजीगत) (5)=(1+3)	कुल व्यय (राजस्व+पूंजीगत) (6)=(2+4)	कुल बचत (-)/आधिक्य (+) (राजस्व+पूंजीगत) (7)=(5-6)
	कुल विनियोजन (1)	व्यय (2)	कुल विनियोजन (3)	व्यय (4)			
1	9,904.85	8,551.21	1,148.44	617.20	11,053.29	9,168.41	(-)1,884.87
कुल	9,904.85	8,551.21	1,148.44	617.20	11,053.29	9,168.41	(-)1,884.87(17%)

(कोष्ठक में कुल विनियोजन के प्रति कुल बचत का प्रतिशत दर्शाया गया है)

- (i) राजस्व (दत्तमत) के साथ-साथ पूंजीगत (दत्तमत) दोनों खंडों में बहुत अधिक बचत हुई। ₹11,053.29 करोड़ के बजट/ विनियोजन के प्रति, वास्तविक व्यय ₹9,168.41 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹1,884.87 करोड़ (17 प्रतिशत) की कुल बचत हुई। ये यह दर्शाता है कि बजट आकलनों को या तो अयथार्थवादी ढंग से बनाया गया था या विभाग ने 2018-19 के दौरान राशि का संवितरण नहीं किया था तथा बचतों को अभ्यर्पित भी नहीं किया गया।
- (ii) राज्य बजट नियम पुस्तक के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग को जब भी बचत प्रत्याशित हो तब वित्त विभाग को अनुदान/विनियोजन या उसके भाग को अभ्यर्पित करना आवश्यक है। वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर, 16 मामलों (परिशिष्ट 2.8) में, संबंधित विभाग द्वारा ₹22.36 करोड़ (28 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित नहीं किया गया। अनुदानों में बचत अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक है जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई तथा निधियों (बचतों) को अभ्यर्पित न करना राज्य बजट नियम पुस्तक के निर्देशों का उल्लंघन है।

- (iii) छः मामलों (परिशिष्ट 2.9) में, ₹0.89 करोड़ की राशि का व्यय या तो मूल अनुमानो या अनुपूरक मांगों में बिना बजटीय प्रावधान के किया गया। ये सेवाएं अनुदानों के लिए मांग में वर्णित न की गईं नई सेवाएं या नई सेवाओं के साधन हो सकते हैं। सेवाएँ और सेवाओं के नए साधन भी हो सकती हैं जिसके प्रति कोई टोकन अनुदान भी प्राप्त नहीं किया गया था।
- (iv) छः लघु शीर्षो/ योजनाओं में ₹1.23 करोड़ (परिशिष्ट 2.10) का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप सामान्य जन को क्रमशः अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए। प्रावधान को उन जरूरतमंद योजनाओं/ कार्यों के लिए पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए जहां प्रावधान से आधिक्य व्यय हुआ था।

2.8.2 अनुदान संख्या - 22 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग

अनुदान की बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा में निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्शाई गईं :

तालिका 2.14: 2018-19 के दौरान बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं. (1)	राजस्व (दत्तमत तथा प्रभारित)		पूंजीगत (दत्तमत तथा प्रभारित)		कुल विनियोजन (राजस्व+पूंजीगत) (6)=(2+4)	कुल व्यय (राजस्व+पूंजीगत) (7)=(3+5)	कुल बचत (-)/आधिक्य (+) (राजस्व+पूंजीगत) (8)=(6-7)
	कुल विनियोजन (2)	व्यय (3)	कुल विनियोजन (4)	व्यय (5)			
1	785.86	655.33	1,575.42	277.49	2,361.28	932.82	(-)1,328.46
कुल	785.86	655.33	1,575.42	277.49	2,361.28	932.82	(-)1,328.46(56%)

(कोष्ठक में कुल विनियोजन के प्रति कुल बचत का प्रतिशत दर्शाया गया है)

- (i) राजस्व (दत्तमत एवं प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत एवं प्रभारित) खंड में बचते थी। ₹2,361.28 करोड़ के बजट/ विनियोजन के प्रति, वास्तविक व्यय ₹932,82 करोड़ था जिसके परिणाम स्वरूप ₹1,328.46 करोड़ (56 प्रतिशत) का कुल बचतें थी।
- (ii) राज्य बजट नियम पुस्तक के अनुसार, व्यय करने वाले विभाग को जब भी बचत का प्रत्याशित/ पूर्वानुमान हो तब वित्त विभाग को अनुदान/विनियोजन या उसके भाग को लौटाना/ अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। वर्ष 2018 -19 की समाप्ति पर, 23 मामलों

(परिशिष्ट 2.8) में, संबंधित विभाग द्वारा ₹14.67 करोड़ (64 प्रतिशत) की बचत को अभ्यर्पित नहीं किया गया। अनुदानों में बचत, अनुदानों के अधिक निर्धारण की सूचक है जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई तथा निधियों (बचतों) को अभ्यर्पित न करना राज्य बजट नियम पुस्तक के निर्देशों का उल्लंघन है।

- (iii) 8 मामलों (परिशिष्ट 2.9) में ₹0.45 करोड़ की राशि का व्यय या तो मूल अनुदानों या अनुपूरक मांगों में बिना बजटीय प्रावधान के किया गया। ये सेवाएं अनुदानों हेतु मांग में वर्णित न की गईं सेवाएँ और सेवाओं के नए साधन भी हो सकती हैं जिसके प्रति कोई टोकन अनुदान भी प्राप्त नहीं किया गया था।
- (iv) तीन लघु शीर्षों/ योजनाओं में ₹0.57 करोड़ (परिशिष्ट 2.10) का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप सामान्य जन को अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए। प्रावधान को उन जरूरतमंद योजनाओं/ कार्यों के लिए पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए जहां प्रावधान से आधिक्य व्यय हुआ था।

2.9 निष्कर्ष

₹28,869.38 करोड़ की बचत में ₹4,631.53 करोड़ के आधिक्य को समायोजित करके विभिन्न अनुदानों तथा विनियोजनों में ₹24,237.85 करोड़ की कुल बचत हुई।

31 मार्च 2019 तक अनुमोदित प्रावधान से ₹1,18,692.88 करोड़ के आधिक्य व्यय को जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 82 के अंतर्गत नियमन करना अपेक्षित है। छः मामलों में अंतिम पांच वर्षों में ₹एक करोड़ तथा कुल अनुदान के दस प्रतिशत या अधिक की निरन्तर बचत भी देखी गई। 70 मामलों में, अन्य विकास प्रयोजनों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए वर्ष के अन्त तक प्रत्याशित बचत को अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 'व्यय की बहुलता' के अलावा अपर्याप्त प्रावधानों/ अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों के मामलों भी थे।

कोषागारों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा में पेंशन/ परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के ₹61.90 लाख की राशि तक के आधिक्य भुगतान को दिखाया गया।

इसमें वर्ष के अन्त में मुख्य शीर्ष-8443-सिविल जमा के अधीनस्थ लघु शीर्ष-800-अन्य जमा के अन्तर्गत ₹671.76 करोड़ का संचित शेष है जिसे उस समेकित निधि जिससे इन्हें वास्तव में हस्तांतरित किया गया था, के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्षों में पुनःदर्ज नहीं किया गया है।

2018-19 के दौरान, ₹1,874.17 करोड़ की सहायता अनुदान, ₹99.18 करोड़ की सहायिकी, ₹0.19 करोड़ का वज़ीफ़ा एवं छात्रवृत्ति, ₹2.24 करोड़ वेतन के रूप में तथा ₹286.21 करोड़ परिचालन लागत/ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के रूप में व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को अधिक तथा राजस्व व्यय को कम बताया गया।

अध्याय-III
वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - III

वित्तीय रिपोर्टिंग

उचित तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक सहज आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो सामरिक योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल सुप्रबंधकता प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता करते हैं।

3.1 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारतीय संविधान की धारा 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के लेखों के फॉर्म निर्धारित कर सकता है। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2018-19 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया तथा इसकी कमियों को नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालन/कमी
1	आईजीएएस 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियां- प्रकटन आवश्यकताएं	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखाओं के विवरण 9 तथा 20)	वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि, गारंटियों में वृद्धि, विलोप जैसी विस्तृत सूचना, प्रत्येक संस्थान हेतु गारंटियों के क्षेत्र तथा वर्ग को प्रस्तुत किए गए परन्तु प्रत्येक संस्थान के लिए गारंटियों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

2	आईजीएस 2: <i>सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण</i>	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखाओं का विवरण 10)	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत वर्गीकृत की जाने वाली कुछ सहायता अनुदानों को पूंजीगत खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (ii) राज्य सरकार द्वारा संवेदनापूर्ण दी गई सहायता अनुदानों के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2019)।
3	आईजीएस 3: <i>सरकारों द्वारा निष्पादित ऋण एवं अग्रिम</i>	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखाओं का विवरण 18)	राज्य सरकार द्वारा बकायों तथा उस पर उपार्जित ब्याज की वसूलियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए।

(स्रोत: भारत सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखें)

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन

जम्मू एवं कश्मीर वित्त संहिता खण्ड-1 के पैरा 7.10 के अनुसार, ऐसे बिल जिन्हें भुगतान के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है, को संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों पर अग्रिम भुगतान के रूप में आहरित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को उस आगामी माह के अन्त तक डीसी बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें नियंत्रण अधिकारी के लिए एसी बिल को आहरित किया जाता है तथा नियंत्रण अधिकारी को इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर महालेखाकार को प्रतिहस्ताक्षरित रूप में इसे प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(i) इसके विपरीत, 31 जनवरी 2019 तक विभिन्न आहरण तथा वितरण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा. एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को एसी बिलों पर आहरित 2,257 बिलों के अन्तर्गत ₹5,178.56 करोड़ (**परिशिष्ट 3.1**) की कुल राशि के प्रति तदनुसूची डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। शेष 2,257 एसी बिलों में से, ₹1,159.89 करोड़ के 1,840 बिल 2016-17 से संबंधित है, ₹1,306.35 करोड़ के 144 बिल 2017-18 से संबंधित है तथा ₹2,712.32 करोड़ के शेष 273 बिल वर्ष 2018-19 से संबंधित है। अधिकतर डीसी बिल निम्नलिखित विभागों से प्रतीक्षित थे (मार्च 2019) जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
01	शिक्षा विभाग	2,420.23	46.74
02	ग्रामीण विकास विभाग	925.92	17.87
03	राजस्व विभाग	211.80	4.09
04	चिकित्सा विभाग	161.23	3.11
05	गृह विभाग	221.31	4.27
06	कृषि विभाग	321.58	6.21
07	उद्योग विभाग	142.64	2.75

(स्रोत: वित्त लेखें)

(ii) इसके अलावा, 2018-19 के दौरान ₹3,105.63 करोड़ की राशि के 268 एसी बिलों को आहरित किया गया था जिसमें से केवल मार्च 2019 में ₹1,003.82 करोड़ (32.32 प्रतिशत) की राशि के 93 एसी बिल आहरित किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹691.03 करोड़ (22.25 प्रतिशत) की राशि के 50 एसी बिलों को आहरित किया गया था। मार्च 2019 में आहरित ₹1,003.82 करोड़ की राशि के 93 एसी बिलों में से शिक्षा विभाग द्वारा ₹356.26 करोड़ (35.49 प्रतिशत) के 23 बिल, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹411.80 (41.02 प्रतिशत) के 16 बिल, गृह विभाग द्वारा ₹108.56 करोड़ के 11 बिल, योजना विभाग द्वारा ₹61.48 करोड़ के 15 बिल, उद्योग विभाग द्वारा ₹33.20 करोड़ के 10 बिल, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ₹19.61 करोड़ के 08 बिल, कृषि विभाग के लिए ₹12.12 करोड़ के 04 बिल, राजस्व विभाग द्वारा ₹0.04 करोड़ के लिए 02 बिल, पर्यटन विभाग द्वारा ₹0.15 के लिए 01 बिल, विधि विभाग द्वारा ₹0.12 करोड़ के 01 बिल, वित्त विभाग द्वारा ₹0.23 करोड़ के लिए 01 बिल, तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹0.25 करोड़ के लिए 01 बिल आहरित किए गए थे। मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय यह दर्शाता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट प्रावधानों को व्यय करने के लिए थे तथा इससे अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का पता चलता है।

मामलों को समय-समय पर निरंतर सरकार/ वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया है। राज्य वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में निर्देश जारी होने के बावजूद, डीडीओ ने महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को लंबित डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किए।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध न करने की स्थिति ने अपव्यय/दुरुपयोग/अपकरण आदि की संभावना को बढ़ावा दिया है। सरकार मौजूदा नियमावली के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अनुबंधित अवधि के भीतर आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसे स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण जिनके पास स्वयं के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, की वित्तीय रूप से सहायता सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किए जाने के लिए सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करके की जाती है। राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों को 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रदान की गई जीआईए की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.3: राज्य द्वारा स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निकाय/ प्राधिकरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	श्रीनगर नगर निगम	161.16	158.18	285.02	108.47	108.53
2	जम्मू नगर निगम	108.64	98.54	134.49	163.42	73.80
3	शहरी स्थानीय निकाय (कश्मीर)	87.36	56.03	1.95	105.17	61.63
4	शहरी स्थानीय निकाय (जम्मू)	62.94	76.65	69.61	76.29	46.00
5	एसकेयूएसटी* - कश्मीर	100.54	132.18	166.75	94.62	228.60
6	एसकेयूएसटी* - जम्मू	59.48	54.61	81.00	146.38	101.00
7	कश्मीर विश्वविद्यालय	114.67	156.80	145.84	160.00	211.00
8	जम्मू विश्वविद्यालय	76.14	85.80	124.00	137.00	158.94

9	जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद	16.93	19.52	24.55	33.65	34.87
10	जम्मू एवं कश्मीर कला एवं संस्कृति अकादमी	17.16	15.18	23.97	24.29	18.67
11	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)	10.47	10.13	12.14	13.70	16.50
12	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	7.48	17.47	13.11	18.00	23.00
13	अन्य	446.28	641.59	646.72	1,673.12	2,243.04
	कुल	1,269.25	1,522.68	1,729.15	2,754.11	3,325.58

*शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/कश्मीर
(स्रोत: वित्त लेखें)

वित्तीय नियमावली यह प्रावधान करती है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान पाने वालों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त किया जाना चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात् अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो इन्हें उनकी संस्वीकृति की तिथि से 18 माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक.), जम्मू एवं कश्मीर को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

2018-19 के अन्त तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति:

31 मार्च 2019 तक स्थिति

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	मदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	822	2,709.41
2017-18	548	3,263.58
2018-19	404	2,246.91
कुल	1,774	8,219.90

(स्रोत: वित्त लेखें)

31 मार्च 2019 तक ₹8,219.90 करोड़ के कुल 1,774 यूसी बकाया थे। बकाया 1,774 यूसी में से ₹2,246.91 करोड़ के 404 यूसी एक वर्ष से भी अधिक लंबित थे तथा ₹3,263.58 करोड़ की राशि के 548 यूसी दो वर्षों से भी अधिक लंबित थे। अधिकतर बकाया यूसी शिक्षा विभाग (₹4,741.49 करोड़), आवास तथा शहरी विभाग (₹1,137.64 करोड़), कृषि विभाग (₹679.42 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (₹344.09 करोड़) तथा पर्यटन विभाग (₹239.71 करोड़) से प्रतीक्षित है।

यूसी के गैर-प्रस्तुतीकरण का परिणाम इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि धन को वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन हेतु व्यय किया गया था। यूसी का अधिक लम्बन निधियों के गलत विनियोजन तथा धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। राज्य सरकार इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यूसी के अधिक लम्बन के साथ विभागों को अधिक अनुदान देना जारी रखना चाहिए या नहीं।

3.4 वार्षिक लेखाओं की गैर-प्रस्तुति / विलम्ब से प्रस्तुति होना

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को 55 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन स्वायत्त निकायों से कुल 821 वार्षिक लेखें प्रतीक्षित थे जैसा कि 31 मार्च 2019 तक में विवरण दिया गया है (*परिशिष्ट 3.2*)। लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति हेतु बार-बार इन निकायों के साथ मामलों पर चर्चा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की सत्यापन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19 (3) तथा 20 (1) के अंतर्गत की जाती है। उक्त धारा के अनुसार लेखापरीक्षा सीमा के अन्तर्गत आने वाली एबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखें प्रस्तुत करना आवश्यक है। दस स्वायत्त निकायों के संदर्भ में, 84 निकाय जिन्हें सीएंडएजी को वार्षिक लेखें देने थे, एक से 24 वर्षों के बीच की अवधि में प्रस्तुत नहीं किए गए थे जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 3.5: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतिकरण

(₹ करोड़ में)

निकाय/ प्राधिकरण का नाम	वर्षों में विलंब	लेखाओं की संख्या	2018-19 के दौरान अनुदान
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह (एलएएचडीसी-एल)	1-24	24	546.24
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल (एलएएचडीसी-के)	1-16	16	597.95
क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	1-10	10	शून्य
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) श्रीनगर, कश्मीर	1-09	09	228.60
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) जम्मू	1-03	03	101.00
ईपीएफ बोर्ड श्रीनगर	1-04	04	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	1-07	07	शून्य
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	1-04	04	23.00
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	1-06	06	शून्य
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	1-01	01	12.48
कुल		84	

भारत के सीएजी को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह तथा एलएएचडीसी, कारगिल की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है। एलएएचडीसी, लेह अपने आरंभ अर्थात् 1995-96 से लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं को प्रस्तुत करने में विफल रहा है तथापि, परिषद को पर्याप्त राशि जारी की जा रही है तथा वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त शेष को राज्य के लोक लेखें में गैर-व्यपगत निधि में जमा किया जाता रहा है। यही स्थिति एलएएचडीसी, कारगिल के संबंध में भी है जो वर्ष 2004-05 से अस्तित्व में आया तथा इसके आरंभ से ही लेखें बकाया है। क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) ने भी अपने आरंभ अर्थात् नवम्बर 2009 से लेखापरीक्षा हेतु लेखें प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसी प्रकार, एसकेयूएसटी,

कश्मीर, एसकेयूएसटी, जम्मू, ईपीएफ बोर्ड, श्रीनगर, केवीआईबी, बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी तथा एसएलएसए ने भी एक से नौ वर्षों की अवधि हेतु लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखें प्रस्तुत नहीं किए हैं।

राज्य बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/ विलंब से प्रस्तुत करना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस गैर-अनुपालन के संदर्भ में, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखें अभी तक राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जैसा कि उन संविधियों के अंतर्गत आवश्यक है जिनके अन्तर्गत इन निकायों को सृजित किया गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब/ बकायों में पता न लगने वाली वित्तीय अनियमितताओं से जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और गलत विनियोजन की संभावना बनाते हैं। इसने राज्य विधानमंडल को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर फीडबैक प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है।

सरकार समय पर लेखाओं के तैयार करने तथा विधानमंडल को प्रस्तुत करने हेतु निकायों के साथ मामले पर चर्चा कर सकती है।

3.5 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में *प्रोफार्मा* लेखें तैयार करना आवश्यक है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखें उनकी संपूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को परिलक्षित करते हैं। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों में यदि कुछ आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलंब धोखाधड़ी और लोक धन की लीकेज के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपक्रम ऐसे लेखें तैयार करे तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट समय सीमा में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करें। सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम हैं: (क) राजकीय मुद्रणालय, श्रीनगर एवं जम्मू तथा (ख) उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के *प्रोफार्मा* लेखें बकाया हैं। दो राजकीय मुद्रणालयों ने 1968-69 से 2018-19 तक अपने *प्रोफार्मा* लेखें नहीं बनाए हैं (जुलाई 2019)। कश्मीर एवं लद्दाख डिवीजन में, विभागीय रूप से चल रही पीडीएस शॉप के साथ-साथ फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) द्वारा अर्थात् विभागीय शॉप के माध्यम से

55 प्रतिशत तथा एफपीएस के माध्यम से 45 प्रतिशत तक पीडीएस परिचालन किए गए हैं। इन दो डिविजनों में 1975-76 से 2018-19 (जुलाई 2019) तक प्रोफार्मा लेखें नहीं बनाए गए हैं। जम्मू डिविजन में, पीडीएस परिचालन मुख्य रूप से निजी डीलरों के नेटवर्क (लगभग 91 प्रतिशत) के माध्यम से है तथा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2018-19 तक प्रोफार्मा लेखें नहीं बनाए गए हैं। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखाओं की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।

राज्य में पीएसयू के प्रोफार्मा लेखाओं की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-3.3 में दी गई है। 24 पीएसयू में से 20 पीएसयू के लेखें 1 से 21 वर्षों के की अवधि के बीच अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे। लेखाओं को अंतिम रूप देने हेतु कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.6 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/ अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करने पर विचार किया जाता है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बजटीय तथा लेखांकन हेतु लघु शीर्ष 800 का दैनिक परिचालन व्यय अथवा राजस्व इसके उपयुक्त उद्देश्य के लिए प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना अपारदर्शिता लेखें प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹51,230.71 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 8.24 प्रतिशत लेखाओं के 35 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,220.87 करोड़ [₹3,246.49 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों को सम्मिलित करते हुए (₹2,033 करोड़ उपभोक्ताओं से वसूल, विद्युत विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 2801-“विद्युत” के अंतर्गत विद्युत बिक्री के कारण ₹1,200 करोड़ की सहायिकी का डेबिट, तथा ₹13.26 करोड़ की विविध विद्युत प्राप्तियों को दर्शाता है) जिसके लिए मुख्य तथा लघु शीर्षों के अंतर्गत कोई उपयुक्त लघु शीर्ष निर्धारित नहीं है] को लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियों’ के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, ₹64,503.55 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 5.68 प्रतिशत बनाते हुए 55 मुख्य लेखाओं के शीर्षों के अंतर्गत ₹3,662.17 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुक बड़ी राशियों का वर्गीकरण लेखाओं की सही स्थिति नहीं दर्शाता है।

सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों तथा हुए व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों

तथा व्यय को एकत्र करने के बजाय अधिक स्पष्टता के लिए दर्शाने पर विचार कर सकती है।

3.7 ठेकेदारों को बकाया देयताएं

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य की ₹4,041.11 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता में (₹2,098.06 करोड़ 2017-18 में) मुख्य निर्माण कार्य तथा ठेके (₹319.63 करोड़), भूमि अधिग्रहण प्रभार (₹2,514.98 करोड़) तथा कार्यो/ आपूर्ति पर (₹1,206.50 करोड़) के अदत्त बिल सम्मिलित है। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की देयताओं में ₹1,943.05 करोड़ की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा निधियों का प्रावधान किए बिना ठेकेदार द्वारा कार्य करवा रही है तथा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा इस प्रकार, इसके फलस्वरूप इस लेखा पर देयता का सृजन हुआ।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मुद्दों के लिए कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू), कृत कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए इस बात पर ध्यान न देते हुए कि इन समितियों द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं, प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में निर्देश जारी किए थे। इन एटीएन को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधिवत रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त (एसएफआर) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जा चुका है। इन प्रतिवेदनो पर पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को 06 अप्रैल 2018 को अग्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य 20 जून 2018 से राज्यपाल/ राष्ट्रपति शासन के अधीन है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो को संसद में प्रस्तुतीकरण के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित कर दिया गया है ।

3.9 निष्कर्ष

31 जनवरी 2019 तक विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एसी बिलों पर आहरित कुल ₹5,178.56 करोड़ की राशि के प्रति तदनुरूपी डीसी बिलों को महालेखाकार (लेखा. एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं किया गया था। आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध न करने की स्थिति ने अपव्यय/दुरुपयोग/अपकरण आदि की संभावना को बढ़ावा दिया है।

31 मार्च 2019 तक कुल ₹8,219.90 करोड़ की राशि वाले कुल 1,774 यूसी बकाया थे। राज्य सरकार को अधिक लंबित यूसी वाले विभागों को निरंतर अधिक अनुदान देने के लिए उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

31 मार्च 2019 तक लेखापरीक्षा के लिए 54 स्वायत्त निकायों के संदर्भ में कुल 821 वार्षिक लेखें वर्ष 1972-73 से 2018-19 तक के बीच प्रतीक्षित थीं।

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखाओं की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती।

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों तथा अन्य व्यय के अंतर्गत बुक की गई अधिक राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा लेखाओं की सही स्थिति नहीं दर्शाता है।

श्रीनगर/जम्मू
दिनांक 21 जुलाई 2020



(इला सिंह)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 31 जुलाई 2020



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1 (संदर्भ: पैराग्राफ: 1) जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा					
क. सामान्य डाटा					
क्र. सं.	विवरण		आंकड़े		
1	क्षेत्र		2.22 लाख* वर्ग किमी.		
2	जनगणना (2019)(\$) (2009)(\$)		1.28 करोड़ 1.25 करोड़		
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)		124 प्रति वर्ग किमी.		
4	2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 21.9 प्रतिशत)		10.4		
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.0 प्रतिशत)		67.2		
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर)। (अखिल भारतीय औसत= 33 प्रति 1000 जीवित जन्म पर (2017))		23		
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की दर (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष (2012-16))		73.5		
8	एचडीआई मूल्य दर#	भारत 2018 (यूएनडीपी द्वारा बताई गई मानव विकास रिपोर्ट 2019)	0.647		
9	विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी@ सीएजीआर (2011-12 से 2018-19)		6.32 10.93		
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2018-19)		जम्मू एवं कश्मीर		10.20
			विशेष श्रेणी राज्य		11.55
11	जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)		जम्मू एवं कश्मीर		11.66
			विशेष श्रेणी राज्य		11.91
ख. वित्तीय डाटा					
क्र. सं.	विवरण (सीएजीआर)	आंकड़े (प्रतिशत में)			
		2009-10 से 2017-18		2017-18 से 2018-19	
		विशेष श्रेणी राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	विशेष श्रेणी राज्य	जम्मू एवं कश्मीर
क.	राजस्व प्राप्तियां	13.41	13.52	11.64	5.60
ख.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व	17.65	27.73	23.22	11.04
ग.	गैर-कर राजस्व	8.57	20.91	19.16	(-)0.30
घ.	कुल व्यय	11.95	11.41	13.97	25.50
ड.	पूँजीगत व्यय	9.64	6.55	13.68	(-)18.74

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.97	16.41	16.16	44.63
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.37	14.98	17.91	42.13
ज.	वेतन एवं मजदूरी	12.81	12.42	14.70	49.54
झ.	पेंशन	19.15	16.74	13.33	39.03

#मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)

स्रोत: *आर्थिक सर्वे (जम्मू एवं कश्मीर), 2017, @आर्थिक सर्वेक्षण (भारत सरकार) 2018-19

\$ भारत की जनगणना (जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104 से 115)

परिशिष्ट-1.2

भाग क: संरचना तथा सरकारी लेखाओं के प्रपत्र

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा ।

भाग-I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष बिलों, आंतरिक और बाह्य ऋणों के निर्गम द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि कहा जाता है।

भाग-II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि तत्काल अप्रत्याशित व्यय जिसे विधानमंडल से मंजूरी प्राप्त होना शेष है, को पूरा करने के लिए अग्रिम देने में सक्षम बनाने हेतु राज्यपाल के नियंत्रण पर अग्रदाय की प्रकृति की होती है। विधानमंडल का अनुमोदन ऐसे व्यय के लिए तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि वापस लेने के बाद प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-III: लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों के संबंध में कुछ कतिपय संव्यवहारों जैसे लघु बचते, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो आकस्मिकता निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखाओं में रखा जाता है तथा राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं हैं।

भाग ख: वित्त लेखाओं का प्रारूप

विवरण	प्रारूप
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरण का विवरण
विवरण सं. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण सं. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण
विवरण सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय का विवरण
विवरण सं. 6	उधार तथा अन्य देयताओं का विवरण
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण
विवरण सं. 8	सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण
विवरण सं. 11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण सं. 12	राजस्व के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा उपयोग का विवरण
विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश

विवरण सं. 14	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 15	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 16	लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 17	उधारो तथा अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमो के विस्तृत विवरण
विवरण सं. 19	सरकार के निवेशो का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों पर विस्तृत विवरण
विवरण सं. 22	चिन्हित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट-1.3

राजकोषीय वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति

चयनित राजकोषीय परिवर्तों के लिए टीएफसी द्वारा निर्धारित मानदंड/ उच्चतम शीर्ष, राजकोषीय समुच्चयों के एक सेट के लिए अपने अनुमानों तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं/ प्रक्षेपों के साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में और अधिनियम के अंतर्गत विधायिका में बनाये गए अन्य विवरणों में (परिशिष्ट 1.2 के भाग ख) का उपयोग प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के रुझानों तथा पद्धति का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेत है, कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व तथा राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय समुच्चय को वर्तमान बाजार कीमतों पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया है। जीएसडीपी द्वारा उपलब्ध प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय परिवर्तों को के लिए उत्थान गुणांकों का भी आकलन करने के लिए कार्य किया गया है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख रहे हैं या ये राजकोषीय समुच्चय भी जीएसडीपी के अतिरिक्त अन्य कारकों से प्रभावित है। विगत पाँच वर्षों हेतु जीएसडीपी में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान कीमतों पर भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
वर्तमान कीमतों पर राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441*
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52

(स्रोत: *अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग निदेशालय जम्मू एवं कश्मीर, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट, भारत सरकार)

शर्तें	गणना का आधार
मानदंड में उत्थान	जीएसडीपी वृद्धि/ मानदंड की वृद्धि दर
अन्य मानदंड (वाई) के संबंध में (एक्स) मानदंड का उत्थान	मानदंड (एक्स) की वृद्धि दर मानदंड (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आरओजी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि} / \text{पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/ $[(\text{पिछले वर्ष राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] * 100$

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बकाया ऋण के लिए ब्याज प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुआ	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक राशि + ऋणों तथा अग्रिमों का अंत शेष)/2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण तथा अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पूर्व-विचलन गैर-नियोजित राजस्व घाटा	गैर-नियोजित राजस्व व्यय - (राज्य के स्वयं कर राजस्व + राज्य के स्वयं गैर-कर राजस्व)
राज्य का स्वयं का घाटा	राजकोषीय घाटा- केंद्रीय करों/ शुल्कों में हिस्सेदारी- केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान
गैर-नियोजित राजस्व गैप	राजस्व घाटा - योजना लेखा पर राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - (योजना राजस्व व्यय - योजना अनुदान)
प्राथमिक राजस्व व्यय	कुल राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1, पैराग्राफ: 1.2 तथा 1.3)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला डाटा

(₹ करोड़ में)

भाग-क प्राप्तियां	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय सकल					
1. राजस्व प्राप्तियां (क) + (ख)	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
(क) कर राजस्व	10,811	15,141	17,308	21,448	23,816
	(37)	(42)	(41)	(44)	(46)
(i) राज्य के स्वयं के कर से राजस्व	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826
	(22)	(20)	(19)	(20)	(19)
जिसमें शामिल हैं					
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	0	2,611	5,134
				(27)	(52)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,602	5,277	6,012	4,493	1,757
	(73)	(72)	(77)	(47)	(18)
राज्य उत्पाद शुल्क	466	533	569	833	1,291
	(7)	(7)	(7)	(9)	(13)
वाहनों पर कर	132	145	150	228	239
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
स्टॉप तथा पंजीकरण शुल्क	248	264	227	307	265
	(1)	(1)	(4)	(3)	(3)
भू-राजस्व	15	12	17	29	41
	(0.24)	(0.1)	(0.22)	(0.30)	(0.42)
अन्य कर	871	1,095	844	1,035	1,099
	(14)	(15)	(11)	(11)	(11)
(ii) केंद्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा	4,477	7,814	9,489	11,912	13,990
	(15)	(22)	(23)	(25)	(27)
(ख) गैर-कर राजस्व	18,127	20,640	24,670	27,064	27,415
	(63)	(58)	(59)	(56)	(54)
(i) राज्य के स्वयं के गैर-कर राजस्व	1,978	3,913	4,072	4,362	4,349
	(7)	(11)	(10)	(9)	(8)
जिसमें शामिल हैं					
विद्युत विभाग से प्राप्तियां	1,428	1,477	2,770	3,151	3,246
	(72)	(38)	(68)	(72)	(75)
(ii) केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	16,150	16,728	20,598	22,702	23,066
	(56)	(47)	(49)	(47)	(45)
राज्य के स्वयं के राजस्व	8,312	11,239	11,891	13,898	14,175
(क) (i) + (ख) (i)					
केंद्र से राजस्व हस्तांतरित	20,627	24,542	30,087	34,614	37,056
(क) (ii) + (ख) (ii)					
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली)	3	4	19	4	4
3. सकल लोक ऋण प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिमों की प्राप्तिओं सहित)	10,259	14,645	20,749	25,557	25,336
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (1+2+3)	39,201	50,430	62,746	74,073	76,571
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0.55	0	0	0.15	0.17
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियां (विभागीय नकद चैस्ट तथा नकद बचत में प्राप्तिओं सहित)	37,242	49,546	35,983	30,698	39,107
सकल प्राप्तियां (4+5+6)	76,443	99,976	98,729	1,04,771	1,15,678
लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) (विभागीय)	3,906	4,312	2,396	(-164)	8,605

1 01 करोड़ का अंतर जहां भी है, वह पूर्णांक करने के कारण है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नकद चैस्ट तथा नकद बचत में प्राप्तियों सहित)					
भाग- ख संवितरण					
राजकोषीय समुच्चय	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. राजस्व व्यय	29,329	36,420	39,812	40,916	56,090
(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)	(85)	(83)	(83)	(80)	(87)
(क) योजना/ सीएसएस/ सीए	2,872 (10)	1,573 (4)	2,000 (5)	2,500 (6)	2,512 (4)
(ख) गैर-नियोजित/ सामान्य/ साधारण/ एसएफई	26,457 (90)	34,847 (96)	37,812 (95)	38,416 (94)	53,578 (96)
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	12,039 (41)	13,675 (38)	15,110 (38)	16,888 (41)	22,850 (41)
(ii) सामाजिक सेवाएं	8,501 (29)	11,331 (31)	11,564 (29)	13,117 (32)	17,931 (32)
(iii) आर्थिक सेवाएं	8,789 (30)	11,414 (31)	13,138 (33)	10,911 (27)	15,309 (27)
2. पूंजीगत व्यय	5,134	7,331	8,286	10,353	8,413
(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)	(15)	(17)	(17)	(20)	(13)
(क) योजना/ सीएसएस/ सीए	4,501 (88)	1,256 (17)	1,440 (17)	2,716 (26)	3,008 (36)
(ख) गैर-नियोजित/ सामान्य	633 (12)	6,075 (83)	6,846 (83)	7,637 (74)	5,405 (64)
(i) सामान्य सेवाएं	608 (12)	1,112 (15)	769 (9)	803 (8)	818 (10)
(ii) सामाजिक सेवाएं	1,608 (31)	2,674 (36)	2,306 (28)	2,787 (27)	2,895 (34)
(iii) आर्थिक सेवाएं	2,918 (57)	3,545 (48)	5,211 (63)	6,763 (65)	4,700 (56)
3. ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	87	94	76	25	69
4. कुल (1+2+3)	34,550	43,845	48,174	51,294	64,572
5. लोक ऋण का सकल पुनर्भुगतान (अर्थापाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित) जिसमें शामिल है	8,549	10,815	17,023	22,490	20,647
आंतरिक ऋण (अर्थापाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,213	1,485	1,951	3,168	2,519
अर्थापाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहार	(-226)	226	(-890)	589	(-232)
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम ²	112	113	114	116	117
6. आकस्मिकता निधि का विनियोजन	-	0	0	0	0
7. समेकित निधि से सकल संवितरण (4+5)	43,099	54,660	65,197	73,784	85,219
8. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	0	0	0.17	0
9. सकल लोक लेखा संवितरण	33,336	45,234	33,587	30,862	30,502
10. सकल संवितरण (7+8+9)	76,435	99,894	98,784	1,04,646	1,15,721
11. नकद शेष में वृद्धि	338	82	(-55)	125	(-43)
12 कुल योग	76,773	99,976	98,729	1,04,771	1,15,678

² अर्थापाय अग्रिमों सहित

भाग - ग घाटा					
1. राजस्व अधिशेष (+) / राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय)	(-)390	(-) 640	(+)2,166	(+)7,595	(-)4,859
2. राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (लोक ऋण तथा अन्य देयताओं के ऋण-शोधन को छोड़कर कुल व्यय - कुल गैर-ऋण प्राप्तियां)	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778	(-)13,337
3. प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान)	(-)2,075	(-)4,341	(-)1,610	(+)1,885	(-)8,128
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3,533	3,719	4,567	4,663	5,209
5. राजस्व बकाया	1,399	1,399	1,468	1,946	1,645
6. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि।	1,535	1,523	1,729	2,754	3,325
7. उपभोग किया हुआ अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट (दिन)	207 (2 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	215 (7 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	242 (2 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	199 (27 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)	178 (7 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)
8. डब्ल्यूएमए/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	9	13	19	22	12
9. लोक ऋण प्राप्तियां	10,033	14,645	20,749	25,557	25,336
10. वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी ³)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
11. लोक लेखा को छोड़कर बकाया लोक ऋण ⁴ (वर्ष अंत)	28,201	32,031	35,756	38,823	43,513
12. ब्याज सहित बकाया गारंटियां (वर्ष अंत)	2,860	2,827	2,636	2,416	2,072
13. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष अंत)	4,232	4,214	4,270	4,271	4,361
14. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	671	938	119	428	291*
15. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	1,902	1,734	393	570	496*
कुल व्यय/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	35.12	37.42	38.42	37.04	41.81
राजस्व प्राप्तियां/ कुल व्यय (प्रतिशत)	84	82	87	95	79
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	85	83	83	80	87
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	29.26	31.94	29	31	32
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	33.88	34.12	38	34.46	30.99
पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	14.86	16.72	17.20	20.18	13.03
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय (प्रतिशत)	13.10	14.18	15.60	18.62	11.76
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा/ राजस्व अधिशेष	(-)0.40	(-) 0.55	(+)1.73	(+)5.48	(-)3.15
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	(-)5.70	(-)6.88	(-)4.93	(-)2.01	(-)8.64
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा	(-)2.11	(-)3.70	(-)1.28	(+)1.36	(-)5.26
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	6.95	8.08	उप.नहीं	उप.नहीं	(-)36.43
देयताएं/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	49.11	47.25	49.62	54.41	51.22
देयताएं/ राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	166.95	154.71	148.22	140.62	154.41
ऋण-शोधन (मूल+ब्याज)/ वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियां (प्रतिशत)	99.39	99.24	104.05	106.24	102.05
निवेश पर रिटर्न	128.88	54.13	45.11	शून्य	शून्य
वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	1.28	1.23	1.24	1.34	1.23

(स्रोत: वित्त लेखे)

³ वर्ष 2018-19 (क) के लिए जीएसडीपी के आंकड़े, महानिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं।

⁴ केवल केंद्र सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम शामिल हैं।

* 234 अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में संशोधित लागत वित्त लेखा खंड-॥ के परिशिष्ट IX में नहीं दर्शाई गई हैं।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.1 तथा 1.3)

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मदे	2017-18	2018-19		विभिन्न मदे	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8
खंड- क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	48,511.88		51,230.71	I. राजस्व व्यय	40,916.49		56,089.97
स्वयं के कर-राजस्व	9,536.40	9,826.35		सामान्य सेवाएं	16,888.21	22,849.78	
				सामाजिक सेवाएं	13,116.97	17,930.84	
गैर-कर राजस्व	4,362.34	4,349.35		शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	6,975.16	10,073.59	
				स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,567.13	3,549.42	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	11,911.65	13,989.80		जलापूर्ति, स्वच्छता/ एचएंडयूडी	2,102.55	2,367.64	
				सूचना एवं प्रसारण	45.97	66.30	
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	9,096.19	7,607.90		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	108.76	99.20	
वित्त आयोग अनुदान	11,849.00	13,534.01		श्रम तथा श्रम कल्याण	35.21	71.57	
भारत सरकार से अनुदान (अन्य हस्तांतरण / राज्यों को अनुदान)	1,756.30	1,923.30		समाज कल्याण तथा पोषण	1,248.00	1,656.32	
				अन्य	34.19	46.82	
				आर्थिक सेवाएं	10,911.31	15,309.35	
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2,032.33	2,839.76	
				ग्रामीण विकास	363.85	449.80	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	595.69	873.61	
				सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	521.95	694.67	
				ऊर्जा	5,061.91	7,542.75	
				उद्योग तथा खनिज	326.62	435.98	
				परिवहन	1,333.90	1,738.44	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	30.74	43.90	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	644.32	690.44	
II. खंड-ख में दर्शाया गया राजस्व घाटा	-	-	4,859.26	II. खंड-ख में दर्शाया गया राजस्व अधिशेष	7,595.39	-	-
कुल खंड-क	48,511.88		56,089.97	कुल खंड-क	48,511.88		56,089.97

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मदे	2017-18	2018-19		विभिन्न मदे	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8
खंड- ख: पूंजी							
III. स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित आरंभिक नकद शेष	428.62		554.38	III. पूंजीगत परिव्यय	10,352.88		8,413.58
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-		-	सामान्य सेवाएं	803.02	818.08	
				सामाजिक सेवाएं	2,787.01	2,895.57	
				शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	884.90	793.54	
				स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	510.58	874.36	
				जलापूर्ति, स्वच्छता /एचएंडयूडी	1,025.65	1,000.53	
				सूचना एवं प्रसारण	2.32	1.06	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	100.57	35.53	
				समाज कल्याण तथा पोषण	252.49	142.17	
				अन्य सामाजिक सेवाएं	10.50	48.38	
				आर्थिक सेवाएं	6,762.85	4,699.93	
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधि	917.02	596.50	
				ग्रामीण विकास	1,849.85	1,805.20	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	226.34	317.66	
				सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	373.52	277.50	
				ऊर्जा	660.22	206.16	
				उद्योग तथा खनिज	210.92	116.08	
				परिवहन	1,571.00	821.30	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	52.45	8.04	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	901.53	551.49	
				IV. ऋण तथा अग्रिम संवितरण	24.75		69.15
V. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	4.41		4.23	उद्योग तथा खनिज	13.29	37.98	
उद्योग तथा खनिज	2.50	2.51		परिवहन	7.50	30.00	
सरकारी सेवक	1.64	1.49		सरकारी सेवक	3.96	1.17	
अन्य	0.27	0.23		अन्य			
				V. राजस्व घाटा	0.00		4,859.26
VI. राजस्व अधिशेष	7,595.39		-		-	-	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियां				संवितरण			
विभिन्न मदे	2017-18	2018-19		विभिन्न मदे	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8
VII.लोक ऋण प्राप्तियां	25,557.58		25,336.22	VI.लोक ऋण का पुनर्भुगतान	22,490.14		20,646.61
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	25,525.98	25,332.28		आंतरिक ऋण के अतिरिक्त अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	22,374.19	20,529.39	
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	31.60	3.94		भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान।	115.95	117.22	
रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल संव्यवहार				ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल संव्यवहार			
VIII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन		--	--	VII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन		--	--
IX. आकस्मिक निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	0.15		0.17	VIII-आकस्मिकता निधि से व्यय	0.17		--
X. लोक लेखा प्राप्तियां	15,121.96		18,260.90	IX-लोक लेखा संवितरण	15,285.79		9,656.26
लघु बचतें तथा भविष्य निधि	5,032.41	8,857.92		लघु बचतें तथा भविष्य निधि	3,476.24	3,534.45	
आरक्षित निधि	419.22	695.07		आरक्षित निधि	129.35	3,73.06	
जमा तथा अग्रिम	4,894.44	4,914.05		जमा तथा अग्रिम	3,809.95	4,360.05	
उचंत तथा विविध	3,842.12	1,052.58		उचंत तथा विविध	3,981.69	648.55	
प्रेषण	933.77	2,741.28		प्रेषण	3,888.56	740.15	
				X. अंत में नकद शेष	554.38		511.04
				कोषागारों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	6.77	6.77	
				बैंकों के पास जमा धन	147.74	104.40	
				स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	5.09	5.09	
				नकद शेष निवेश	383.92	383.92	
				आरक्षित निधि निवेश	10.86	10.86	
कुल खंड-ख	48,708.11		44,155.90	कुल खंड-ख	48,708.11		44,155.90

विस्तृत टिप्पणियां

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखाओं में टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ना होगा।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदी आधार पर होने के कारण सरकारी लेखा में घाटा, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत नकदी आधार पर स्थिति को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, स्टाक आंकड़ों आदि पर, देय या प्राप्य मदे या मूल्यहास या भिन्नता वाली मदे लेखाओं में नहीं होती हैं।
3. उचंत तथा विविध शेषों में जारी किए गए चेक शामिल होते हैं, लेकिन वे चेक शामिल नहीं होते जिनका भुगतान नहीं किया गया हो तथा इसमें राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लंबित निपटान आदि शामिल हैं

परिशिष्ट-1.5 (पूर्ववत जारी)
31 मार्च 2019 को जम्मू एवं कश्मीर
सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2019 को	
देयताएं				
	37,418.53	आंतरिक ऋण		42,221.42
26,019.50		ब्याज दर वाला बाजार ऋण	30,946.65	
1,415.90		एलआईसी से ऋण	1,269.74	
9,983.13		अन्य संस्थानों से ऋण	10,005.03	
	1,404.85	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम		1,291.57
37.79		1984-85 से पहले के ऋण	37.79	
96.29		गैर-नियोजित ऋण	96.29	
1,229.92		राज्य योजना स्कीम के लिए ऋण	1,113.50	
31.60		केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए ऋण	34.74	
9.25		अर्थोपाय अग्रिम	9.25	
	1.00	आकस्मिकता निधि		1.00
	20,918.79	लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि।		26,242.26
	2,175.25	आरक्षित निधि		2,497.26
	6,298.73	जमा		6,852.73
	763.58	प्रेषण शेष		2,764.71
	--	उचंत तथा विविध शेष		5.31
	23,711.23	सरकारी लेखा पर अधिशेष		18,851.97
	92,691.96	कुल		1,00,728.23

31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2019 को	
परिसंपत्तियां				
	90,065.15	स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		98,478.73
653.52		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश।	689.42	
89,411.63		अन्य पूंजीगत परिव्यय	97,789.31	
	1,660.85	ऋण तथा अग्रिम		1,725.77
757.30		उद्योग तथा खनिज	792.77	
573.62		परिवहन	603.62	
85.05		ऊर्जा	85.05	
40.69		कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	40.67	
183.46		अन्य विकास ऋण	183.25	
20.73		सरकारी सेवक को ऋण तथा विविध ऋण	20.41	
	12.69	अग्रिम		12.69
	398.72	उचंत तथा विविध शेष		--
	0.17	आकस्मिकता निधि से (प्रतिपूर्ति रहित)		--
	554.38	नकद		511.04
6.77		कोषागारो में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	6.77	
147.74		बैंक के पास जमा	104.40	
4.97		विभागीय नकद शेष	4.97	
0.12		स्थायी अग्रिम	0.12	
383.92		नकद शेष निवेश	383.92	
10.86		आरक्षित निधि निवेश	10.86	
	92,691.96	कुल		1,00,728.23

(स्रोत: वित्त लेखे)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.1.2)

**जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट
प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006**

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 9 ने 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए राज्य सरकार पर निम्नलिखित बाध्यताएं लागू की हैं:

(क) राजस्व अधिशेष को बनाए रखा जाना था तथा अधिशेष को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाने थे।

(ख) हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटे को वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकांश 20 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था तथा उसके बाद, वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी के एक प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ स्तर को बनाए रखना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा जीएसडीपी का 24.73 प्रतिशत था।)

(ग) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी की अधिकतम तीन प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाना था। (वर्ष 2005-06 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 9.96 प्रतिशत था।)

(घ) वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले जीएसडीपी की पांच प्रतिशत तक की न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ वर्ष 2009-10 तक 'बकाया कुल देयताओं' को उत्तरोत्तर रूप से कम करके जीएसडीपी को 55 प्रतिशत तक कम किया जाना था। (आधार वर्ष 2005-06 के लिए अधिनियम में यथापरिभाषित राज्य की "बकाया कुल देयताएं" सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के बकाया होने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2005-06 में सरकारी लेखाओं के अनुसार सरकार की बकाया देयताएं जीएसडीपी का 63.31 प्रतिशत थीं। 13 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य का बकाया ऋण जीएसडीपी का 63.27 प्रतिशत था।)

(ङ) किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि संबंधी जोखिम वाली गारंटियों को पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत या पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत तक सीमित किया जाना था, या इनमें से जो भी कम हो।

अधिनियम में यह भी विचार किया गया था कि सरकार अधिनियम के प्रावधानों की समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने तथा राज्य विधानमंडल के

प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित कर सकती है।

एफआरबीएम नियमावली (जनवरी 2008) द्वारा वित्तीय/ राजकोषीय संकेतकों की निगरानी के लिए, मैक्रो आर्थिक ढांचा विवरण (एमईएफएस)/ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस)/ राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफपीएसएस) को राज्य विधानमंडल में बजट के साथ राजकोषीय सूचना दर्शाते हुए कई विवरणों सहित वार्षिक रूप से प्रारूपों को प्रस्तुत किया जाना निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत उद्घाटित आवश्यकताएं वर्ष 2008-09 के बजट से क्रियान्वित की गई थीं। 12वें तथा 13वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋण/ घाटे में कमी के लक्ष्यों को पुनःनिर्धारित करने/ छूट देने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है

- हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित मूल राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा बकाया कुल देयताओं को मूल अधिनियम में मार्च, 2010 की अपेक्षा मार्च, 2009 तक क्रमशः 20 प्रतिशत, तीन प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत तक कम करने के लिए 17 दिसम्बर, 2008 को एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- 20 अप्रैल, 2010 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसडीपी के चार प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि वर्ष 2009-10 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुनः निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।
- 9 अप्रैल, 2011 को अधिनियम में संशोधन के अनुसार, वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को जीएसडीपी के 5.3 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत तथा 3.0 प्रतिशत तक पुनर्निर्धारित किया जाना था। चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए पुनः निर्धारित लक्ष्य लागू नहीं किया जा सकता था।
- 25 अगस्त, 2011 को, अध्यादेश द्वारा एफआरबीएम में एक संशोधन द्वारा 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 56.1 प्रतिशत, 55.1 प्रतिशत, 53.6 प्रतिशत, 51.6 प्रतिशत तथा 49.3 प्रतिशत तक जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में बकाया ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य पुनः

निर्धारित किया गया, जैसा कि 13वें वित्त कमीशन द्वारा सिफारिश की गई थी। (चूँकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था, पुनर्निर्धारित लक्ष्य लागू किये जाने योग्य नहीं था)।

- 14वें वित्त आयोग (2015-2020) की अवार्ड अवधि के दौरान जीएसडीपी की तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक राजकोषीय घाटे को रखने के लिए एफआरबीएम तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 में 13 फरवरी 2018 को संशोधन किया गया था।

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: पैराग्राफ:1.1.2)

एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों का कार्यान्वयन

यदि विशेष रूप से वित्त आयोग के दायरे से बाहर यदि केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता अनुदान या ऋण राहत प्रदान करने का चयन करती है तो कोई भी राज्य सरकार राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, कुल देयताओं आदि को कम करने/ समाप्त करने के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। राज्य की राजकोषीय सतर्कता या राजकोषीय उत्तरदायित्व का वास्तविक मापदंड राज्य का अपना घाटा है, जो राज्य के नियंत्रण में राज्य के व्यय तथा गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच संसाधन अंतर को भी यह मानकर आंकता है कि पुरानी वित्तीय देयताएं नये उधार से पुनः वित्त पोषित होती रहेंगी। ये गैर-ऋण संसाधन राज्य की अपनी राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं। राज्य ने केंद्र सरकार से संसाधनों के अंतरण पर निर्भरता को 2006-07 में 67 प्रतिशत से 2014-15 में 60 प्रतिशत तक घटाकर राज्य ने सुधार दर्शाया है। निस्संदेह, यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं को ध्यान में न रखते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे संसाधनों को हस्तांतरित करना ध्यान में नहीं रखा गया है।

- राज्य के पास 2013-14 तक राजस्व अधिशेष रहा परंतु वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान इसे बनाए नहीं रखा जा सका जैसा कि ₹390 तथा ₹640 करोड़ का राजस्व घाटा था। तथापि, वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान, ₹2166 तथा ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष था तथा वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य के पास ₹4,859 करोड़ का घाटा बना रहा। राज्य का स्वयं का घाटा निरंतर उच्च स्तर पर बना हुआ है तथा व्यय वृद्धि के साथ लगातार बढ़ने से राजस्व जुटाना दूर होता जा रहा है।
- वर्ष 2009-10 के अंत तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करने का मूल लक्ष्य बहुत व्यापक अंतर से चूक गया था, क्योंकि उस वर्ष वास्तविक राजकोषीय घाटा 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था। अप्रैल 2010 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन अनुसार 2009-10 के लक्ष्य को चार प्रतिशत तक बढ़ाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य को 2011-12 में जीएसडीपी 4.7 प्रतिशत तथा 2012-13 में जीएसडीपी 4.2 प्रतिशत तथा 2013-14 में 3.6 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को पूरा करना था, परंतु

वास्तव में राजकोषीय घाटा क्रमशः 5.6, 5.4 तथा 5.2 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 का राजकोषीय घाटा 6.4, 8.8, 5.4 तथा जीएसडीपी के 1.9 प्रतिशत के साथ समाप्त हुआ जो 2016-17 तक तीन प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक रहा तथा चालू वर्ष के दौरान तीन प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे था।

- एफआरबीएम नियमों में (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (ख) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा तथा (ग) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये नियम "हस्तांतरण पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा" जिसे 2009-10 तक जीएसडीपी के 20 प्रतिशत तक कम किया जाना था, के लिए वार्षिक लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए हटा दिए गए हैं। वास्तव में, इस राजकोषीय मानदंड का राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस मानदंड पर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि राजकोषीय रियायतें/ प्रोत्साहन इसके अनुपालन से जुड़े हुए हैं।
- एफआरबीएम अधिनियम "बजट से बाहर दिए गए मूल तथा/ या ब्याज जहां गारंटी सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) तथा विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) तथा अन्य समान तंत्र द्वारा उधार सहित राज्य की समेकित निधि तथा राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं के रूप में 'कुल देयताओं' को परिभाषित करता है।" यह व्यापक योग था कि जीएसडीपी को 55.1 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य पूरा किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार, सरकारी लेखाओं का हिस्सा बनने वाली सरकार की वित्तीय देयताओं को शामिल करती रही। पीएसयू/ एसपीवी की देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुपालन को इस तथ्य ने कठिन बना दिया था कि कई पीएसयूके लेखाओं में काफी बकाया है तथा इसलिए उनकी देनदारियों का पता नहीं लगाया जा सका। इनमें सरकारी लेखाओं से अलग बैंक खातों में सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित निधियों के कारण देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता है, जो सामान्यतः राज्य लोक लेखाओं में क्रेडिट किया जाना चाहिए। वित्त विभाग सरकारी लेखाओं से बाहर धारित इन नकद शेषों की निगरानी नहीं कर रहा है यद्यपि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परिचालित किया गया था। पेंशन के लेखा तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर गैर-निधिकृत देयताएं भी इससे बाहर हैं, यद्यपि एफआरबीएम अधिनियम

के अनुसार इन्हें भी शामिल किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, 'कुल देयताओं' की गणना के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का अब तक पालन नहीं किया गया है।

- विधानमंडल को प्रस्तुत की गई एफआरबीएम विवरणों में उद्घाटित की गई 'प्रतिबद्ध देयताओं' में ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जैसे (क) वेतन तथा पेंशन संशोधन की अवितरित बकाया देयताएं (ख) विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत काउंटरपार्ट मैचिंग निधियों की देयता। इस प्रकार ऐसे व्ययों को स्थगित करने के बावजूद ऋण/ घाटा कम करने के लक्ष्य से चूक गए।
- जीएसडीपी के बारे में कुछ मान्यताओं तथा पूर्वानुमान पर 12वें तथा 13वें वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय घाटे, कुल देयताओं आदि के लिए वार्षिक लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी। जीएसडीपी डाटा को संशोधित किए जाने के बाद भी, इन लक्ष्यों को समान रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर संशोधित किए जाने के बाद भी, वर्ष 2007-08 के लिए जीएसडीपी ₹35,620 करोड़ तक बढ़ गया। इस प्रकार, 1999-2000 के आधार वर्ष के रूप में जीएसडीपी श्रृंखला के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को एक नई जीएसडीपी श्रृंखला के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें काफी अधिक संख्या दी गई थी, इसे कम करके संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण/ घाटे में कमी का लक्ष्य (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) तेरह वें वित्त आयोग के अवलोकन से परे अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन पर जीएसडीपी में वृद्धि के कारण कम हो गए हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रयासों का मूल्यांकन तथा बजट दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भाजक प्रभाव (जीएसडीपी में वृद्धि) तथा गणक प्रभाव (सरकारी ऋण में कमी तथा पूर्ण राशि में कमी) पूरा करने के लिए अंतर करना चाहिए।
- एफआरबीएम अधिनियम से अभिप्राय कि सरकार अधिनियम के उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने तथा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा करने के लिए सरकार स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती हैं। तथापि, अभी तक ऐसी कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है।

- एफआरबीएम अधिनियम में यह अपेक्षित था कि मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, विधानमंडल को बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए, सरकार; सरकार के राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को निर्धारित करेगी तथा अंतर्निहित मान्यताओं के स्पष्ट प्रतिज्ञापन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के लिए अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करेगी। राजकोषीय संकेतकों तथा संधारणीयता के मूल्यांकन के पीछे विभिन्न मान्यताओं से संबंधित (i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच संतुलन (ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियां का उपयोग (iii) अगले दस वर्षों के लिए बीमांकिक आधार पर अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं को, भी विवरण में शामिल किया जाना था। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव नहीं था, तो सरकार उस अवधि के दौरान प्रवृत्ति वृद्धिदर आधार पर पूर्वानुमान द्वारा पेंशन देयताओं का अनुमान लगा सकती है। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम के इन उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था तथा वास्तव में विधानसभा को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणों में नियमों के उपबंधों को दोहराया गया था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत, सरकार बजट दस्तावेजों में परिसंपत्तियों के सारांश को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के साथ प्रस्तुत विवरणों में भूमि सहित परिसंपत्तियों के बुक वैल्यू को दर्शाया गया है। मूल्यांकन तथा पूर्णता का आधार देखने के लिए सहायक अभिलेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
- उपर्युक्त विचलनों के बावजूद, राज्य ने कर राजस्व में काफी वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से प्राप्त अवसरों का अच्छा उपयोग किया है। वाणिज्यिक करों में जुटाव रिकार्ड वृद्धि हुई है तथा राज्यों के राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि दर्शाई गई है। तथापि, संबंधित क्षेत्र बने हुए है, राज्यों का घाटा व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण बना हुआ है तथा स्थापना पर व्यय संबंधी प्रतिबद्धताएं विद्युत क्षेत्र में संसाधन गैप एक गंभीर कमी है।

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: पैराग्राफ:1.3.3)

**केंद्रीय योजना निधियों का राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण
(राज्य बजट के बाहर दी गई निधियां) (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन को आर्थिक सहायता	वृद्ध जनो, दिव्यांग, अनाथो तथा विधवाओं के पुनर्वास हेतु परिषद्	300.00	-	-	-	-
2	विशेष श्रेणी के राज्य डीआईपीपी के लिए पैकेज (उत्तर पूर्व के अतिरिक्त)	जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम लि।	-	-	-	-	3,569.47
3	अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) सहित स्वयं रोजगार तथा प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू)	विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	252.00	-	-	-	-
4	सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला उपायुक्त	4,000.00	4,500.00	3,250.00	5,500.00	3,500.00
5	बौद्ध तथा तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	बौद्ध अध्ययन संस्थान	2,567.08	2,315.58	-	-	967.67
6	आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता	संस्थान तथा होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी	659.05	358.30	27.91	366.00	871.00
7	ई-शासन	जम्मू एवं कश्मीर ई शासन (जेकीईजीए)	379.00	-	-	-	344.92
8	अनुसंधान तथा विकास सहायता (एसईआरसी)	पीएसयू, एसकेयूएसटी, कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	-	219.18	-
9	सोलर पावर-ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	1,482.39	90.33	3,515.92	5,996.19	2,201.96
10	सभी गांवों के लिए ग्रामीण कार्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	-	143.32	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
11	व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)/ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर / भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर।	-	-	871.50	131.87	-
12	ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर एमएनआरई	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड जम्मू एवं कश्मीर नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	-	-	1,448.88	2,929.77	3,864.21
13	मद्य तथा मादक द्रव्यों (दुरुपयोग) के निषेध की योजना	(मिलिटेंसी के शिकार) वृद्ध जनो, दिव्यांग, अनाथो तथा विधवाओं के पुनर्वास हेतु परिषद् - [आरसीएमवी]	20.04	300.00	300.00	304.97	288.11
14	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान तथा होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/खाद्य शिल्प स्थान (सोसाईटी) जम्मू	-	188.40	-	302.16	255.12
15	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	कश्मीर के कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एस्के विश्वविद्यालय, श्रीनगर एचआरडी एनीमल बायोटेक, जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, भारतीय एकीकृत समवेत औषध चिकित्सा संस्थान आदि।	-	-	613.85	-	122.89
16	शिक्षको तथा प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू)	269.00	-	-	-	-
17	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	1,539.35	-	-	-	-
18	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (एसएमपीडीए) सीएस	सुपर स्टार स्पाइसीज, जियाफत ऑयल मिल्स, मीर एगो इंडस्ट्रीज, बसंतार ब्रेवरीज, डेली नीड मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हंसराज एक्सपोर्ट्स, काचरू इंडीग्रेटेड कोल्ड चैन।	-	-	-	1,815.75	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
19	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग	9,147.70	-	-	-	-
20	प्रधानमंत्री संपदा योजना	खैबर कृषि फार्मर्स, (पी) लि.	150.07	-	-	-	-
21	जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत टैक्सटाइल पार्क के लिए योजना (एसआईटीपी)	जम्मू एवं कश्मीर एकीकृत टैक्सटाइल पार्क (लिमिटेड)	-	-	-	-	1,191.00
22	कौशल विकास	जम्मू एवं कश्मीर कौशल विकास पहल मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल सोसायटी	-	-	-	-	263.10
23	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	जम्मू एवं कश्मीर एससी एसटी एंड बीसी विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-
24	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	एनआईटी श्रीनगर	19,159.00	13,090.00	-	2,900.00	4,250.00
25	राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता	जम्मू एवं कश्मीर एससी /एसटी तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	470.00
26	व्यस्क शिक्षा तथा कौशल विकास हेतु एनजीओ/ संस्थानों/ एसआरसी की सहायता (एनजीओ,जेएसएस एसआरसी में विलयित योजना)	जन शिक्षण संस्थान/ राज्य संसाधन केंद्र जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	114.25	-
27	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूपएसटी) जम्मू	133.00	-	-	-	-
28	भारत में हाइब्रिड तथा विद्युत वाहन के निर्माण हेतु तीव्र गति से योजना अंगीकरण करना (एफएमई इंडिया)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी)	449.40	-	-	-	-
29	एससी तथा ओबीसी बालक तथा बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण हेतु अनुदान	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	-	135.00

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
30	स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के बुनियादी ढांचे का विकास	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	-	-	-	216.00	252.00
31	ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च	यूनानी दवाओं का क्षेत्रीय संस्थान, श्रीनगर	-	-	-	-	148.80
32	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग तथा संबद्ध योजनाएं	मैसर्स. राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी) - [एनआईआईटीजेके]/ मानव कल्याण संगठन/ हिलाल संस्थान/ नागरिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान सोपोर/ एसेंट ग्रुप	-	105.64	-	-	134.51
33	एससी तथा ओबीसी छात्रों सहित दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	-	106.27	-	-	-
34	ई-कोर्ट फेज-॥	रजिस्ट्रार जनरल, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायलय	26.00	17,679.54	-	-	-
35	मेगा क्लस्टर टैक्सटाइल्स	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पैमाना उद्योग विकास निगम	-	-	-	128.90	1,010.00
36	जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल सहित विकास) डीआईटी	जम्मू एवं कश्मीर ई-शासन एजेंसियां	-	-	-	-	136.84
37	आधारभूत अनुसंधान के लिए मेगा सुविधाएं	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	158.00	140.36
38	नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	एनआईटी श्रीनगर	-	-	-	-	132.12
39	युवा तथा किशोरों के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग तथा विंटर स्पोर्ट्स	303.88	85.95	-	164.16	200.19
40	अनुसंधान तथा विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग	जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	-	-	1,159.13
41	बुनियादी ढांचे तथा एफपीआई विकास के लिए योजना	मीर एगो इंडस्ट्रीज/ काचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	-	-	-	-	480.33

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
42	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए योजना	बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर / कश्मीर अनुसंधान शिक्षा तथा सोलर प्रौद्योगिकी संस्थान	254.16	208.08	733.89	691.02	249.47
43	सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	कश्मीर पर्यावरण तथा सामाजिक संगठन	-	-	-	349.81	116.59
44	भूकंप संबंधी अनुसंधान	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	-	-	224.98
45	राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	112.84
46	एलायंस तथा आर एंड डी मिशन	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	-	-	436.76	428.80	-
47	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास	एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, एसकेआईएमएस। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय	1,131.44	1,147.65	270.00	734.54	-
48	विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	भारतीय समवेत औषध संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय।	-	79.52	108.74	114.14	-
49	मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एसकेयूएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, स्नातक महाविद्यालय उधमपुर, समन्वयक स्टार महाविद्यालय कार्यक्रम, एफवीएससी तथा पशुपालन सुहामा, राजकीय महिला महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू।	-	-	-	192.86	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
50	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी तथा प्रबंधन सहित ईएमआर	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	-	140.00	-	-	
51	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	-	100.00	-	150.00	-
52	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	-	659.74	4,675.75	194.46	-
53	वन स्टॉप सेंटर	उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी	150.20	87.52	-	-	-
54	पशुमिना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह/ कारगिल।	-	-	162.00	1,099.25	-
55	अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण तथा आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरणीय तथा सामाजिक संगठन	82.10	50.50	-	133.78	-
56	कला एवं संस्कृति तथा शताब्दी समारोह की योजना	सोनम स्टोबगिस, सांस्कृतिक एवं कल्याण सोसाइटी स्तकना गोनपा, शाह-ए-जहान अहमद भगत, कल्याण सोसायटी, तुकला गोनपा, कश्मीर संगीत सोसायटी, राष्ट्रीय बांध थियेटर, संगम थियेटर समूह, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लालोक कुनफान थुंडल तसोगस्पा, कर्मा दुपग्युड च्योलिंग सांस्कृतिक एवं कल्याण संघ, सेवा बलिदान बंधु धर्म केंद्र आदि।	-	-	-	966.36	-
57	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मैसर्स. राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटी)- [एनआईआईटीजेके]/ विकास तथा प्रशिक्षण के लिए सोसायटी/ टैंड्रिल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/ सॉफ्टवेक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान / मानव कल्याण संगठन/ एवरग्रीन कंप्यूटर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान	-	1,324.22	109.76	893.02	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
58	पांच मेगा कलस्टरो की स्थापना	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (जम्मू एवं कश्मीर एसआईसीओपी)	-	-	-	310.00	-
59	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	एसकेयूएसटी कश्मीर, एनआईआईटी श्रीनगर	-	-	-	139.04	-
60	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष/निधि योजना (एटीयूएफएस)	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	201.59	357.12	847.33	569.35	892.35
61	चिनाब वैली पावर को जम्मू एवं कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पाकुल डल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड.	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
62	खादी गांव तथा कॉइर उद्योगो का विकास	जम्मू एवं कश्मीर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	-	-	523.49	-	-
63	पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	-	-	1,040.07	-	-
64	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)	राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआई डीसीओ), जम्मू एवं कश्मीर	72.80	820.50	506.70	-	-
65	बुनियादी ढांचे का विकास तथा क्षमता निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	332.82	491.12	110.62	-	-
66	न्वोन्मेष प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू-कश्मीर [एसकेयूएसटी-जम्मू एवं कश्मीर], कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायन केंद्र	197.46	361.89	-	-	-
67	कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक तथा कल्याण समितियां	572.74	434.61	271.38	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
68	खेलों के विकास के लिए खेलो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय (आईयूसटी), अवंतीपोरा, पुलवामा, कश्मीर तथा निदेशक युवा सेवाएं तथा खेल जम्मू एवं कश्मीर	1,584.00	531.34	786.87	-	-
69	भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर भूमि अभिलेख प्रबंधन एजेंसी (जेकेएलएआरएमए)	30.00	477.00	-	-	-
70	विधिक मेट्रो लॉजी तथा गुणवत्ता आश्वासन भार तथा मापन	जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड जम्मू/ श्रीनगर	-	-	650.00	-	-
71	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	प्रबंधन तथा लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बडगाम।	17.50	100.40	750.45	-	-
72	नई मंज़िल- एकीकृत शिक्षा तथा आजीविका पहल	कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान/ राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी तथा समाज कल्याण संगठन/ विकास तथा प्रशिक्षण के लिए सोसाइटी/ राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	687.34	479.85	493.25	-	-
73	राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम तथा नियंत्रण सोसायटी- [जेकेएसएपीसीएस]	857.76	777.04	803.06	-	-
74	राष्ट्रीय शिक्षा अभियान-साक्षर भारत (सीएस)	जन शिक्षा संस्थान जम्मू/ टंगडार/ राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर.	-	-	195.60	-	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
75	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पशमीना हथकरघा औद्योगिक सहकारी समिति, जन कल्याण हथकरघा बुनाई औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, दि एस्क्वायर रैफल्स पशमीना हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बदाम पशमीना तथा रैफल्स हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली निराश्रित बुनकर औद्योगिक सहकारी सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकीन पशमीना रैफल्स तथा कॉटन हथकरघा डब्ल्यूआईसीएस लि.	-	295.90	181.25	-	-
76	न्याय प्रदान करने तथा विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन	रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय/ संगठन के अनुसंधान तथा विकास के लिए कश्मीर संस्थान	-	-	531.31	-	-
77	खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/ काचरू इंटिग्रेटेड कोल्ड चेन/ सैफरॉन स्पाइसीज तथा फूड्स/ वाज़ान फूड्स, सेफ एंड फ्रेश फूड्स/ फूड्स/ शाफत ऑइल मिल्स तथा स्पाइसीज/ मीर एगो इंडस्ट्रीज आदि	-	20.29	1,325.22	-	-
78	तीर्थयात्रा पुनः आरंभ करने तथा आध्यात्मिक संवर्धन का अभियान (पीआरएएसएडी)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम लिमिटेड	552.09	1,152.11	840.42	-	-
79	स्माल हाइड्रोपावर ग्रिड इंटरएक्टिव	नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	7,044.84	1,433.35	-	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
80	नए आईआईएम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू	544.00	1,645.00	-	-	-
81	पारंपरिक उद्योगों के संपोषण/ पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटी आई)	जम्मू एवं कश्मीर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	873.59	430.50	-	-	-
82	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण	कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय समवेत औषध संस्थान/ शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू एवं कश्मीर	958.85	1,517.28	-	-	-
83	अनुसंधान प्रशिक्षण एवं अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	747.50	349.25	-	-	-
84	अनुसंधान तथा विकास	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, पारिस्थितिकी पर्यावरण तथा दूरस्थ सुदूर संवेदन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	364.93	119.42	-	-	-
85	स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटरों की स्थापना	पीएमएनआरएफ/ बाढ़ राहत जम्मू एवं कश्मीर प्रधान/ सीएओजीएमसी श्रीनगर/ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू	-	-	317.00	-	-
86	विशिष्ट उद्देश्यों के साथ पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य केबल कार निगम.	3,454.28	11,550.08	11,862.79	-	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
87	राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/ जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य परिषद/ एसकेआईएमएस/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू	-	-	156.78	-	-
88	पारंपरिक कला/ शिल्पो के विकास हेतु कौशल तथा प्रशिक्षण उन्नयन (यूएसटीटीएडी)	मानव कल्याण संगठन/ राष्ट्रीय तकनीकी तथा प्रशिक्षण संस्थान, बांदीपुरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	560.00	82.20	167.00	-	-
89	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू एवं कश्मीर कौशल विकास पहल-मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल सोसायटी.	-	-	1,053.88	-	-
90	प्रधानमंत्री वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर/ जम्मू एवं कश्मीर सरकार.	602.42	2,900.45	-	-	-
91	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	1,744.97	196.75	-	-	-
92	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	उपायुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि।	380.17	262.91	-	-	-
93	पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सहायिकी	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	-	1,681.64	-	-	-
94	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू एवं कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	521.20	-	-	-
95	नई आईआईटी की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू	3,101.00	13,928.00	-	-	-
96	स्थापना व्यय-आयुष	जम्मू विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान सोवारीगपा	142.50	136.65	-	-	-

क्र.सं.	भारत सरकार स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार द्वारा निर्गम				
			2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
97	परिवार कल्याण योजनाएं	कश्मीर विश्वविद्यालय	77.80	84.92	-	-	-
98	मतदाता शिक्षा	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर	-	328.75	-	-	-
99	सड़क स्क्ंध के अंतर्गत निर्माण कार्य	विभिन्न वैयक्तिक तथा निजी निर्माण कंपनी.	6,916.08	2,681.19	-	-	-
100	विंड पावर-ऑफ ग्रिड	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	27.19	85.72	-	-	-
101	सीआरएफ से राज्यों को अनुदान ईएंडआई	एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड।	-	763.66	-	-	-
102	विविध तथा कल्याण अनुदान	विभिन्न वैयक्तिक	114.50	-	-	-	-
103	एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना तथा मौजूदा शाखाओं को मजबूत बनाना	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू।	112.75	-	-	-	-
104	कौशल विकास पहल	राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी एवं समाज कल्याण संगठन, एवरग्रीन कंप्यूटर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान, बांडीपोरा सूचना तकनीकी महाविद्यालय, सुपर कंप्यूटर महाविद्यालय, कॉम्प्लेक्स आईटी शैक्षिक संस्थान।	790.23	-	-	-	-
105	अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा	केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय	118.68	-	-	-	-
106	औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास	भारतीय समवेत औषध संस्थान (आईआईएम)	2,208.87	-	-	-	-
107	अन्य स्वायत्त निकाय	सोवारिगपा (एनआरआईएसआर) राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान	100.00	-	-	-	-
108	अन्य योजनाएं	अन्य योजनाएं	968.34	875.80	2,859.16	1,442.98	1,681.16
	कुल योग		89,514.45	1,10,491.13	62,798.59	29,799.93	29,366.12

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट-1.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.3.6)

14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत सहायता अनुदान अनुमानों/ निर्गमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश (2015-20)	अनुमान (विभाग-वार)				वर्ष के दौरान प्राप्त हुए अनुदान (2015-19)	प्रस्तुत किए गए यूसी	लंबित यूसी	जारी किए जाने हेतु लंबित अनुदान
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19				
1	शहरी स्थानीय निकाय (आवास विभाग) सामान्य मूल अनुदान	1,044.51	125.30	173.50	200.46	231.90	125.30	शून्य	शून्य	605.86
	सामान्य निष्पादन अनुदान	261.13	---	51.21	57.95	65.81	शून्य	शून्य	शून्य	174.97
2	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरडीडी) सामान्य मूल अनुदान	3,117.36	373.96	517.81	598.29	692.11	571.53	571.53	शून्य	1,610.64
	सामान्य निष्पादन अनुदान	346.37	---	67.92	76.86	87.29	शून्य	शून्य	शून्य	232.07
3	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) केंद्र का हिस्सा	1,268.00	229.00	241.00	253.00	266.00	723.10	18.66	451.54	265.90
	राज्य का हिस्सा	141.00	25.00	27.00	28.00	30.00	80.00	शून्य	शून्य	30.00
कुल		6,178.37	753.26	1,078.44	1,214.56	1,373.11	1,499.93*	590.19	451.54	2,919.44

* 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 तक ₹876.42 करोड़ जारी किए गए तथा 2016-17 की दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान ₹13.50 करोड़ रुपये भी जारी किए गए थे। 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने ₹582.01 करोड़ (2017-18 में एसडीआरएफ को ₹252.90 करोड़, 2015-16 में यूएलबी को ₹125.30 करोड़, तथा 2016-17 में आरएलबी को ₹203.81 करोड़ की पहली किस्त के रूप में) तथा वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹28 करोड़ राज्य के हिस्से के रूप में जारी किए गए।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.1)

नियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2017-18
के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान / विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विनियोजन सं.	आधिक्य	लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा का स्तर
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18, 19,20,21,22,23	227.90	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई।
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24,26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,21,23,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26,27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,28	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
2017-18	08	3,5,8,16,23,24,28,29	6,397.06	
कुल			1,14,061.35	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.2.1 और 2.3.1)

विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	आधिक्य (प्रतिशत)
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	77.32	448.29	370.97 (480)
2	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	228.62	242.04	13.42 (06)
3	16	लोक निर्माण विभाग	953.65	2,488.64	1,534.99 (161)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			1,259.59	3,178.97	1,919.38
II-पूंजीगत(दत्तमत)					
4	5	लद्दाख मामले विभाग	316.16	317.69	1.53 (0.48)
5	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	853.59	874.36	20.77 (02)
6	30	जनजाति मामले विभाग	8.90	28.83	19.93 (224)
कुल (II-पूंजीगत दत्तमत)			1,178.65	1,220.88	42.23
III-पूंजीगत (प्रभारित)					
7	08	वित्त विभाग	17,976.69	20,646.61	2,669.92 (15)
कुल(III-पूंजीगत प्रभारित)			17,976.69	20,646.61	2,669.92
कुल योग (I+II+III)			20,414.93	25,046.46	4,631.53

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.2.1 एवं 2.3.2)

विभिन्न अनुदानों/ विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान में से एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	प्रतिशत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासन विभाग	423.42	70.25	17
2	02	गृह विभाग	7,553.75	777.61	10
3	04	सूचना विभाग	78.92	12.63	16
4	05	लद्दाख मामले विभाग	882.50	8.89	01
5	06	विद्युत विकास विभाग	9,158.01	1,615.26	18
6	07	शिक्षा विभाग	9,904.85	1,353.64	14
7	08	वित्त विभाग	10,775.54	2,625.85	24
8	09	संसदीय मामले विभाग	61.36	6.53	11
9	10	विधि विभाग	587.68	86.00	15
10	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	346.08	32.39	09
11	12	कृषि विभाग	1,572.94	441.83	28
12	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	591.31	26.11	04
13	14	राजस्व विभाग	603.79	118.49	20
14	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	3,725.63	176.24	05
15	18	समाज कल्याण विभाग	1,788.59	403.97	23
16	19	आवास और शहरी विकास विभाग	746.05	8.03	01
17	20	पर्यटन विभाग	156.16	21.17	14
18	21	वन विभाग	832.07	10.16	01
19	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	785.86	130.52	17
20	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,528.99	6.60	00
21	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क तथा उद्यान विभाग	266.86	9.26	03
22	25	श्रम, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	93.53	4.06	04
23	26	मत्स्य पालन विभाग	105.65	6.00	06
24	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	1,068.57	48.20	05
25	28	ग्रामीण विकास विभाग	487.85	29.78	06
26	29	परिवहन विभाग	71.54	7.10	10
27	30	जनजाति मामले विभाग	54.03	4.49	08
28	31	संस्कृति विभाग	68.96	15.34	22
29	32	बागवानी विभाग	142.18	7.91	06

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	प्रतिशत
30	33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	756.60	70.26	10
31	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	555.45	74.21	13
32	35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	13.36	1.12	08
33	36	सहकारी विभाग	64.44	9.47	15
कुल-I			55,852.52	8,219.37	
II-राजस्व (प्रभारित)					
34	01	सामान्य प्रशासन विभाग	24.49	3.23	13
35	08	वित्त विभाग	5,665.46	456.78	08
36	09	संसदीय मामले विभाग	1.66	0.52	31
37	10	विधि विभाग	49.38	2.73	06
कुल-II			5,740.99	463.26	
III-पूँजीगत (दत्तमत)					
38	01	सामान्य प्रशासन विभाग	42.30	37.57	89
39	02	गृह विभाग	921.51	585.60	64
40	03	योजना, विकास तथा निगरानी विभाग	2,631.65	2,179.98	83
41	04	सूचना विभाग	2.31	1.24	54
42	06	विद्युत विकास विभाग	5,590.42	5,384.26	96
43	07	शिक्षा विभाग	1,148.44	531.23	46
44	08	वित्त विभाग	2,595.06	2,569.83	99
45	09	संसदीय मामले विभाग	1.77	0.60	34
46	10	विधि विभाग	91.27	53.03	58
47	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	243.63	91.29	37
48	12	कृषि विभाग	891.57	738.85	83
59	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	102.22	63.60	62
50	14	राजस्व विभाग	8.62	4.50	52
51	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	343.06	55.81	16
52	16	लोक निर्माण विभाग	2,361.50	1,258.37	53
53	18	समाज कल्याण विभाग	356.16	321.96	90
54	19	आवास तथा शहरी विकास विभाग	1,658.72	1,208.42	72
55	20	पर्यटन विभाग	429.39	335.90	78
56	21	वन विभाग	135.84	98.62	73
57	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,575.42	1,297.93	82
58	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	660.34	137.10	21

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	प्रतिशत
69	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क तथा उद्यान विभाग	97.61	16.13	17
60	25	लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	105.03	59.48	57
61	26	मत्स्य पालन विभाग	15.87	4.50	28
62	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	228.94	97.05	42
63	28	ग्रामीण विकास विभाग	3,062.88	1,257.67	41
64	29	परिवहन विभाग	59.35	5.98	10
65	31	संस्कृति विभाग	17.13	6.17	36
66	32	बागवानी विभाग	386.15	261.49	68
67	33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	710.69	629.83	89
68	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	237.20	198.03	83
69	35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	726.45	693.30	95
70	36	सहकारी विभाग	5.00	1.25	25
कुल-III			27,443.50	20,186.57	
कुल-I+II+III			89,037.01	28,869.20	

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.4)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से की गई बचतें
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	04- सूचना विभाग	71.93	6.99	66.30	5.63
2	06- विद्युत विकास विभाग	8,341.05	816.96	7,542.75	798.30
3	09- संसदीय मामले विभाग	56.10	5.26	54.84	1.26
4	11-उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	319.92	26.16	313.69	6.23
5	14- राजस्व विभाग	528.38	7.54	485.30	43.08
6	18- सामाज कल्याण विभाग	1,497.31	291.28	1,384.62	112.69
7	31-संस्कृति विभाग	55.85	13.11	53.61	2.24
कुल-I		10,870.54	1,167.30	9,901.11	969.43
II- पूंजीगत (दत्तमत)					
8	02-गृह विभाग	871.49	50.02	335.90	535.59
9	06-विद्युत विकास विभाग	4,712.02	878.40	206.16	4,505.86
10	15-उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	308.72	34.34	287.24	21.48
11	16- लोक निर्माण विभाग	2,098.38	263.11	1,103.13	995.25
12	19- आवास तथा शहरी विकास विभाग	1,487.39	198.32	477.29	1,010.10
13	26- मत्स्य पालन विभाग	15.47	0.40	11.37	4.10
14	27- उच्चतर शिक्षा विभाग	225.00	3.93	131.89	93.11
15	28- ग्रामीण विकास विभाग	2,686.17	376.70	1,805.21	880.96
16	31- संस्कृति विभाग	16.87	0.25	10.95	5.92
कुल-II		12,421.51	1,805.47	4,369.14	8,052.37
कुल (I+II)		23,292.05	2,972.77	14,270.25	9,021.80

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.4)

विभिन्न अनुदानों/ विनियोजन का विवरण जहाँ ₹ एक करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम	मूल	पूरक	कुल	व्यय	आधिक्य
I-राजस्व (दत्तमत)							
1	15	उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	178.13	50.49	228.62	242.04	13.42
2	16	लोक निर्माण विभाग	795.71	157.94	953.65	2,488.64	1,534.99
कुल-I			973.84	208.43	1,182.27	2,730.68	1,548.41
II-पूँजीगत (दत्तमत)							
3	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	733.80	119.79	853.59	874.36	20.77
4	30	जनजाति मामले	8.54	0.36	8.90	28.83	19.93
कुल-II			742.34	120.15	862.49	903.19	40.70
कुल-I+II			1,716.18	328.58	2,044.76	3,633.87	1,589.11

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.3.5)

₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक अभ्यर्पित नहीं करने पर बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन की संख्या तथा नाम	बचतें	अभ्यर्पित न की गई राशि	बचत जिसको अभ्यर्पित किया जाना है
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासन विभाग	70.25	शून्य	70.25
2	02	गृह विभाग	777.61	शून्य	777.61
3	04	सूचना विभाग	12.63	शून्य	12.63
4	05	लद्दाख मामले विभाग	8.89	शून्य	8.89
5	06	विद्युत विकास विभाग	1,615.26	शून्य	1,615.26
6	07	शिक्षा विभाग	1,353.64	शून्य	1,353.64
7	08	वित्त विभाग	2,625.85	शून्य	2,625.85
8	09	संसदीय मामले विभाग	6.53	शून्य	6.53
9	10	विधि विभाग	86.00	शून्य	86.00
10	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	32.39	शून्य	32.39
11	12	कृषि विभाग	441.83	शून्य	441.83
12	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	26.11	शून्य	26.11
13	14	राजस्व विभाग	118.49	शून्य	118.49
14	17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	176.24	शून्य	176.24
15	18	समाज कल्याण विभाग	403.97	शून्य	403.97
16	19	आवास तथा शहरी विकास विभाग	8.03	शून्य	8.03
17	20	पर्यटन विभाग	21.17	शून्य	21.17
18	21	वन विभाग	10.16	शून्य	10.16
19	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	130.52	शून्य	130.52
20	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	6.60	शून्य	6.60
21	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और उद्यान विभाग	9.26	शून्य	9.26
22	25	श्रम, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	4.06	शून्य	4.06
23	26	मत्स्य पालन विभाग	6.00	शून्य	6.00
24	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	48.20	शून्य	48.20
25	28	ग्रामीण विकास विभाग	29.78	शून्य	29.78
26	29	परिवहन विभाग	7.10	शून्य	7.10
27	30	जनजाति मामले विभाग	4.49	शून्य	4.49

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन की संख्या तथा नाम	बचतें	अभ्यर्पित न की गई राशि	बचत जिसको अभ्यर्पित किया जाना है
28	31	संस्कृति विभाग	15.34	शून्य	15.34
29	32	बागवानी विभाग	7.91	शून्य	7.91
30	33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	70.26	शून्य	70.26
31	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	74.21	शून्य	74.21
32	35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	1.12	शून्य	1.12
33	36	सहकारी विभाग	9.47	शून्य	9.47
कुल-I			8,219.37	शून्य	8,219.37
II- राजस्व (प्रभारित)					
34	01	सामान्य प्रशासन विभाग	3.23	शून्य	3.23
35	08	वित्त विभाग	456.78	शून्य	456.78
36	09	संसदीय कार्य विभाग	0.51	शून्य	0.51
37	10	विधि विभाग	2.73	शून्य	2.73
कुल-II			463.25	शून्य	463.25
III-पूँजीगत (दत्तमत)					
38	01	सामान्य प्रशासन विभाग	37.57	शून्य	37.57
39	02	गृह विभाग	585.60	शून्य	585.60
40	03	योजना विकास तथा निगरानी विभाग	2,179.98	शून्य	2,179.98
41	04	सूचना विभाग	1.24	शून्य	1.24
42	06	विद्युत विकास विभाग	5,384.26	शून्य	5,384.26
43	07	शिक्षा विभाग	531.23	शून्य	531.23
44	08	वित्त विभाग	2,569.83	शून्य	2,569.83
45	09	संसदीय मामले विभाग	0.60	शून्य	0.60
46	10	विधि विभाग	53.03	शून्य	53.03
47	11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	91.29	शून्य	91.29
48	12	कृषि विभाग	738.86	शून्य	738.86
49	13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	63.60	शून्य	63.60
50	14	राजस्व विभाग	4.50	शून्य	4.50
51	15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग	55.81	शून्य	55.81
52	16	लोक निर्माण विभाग	1,258.37	शून्य	1,258.37

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन की संख्या तथा नाम	बचतें	अभ्यर्पित न की गई राशि	बचत जिसको अभ्यर्पित किया जाना है
53	18	समाज कल्याण विभाग	321.96	शून्य	321.96
54	19	आवास तथा शहरी विकास विभाग	1,208.42	शून्य	1,208.42
55	20	पर्यटन विभाग	335.90	शून्य	335.90
56	21	वन विभाग	98.62	शून्य	98.62
57	22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	1,297.93	शून्य	1,297.93
58	23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	137.10	शून्य	137.10
59	24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	16.13	शून्य	16.13
60	25	श्रम, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	59.48	शून्य	59.48
61	26	मत्स्य पालन विभाग	4.50	शून्य	4.50
62	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	97.05	शून्य	97.05
63	28	ग्रामीण विकास विभाग	1,257.67	शून्य	1,257.67
64	29	परिवहन विभाग	5.98	शून्य	5.98
65	31	संस्कृति विभाग	6.17	शून्य	6.17
66	32	बागवानी विभाग	261.49	शून्य	261.49
67	33	आपदा प्रबंधन, राहत , पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विभाग	629.83	शून्य	629.83
68	34	युवा सेवाएं तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	198.03	शून्य	198.03
69	35	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	693.30	शून्य	693.30
70	36	सहकारी विभाग	1.25	शून्य	1.25
कुल -III			20,186.58	शून्य	20,186.58
कुल योग -I+II+III			28,869.20	शून्य	28,869.20

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.7)

₹ एक करोड़ से अधिक अप्रयुक्त रहे प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	अनुदान का नाम	राशि
1	01	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	5.29
2	03	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	13.32
		5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,406.00
3	6	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,379.22
4	07	2202	सामान्य शिक्षा	16.26
		4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	107.11
5	08	2049	ब्याज भुगतान	756.92
		2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	253.25
		5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थान में निवेश	20.40
		6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	332.85
		6004	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	116.42
		6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण	5.00
		6885	उद्योगो तथा खनिजों को अन्य श्रण	500.00
6	10	2014	न्याय का प्रशासन	4.07
7	11	2055	पुलिस	2.60
		4851	ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	74.32
		4852	लौह तथा इस्पात उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	2.57
		4853	गैर-लौह खनन तथा धातुकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	1.00
8	12	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	233.33
		4851	ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	10.01
9	13	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	47.35
10	15	4408	खादय, भंडारण तथा वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	4.07
11	16	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	608.21
		5054	सडको तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	554.54
12	17	2211	परिवार कल्याण	45.56
		4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	243.07
13	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	531.41
14	20	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	269.81
15	21	4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	98.35
16	22	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	56.75
17	26	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.20
18	27	4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	33.94

परिशिष्ट

19	28	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	173.03
20	32	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	10.00
21	33	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	50.00
22	34	4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	20.00
23	35	5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	395.45
कुल				9,382.68

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 तथा 2.8.2)

अनुदान संख्या 07 में अभ्यर्पित नहीं की गई महत्वपूर्ण बचतों के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	बचतें
1	2202/01/101/0031/0449	1,800.00	1,226.29	573.71
2	2202/01/101/0031/2322	249.26	48.08	201.18
3	2202/01/101/0099/0254	1,265.73	1,228.81	36.92
4	2202/01/101/0099/2418	96.04	17.45	78.59
5	2202/01/104/0099/0214	1,582.33	1,332.67	249.66
6	2202/01/104/0099/2356	0.03	0.00	0.03
7	2202/01/800/0031/1030	38.48	0.14	38.34
8	2202/01/001/0099/0214	1,797.71	1,533.60	264.11
9	2202/02/001/0099/2356	0.03	0.01	0.02
10	2202/02/107/0099/0905	0.53	0.50	0.03
11	2202/80/107/099/2436	2.00	1.69	0.31
12	4202/01/201/0011/0632	40.00	27.16	12.84
13	4202/01/201/0031/0449	315.09	57.40	257.69
14	4202/01/201/0031/2322	411.34	52.00	359.34
15	4202/01/202/0011/0149	120.15	69.08	51.07
16	4202/01/800/0031/1030	144.00	32.22	111.78
कुल		7,862.72	5,627.10	2,235.62

अनुदान संख्या 22 में अभ्यर्पित नहीं की गई महत्वपूर्ण बचतों के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
1	2700/01/001/0099/0855	10.04	6.31	3.73
2	2701/04/001/0099/0849	52.45	39.96	12.49
3	2701/04/001/0099/0855	17.87	15.28	2.59
4	2701/04/612/0099/0858	18.90	17.70	1.20
5	2701/04/612/0099/2357	0.15	0.09	0.06
6	2701/80/001/0099/2360	3.83	3.41	0.42
7	2702/80/001/0099/0342	149.64	140.47	9.17
8	2702/80/001/0099/0845	44.49	37.63	6.86
9	2702/80/001/0099/1448	357.74	268.60	89.14
10	2702/80/001/0099/2357	0.73	0.39	0.34

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
11	2711/01/001/0099/0858	39.88	39.51	0.37
12	2711/01/001/0099/1449	90.12	84.16	5.96
13	2711/01/001/0011/0435	25.53	6.08	19.45
14	2711/01/001/0011/0855	11.99	3.68	8.31
15	4701/04/612/0011/0840	9.05	3.80	5.25
16	4702/00/101/0011/1775	22.25	12.38	9.87
17	4702/00/101/0011/1776	28.57	20.27	8.30
18	4702/00/101/0031/1775	89.00	23.19	65.81
19	4702/00/101/0031/1776	113.95	27.17	86.78
20	4711/01/103/0011/1166	1,083.95	1.24	1,082.71
21	4711/01/103/0011/1450	25.83	15.83	10.00
22	4711/01/103/0031/1449	45.00	41.24	3.76
23	4711/01/103/0031/1450	42.44	7.88	34.56
कुल		2,283.40	816.27	1,467.13

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: पैराग्राफ:2.8.1 तथा 2.8.2)

अनुदान संख्या 07 में बिना बजटीय प्रावधान के किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2202/01/001/0031/2448	शून्य	19.50
2	2202/01/105/0031/0274	शून्य	0.55
3	2202/01/107/0031/1398	शून्य	11.25
4	2202/01/800/0031/2280	शून्य	0.08
5	2202/02/109/0099/1664	शून्य	0.73
6	2202/01/800/0031/2280	शून्य	57.29
	कुल	शून्य	89.40

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

अनुदान संख्या 22 में बिना बजटीय प्रावधान के किए गए व्यय के मामले दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2700/01/601/0000/0000	शून्य	1.31
2	2700/01/602/0000/0000	शून्य	0.37
3	2700/01/601/0000/0000	शून्य	0.16
4	2700/01/601/0000/0000	शून्य	0.50
5	4701/01/601/0000/0000	शून्य	0.23
6	4701/80/052/0031/2468	शून्य	0.28
7	4702/00/800/0031/2449	शून्य	0.39
8	4711/01/103/0011/1166	शून्य	41.68
	कुल	शून्य	44.92

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.8.1 तथा 2.8.2)
अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शाता विवरण
अनुदान संख्या 07

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/ लघु/ उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2202/01/800/0031/0987	16.20	शून्य
2	2202/02/107/0099/0932	0.06	शून्य
3	2202/02/107/0099/0249	45.70	शून्य
4	4202/01/201/0011/2439	40.00	शून्य
5	4202/01/800/0011/0987	5.40	शून्य
6	4202/03/800/0031/2495	16.00	शून्य
कुल		123.36	शून्य

अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शाता विवरण
अनुदान संख्या 22

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य /लघु /उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	4701/04/612/0031/0840	16.43	शून्य
2	4701/80/800/0031/0435	31.32	शून्य
3	4701/80/800/0031/0855	9.00	शून्य
कुल		56.75	शून्य

(स्रोत: विनियोजन लेखें)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: पैराग्राफ 3.2)

मार्च 2019 को समाप्त मुख्य शीर्ष-वार बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित
आकस्मिकता (डीसी) बिलों को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
1	2012	राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघीय क्षेत्रीय का प्रशासक	0.02	0.00	0.02
2	2013	मंत्रिपरिषद्	0.24	0.00	0.24
3	2014	न्याय का प्रशासन	1.05	0.00	1.05
4	2015	निर्वाचन	10.51	28.61	39.12
5	2030	स्टांप तथा पंजीकरण	0.00	1.90	1.90
6	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.01	4.51	4.52
7	2043	बिक्री कर	0.00	0.40	0.40
8	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.20	0.00	1.20
9	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.08	0.00	0.08
10	2053	जिला प्रशासन	0.25	0.06	0.31
11	2054	कोषागार तथा लेखें प्रशासन	1.80	0.00	1.80
12	2055	पुलिस	27.14	245.04	272.18
13	2056	जेलें	0.42	0.00	0.42
14	2059	लोक निर्माण	0.04	0.26	0.30
15	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.86	1.50	2.36
16	2202	सामान्य शिक्षा	1,816.15	0.44	1,816.59
17	2203	तकनीकी शिक्षा	0.25	0.02	0.27
18	2204	खेल तथा युवा सेवाएं	3.56	0.00	3.56
19	2205	कला तथा संस्कृति	2.63	0.00	2.63
20	2210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	5.28	3.98	9.26
21	2211	परिवार कल्याण	0.00	0.02	0.02
22	2217	शहरी विकास	0.05	0.00	0.05
23	2225	एससी, एसटी तथा ओबी का कल्याण	0.25	0.00	0.25
24	2230	श्रम तथा रोजगार	1.10	0.12	1.22
25	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.60	22.54	27.14
26	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2.27	167.34	169.61
27	2401	फसल पैदावार	0.66	0.00	0.66
28	2403	पशुपालन	0.01	0.26	0.27
29	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	0.02	0.00	0.02
30	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1.75	21.43	23.18

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
31	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.07	0.00	19.07
32	2801	विद्युत	0.29	0.20	0.49
33	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	10.07	0.00	10.07
34	3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.03	0.04	0.07
35	3452	पर्यटन	0.88	1.66	2.54
36	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	0.25	0.08	0.33
37	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	1.12	1.12
38	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	73.35	0.00	73.35
39	4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.23	0.00	0.23
40	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.10	8.30	16.40
41	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.00	0.25
42	4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.89	0.00	9.89
43	4202	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	577.99	21.66	599.65
44	4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.87	144.46	145.33
45	4215	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.75	3.75
46	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	13.33	28.33
47	4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.56	4.56
48	4225	एस.सी,एस.टी.ओ.बी.सी कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28.45	0.00	28.45
49	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	11.47	17.16	28.63
50	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	134.95	0.00	134.95
51	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	36.32	0.24	36.56
52	4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.00	0.07
53	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.15	0.90
54	4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	8.54	0.00	8.54
55	4408	खाद्य भंडारण तथा वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	48.08	32.00	80.08
56	4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर	19.88	0.00	19.88

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
		पूँजीगत परिव्यय			
57	4425	सहयोग पर पूँजीगत परिव्यय	264.63	0.00	264.63
58	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	883.67	91.41	975.08
59	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.50	0.00	4.50
60	4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय/	123.19	1.09	124.28
61	4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय /	9.53	0.00	9.53
62	4853	गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय /	0.05	0.00	0.05
63	5054	सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	50.40	0.00	50.40
64	5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	8.07	0.00	8.07
65	5425	अन्य वैज्ञानिक पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	7.70	0.00	7.70
66	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	54.22	7.20	61.41
67	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	32.88	5.91	38.79
कुल			4,325.80	852.76	5,178.56

(स्रोत: वीएलसी डाटा)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.4)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित प्रतीक्षित वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	अवधि जिसके लिए लेखों की प्रतीक्षा की गई	प्रतीक्षित लेखों की संख्या
1	श्रीनगर नगर पालिका	1988-89 to 2018-19	31
2	कश्मीर विश्वविद्यालय	2001-02 to 2018-19	18
3	कश्मीर शहरी विकास एजेंसी, श्रीनगर	1999-2000 to 2018-19	20
4	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, श्रीनगर	2002-03 to 2018-19	17
5	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अनंतनाग	2007-08 to 2018-19	12
6	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुलवामा	2002-03 to 2018-19	17
7	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लेह	2008-09 to 2018-19	11
8	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कारगिल	2008-09 to 2018-19	11
9	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, श्रीनगर (एसकेआईसीसी)	2018-19	01
10	श्रीनगर विकास प्राधिकरण, बेमिना	1999-2000 to 2018-19	20
11	जम्मू एवं कश्मीर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, श्रीनगर	2003-04 to 2018-19	16
12	इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, श्रीनगर	2001-02 to 2018-19	18
13	झीलों और जलमार्गों का विकास, प्राधिकरण, श्रीनगर	2005-06 to 2018-19	14
14	जम्मू विश्वविद्यालय	2002-03 to 2018-19	17
15	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जम्मू	2008-09 to 2018-19	11
16	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कठुआ	2008-09 to 2018-19	11
17	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुंछ	2008-09 to 2018-19	11
18	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डोडा	2003-04 to 2018-19	16
19	कला संस्कृति और भाषा अकादमी	2003-04 to 2018-19	16

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

20	जम्मू विकास प्राधिकरण	1972-73 to 2018-19	46
21	जम्मू एवं कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	1995-96 to 2018-19	24
22	जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद, श्रीनगर	2003-04 to 2018-19	16
23	जम्मू एवं कश्मीर उर्जा विकास एजेंसी (जेएकेईडीए), श्रीनगर	2003-04 to 2018-19	16
24	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बडगाम	2007-08 to 2018-19	12
25	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बारामूला	2007-08 to 2018-19	12
26	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुपवाड़ा	2006-07 to 2018-19	13
27	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गांदरबल	2008-09 to 2018-19	11
28	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुलगाम	2008-09 to 2018-19	11
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शोपियां	2008-09 to 2018-19	11
30	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बांदीपोरा	2008-09 to 2018-19	11
31	जम्मू नगरपालिका	2002-03 to 2018-19	17
32	जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, (जेकेईडीआई) पंपोर	1996-97 to 2002-03, 2016-17 & 2018-19	10
33	पर्यटन विकास प्राधिकरण, डूडपथरी	2005-06 to 2018-19	14
34	पर्यटन विकास प्राधिकरण, कोकेरनाग	2004-05 to 2018-19	15
35	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसबल	2005-06 to 2018-19	14
36	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम	2002-03 to 2018-19	17
37	पर्यटन विकास प्राधिकरण, सोनमर्ग	2003-04 to 2018-19	16
38	पर्यटन विकास प्राधिकरण, यूसमर्ग	2005-06 to 2018-19	14
39	पर्यटन विकास प्राधिकरण, वेरीनाग	2006-07 to 2018-19	13
40	वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर	2012-13 to 2018-19	07
41	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामबन	2007-08 to 2018-19	12
42	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मंसार, सुरिनसर	2006-07 to 2018-19	13
43	पर्यटन विकास प्राधिकरण, राजौरी	2005-06 to 2018-19	14
44	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पुंछ	2005-06 to 2018-19	14

45	पर्यटन विकास प्राधिकरण, लखनपुर	2005-06 to 2018-19	14
46	पर्यटन विकास प्राधिकरण, किशतवाड़	2005-06 to 2018-19	14
47	जम्मू शहरी विकास एजेंसी (जेयूडीए)	1999-2000 to 2018-19	20
48	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, उधमपुर	2000-01 to 2018-19	19
49	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रियासी	2008-09 to 2018-19	11
50	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राजौरी	2001-02 to 2018-19	18
51	पर्यटन विकास प्राधिकरण, गुलमर्ग	2000-01 to 2018-19	19
52	पर्यटन विकास प्राधिकरण, अहरबल	2006-07 to 2018-19	13
53	पर्यटन विकास प्राधिकरण, भद्रवाह	2006-07 to 2018-19	13
54	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पटनीटॉप	2002-03 to 2018-19	16
55	सैनिक स्कूल मानसबल	2016-17 to 2018-19	03
कुल			821

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: पैराग्राफ:3.5)

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं तथा सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
1.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2017-18	00	55.70	1,628.33	1,684.03	प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं	2017-18	00	20.00	0.00	20.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
3.	जम्मू एवं कश्मीर एससी/एसटी/ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	2001-02	16	10.63	10.76	21.39	प्रस्तुत नहीं किए गए
4.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2016-17	01	10.00	9.15	19.15	प्रस्तुत नहीं किए गए
5.	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2009-10	08	1.95	20.95	22.9	प्रस्तुत नहीं किए गए
6.	जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पादन और विपणन निगम लिमिटेड	2004-05	13	9.2	49.68	58.88	प्रस्तुत नहीं किए गए
7.	जम्मू एवं कश्मीर लघु स्तर उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2009-10	08	3.11	9.77	12.88	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	04	17.64	24.36	42	प्रस्तुत नहीं किए गए
9.	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण	2013-14	04	1.97	0.33	2.3	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
	निगम लिमिटेड						
10.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	2009-10	08	2.00	0.00	2.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
11.	जम्मू एवं कश्मीर इंडस्ट्रीज विकास निगम लिमिटेड	2010-11	07	16.26	565.67	581.93	प्रस्तुत नहीं किए गए
12.	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम लिमिटेड	2000-01	17	6.16	28.69	34.85	प्रस्तुत नहीं किए गए
13.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2010-11	07	4.66	83.57	88.23	प्रस्तुत नहीं किए गए
14.	जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2011-12	06	45.76	30.53	76.29	प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	1999-00	18	8	119.68	127.68	प्रस्तुत नहीं किए गए
16.	जेएंडके, पावर डेवलपमेंट निगम लिमिटेड	2013-14	04	5.00	1,826.49	1,831.49	प्रस्तुत नहीं किए गए
17.	जम्मू एवं कश्मीर चिनाब घाटी विद्युत परियोजना लिमिटेड	2017-18	00	1,141.86	0.00	1,141.86	प्रस्तुत नहीं किए गए
18.	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	05	15.96	4.26	20.22	प्रस्तुत नहीं किए गए
19.	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड	2010-11	07	23.57	0.00	23.57	प्रस्तुत नहीं किए गए
20.	जम्मू एवं कश्मीर, प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	07	2.56	0.00	2.56	प्रस्तुत नहीं किए गए
21.	जम्मू एवं कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल	2017-18	00	186.07	15.36	201.43	प्रस्तुत नहीं

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
	निगम लिमिटेड						किए गए
22.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	04	178.37	514.94	693.31	प्रस्तुत नहीं किए गए
23.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम	1996-97	21	एनए	एनए	एनए	प्रस्तुत नहीं किए गए
24.	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	मार्च 2014 से शामिल है	04	0.05	एनए	0.05	प्रस्तुत नहीं किए गए
कुल			169	1,766.48	4,942.52	6,709.00	

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	विवरण
1	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित उन संगठनों/ संस्थानों को शामिल किया जाता है जो राज्य में उदाहरणतः एसएसए के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी तथा एनआरएचएम के लिए राज्य स्वास्थ्य अभियान आदि के विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं।
2	जीएसडीपी	जीएसडीपी को, वर्तमान कीमतों पर श्रम तथा उत्पादन के सभी कारकों का प्रयोग करते हुए उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार लागत या राज्य की कुल आय के रूप में परिभाषित किया गया है
3	उत्थान अनुपात	उत्थान अनुपात मूल परिवर्ती में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती में लचीलेपन या प्रतिक्रियाशीलता के स्तर को दर्शाता है। उदाहरणतः 0.6 पर राजस्व वृद्धि से तात्पर्य है कि यदि जीएसडीपी एक प्रतिशत बढ़ती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशतता बिंदुओं तक बढ़ सकती हैं।
4	आंतरिक ऋण	इसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किए गए बाजार ऋण तथा विशेष प्रतिभूतियां शामिल होती हैं।
5	कोर पब्लिक तथा मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे गुड्स होते हैं जिन्हें सब नागरिक इस रूप में प्रयोग करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान का इस प्रकार उपभोग करें जिससे अन्य व्यक्तियों के उपभोग के लिए उस सामान की कमी न रहे, उदाहरणतः कानून तथा नियम को लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा तथा बचाव, प्रदूषण रहित हवा तथा अन्य पर्यावरणीय सुविधाएं तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में मुफ्त या

		<p>सहायिकी दरों पर प्रदान किया जाता है क्योंकि समाज को उनकी जरूरत आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर होनी चाहिए न कि सरकार की अदा करने की क्षमता एवं इच्छा पर, तथा इसलिए उनका उपभोग बढ़ाने की इच्छा रखी जाती है। ऐसे वस्तुओं के उदाहरणों में पोषण बढ़ाने के लिए गरीब को मुफ्त या सहायिकी स्तर पर योजना का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा मृत्यु को कम करना, सभी को आधारभूत शिक्षा पेय जल तथा स्वच्छता आदि उपलब्ध कराना शामिल होते हैं।</p>
6	विकास व्यय	<p>व्यय डाटा का विश्लेषण विकास तथा गैर-विकास व्यय में अलग अलग होता है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम से संबंधित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणी बद्ध हैं। बड़े स्तर पर/ मोटे तौर पर, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय शामिल होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।</p>
7	ऋण निरंतरता	<p>ऋण निरंतरता को किसी समयावधि में मौजूदा ऋण-जीडीपी अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा संबंधित अपने ऋण प्रयोग की योग्यता को भी समाविष्ट करता है। इस प्रकार, ऋण की निरंतरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए मौद्रिक परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से रिटर्न सहित अतिरिक्त उधार की लागतों के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी दर्शाती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के समान होनी चाहिए</p>

8	गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	राज्य की वृद्धि संबंधी गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धि संबंधी ब्याज देयताओं और वृद्धि संबंधी प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धि संबंधी गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धि संबंधी ब्याज भार और वृद्धि संबंधी व्यय को पूरा किया जाए तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
9	उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों को, ऋण-शोधन (मूल+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को दर्शाता है जहां उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण-शोधन में ऋण प्राप्तियों को प्रयुक्त किया गया हो।
10	गैर-ऋण प्राप्तियां	राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता में वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर किया जाता है। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिशील ब्याज भार और वृद्धिशील व्यय को पूरा किया जाए तो ऋण निरंतरता को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता था।
11	निवल ऋण उपलब्ध	लोक ऋण पुनर्भुगतान पर लोक ऋण का आधिक्य तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in